



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण,
उनसे संबंधित उपकरणों कि किस्म और प्रशिक्षण



अप्रैल, 2012



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर—निर्धारण,
उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और
प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार,
एनडीएमए भवन,
ए-१, सफदरजंग एनकलेव,
नई दिल्ली-११००२९

का एक प्रकाशन

आईएसबीएन : 978-93-80440-13-2

अप्रैल, 2012

इन दिशानिर्देशों का उल्लेख करते समय निम्नलिखित उद्वरण का प्रयोग किया जाना चाहिए :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का एक प्रकाशन
आईएसबीएन : 978-93-80440-13-2

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश विभिन्न हितधारकों, सेवा प्रदाताओं और संपूर्ण देश के अग्नि शमन के क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से श्री ज्योति कुमार सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर—निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

प्रस्तावना

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण पर ये दिशानिर्देश देश में अग्नि शमन सेवाओं के मानकीकरण और पुनर्गठन तथा अग्नि संबंधित घटनाओं के प्रभावी, सक्षम और समग्र प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए हैं। हमारी दूरदृष्टि अग्नि शमन संबंधित कार्रवाई, कार्य-तंत्र, उपकरणों की उचित संख्या, देश में विभिन्न अपेक्षित स्तरों पर अग्नि शमन कर्मियों के उपयुक्त प्रशिक्षण तथा लोगों में जागरूकता, चौकसी और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर अग्नि संबंधित घटनाओं के निवारण के सुदृढ़ीकरण और मानकीकरण द्वारा जान और माल की हानि को न्यूनतम करने पर केंद्रित है।

संपूर्ण रूप से हमारे देश में अग्नि शमन क्षमता की कमजोरियों की जांच करके और महत्वपूर्ण अभावों के समाधान के लक्ष्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 13वें वित्त आयोग सहित विभिन्न प्राधिकरणों के साथ लगातार चर्चा में सलग्न था। इसे माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी में भी उनकी अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लाया गया था।

प्रधानमंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि योजना आयोग प्राथमिकतायुक्त योजनाएं बनाने और अपनी वार्षिक पंचवर्षीय योजनाओं में अग्नि शमन सेवाओं के लिए निधियों का उचित आवंटन प्रदान करने के लिए राज्यों को राजी करने में एक भूमिका निभा सकता है।

13वें वित्त आयोग से हुई चर्चा से राज्यों की समस्या समझी गई और उन सभी राज्यों को उपयुक्त निधियों का आवंटन हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तथा साथ ही, अन्य शेष राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को, विशेष रूप से 13वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों में से, अग्नि शमन सेवाओं पर व्यय करने का निर्देश दिया गया।

यह अनुमान है कि उचित योजनाओं और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के अभाव के कारण कमियां अगले पांच वर्षों में निम्नलिखित दोमुखी दृष्टिकोण द्वारा दूर हो जाएंगी :

- राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकतायुक्त और योजनाबद्ध उपाय; और
- 13वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्देशित शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा अतिशीघ्र कार्रवाई और उन्हें आवंटित अनुदानों में से अग्नि शमन सेवाओं पर धनराशि व्यय करना।

ये दिशानिर्देश स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद, भारत सरकार के सदस्यों और क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) की सहायता से तैयार किए गए हैं। क्रमबद्ध तरीके से प्रक्रिया को प्रचालनरत करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधित आवश्यकता के निधिकरण के लिए कार्यनीति के साथ अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उपकरणों की किस्म, मानवशक्ति और उनके प्रशिक्षण से संबंधित ये दिशानिर्देश जारी कर रहा है। सभी राज्य सरकारें और संबंधित स्थानीय निकाय इसका एक योजनाबद्ध और ध्यान केंद्रित तरीके से अनुपालन करेंगे।

विषय – वस्तु

| | |
|---------------------|------|
| प्रस्तावना | v |
| विषय–वस्तु | vii |
| प्राककथन | xiii |
| आभार | xv |
| संक्षेपाक्षर | xvii |
| चित्रों की सूची | xix |
| रेखाचित्रों की सूची | xix |
| सारणियों की सूची | xx |

| | | |
|------|---|----|
| 1. | अधिशासी सारांश और राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्बवाई बिन्दु | |
| 1.1. | कार्य–विधि | 1 |
| 1.2. | दिशानिर्देशों की संरचना | 2 |
| 1.3. | कार्बवाई बिन्दु | 4 |
| 2. | भारत में अग्नि शमन सेवाएं और इनकी वर्तमान प्रारिथिति | 9 |
| 2.1. | भारत में अग्नि शमन सेवाओं का क्रमिक विकास | 9 |
| 2.2. | वर्तमान प्रारिथिति | 10 |
| 2.3. | भारत में अग्नि संबंधी घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति | 10 |
| 2.4. | वर्तमान प्रणाली में कमियां | 13 |
| 2.5. | अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने के लिए स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के मानदंड | 13 |
| 2.6. | देश में व्याप्त समग्र कमी | 14 |
| 2.7. | अग्नि शमन सेवाओं के विकास की धीमी गति | 14 |

| | | |
|-------|--|----|
| 3. | आपातिक आवश्यकताएं और हाल के प्रयास | 17 |
| 3.1. | परिचय | 17 |
| 3.2. | प्रत्येक राज्य में अग्नि शमन अधिनियम का अधिनियमन | 17 |
| 3.3. | राज्य के लिए समग्र योजना तैयार करना | 18 |
| 3.4. | बुनियादी अवसंरचना सृजित करना और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाना | 19 |
| 3.5. | अग्नि शमन सेवाओं का दायरा बढ़ाना | 21 |
| 3.6. | प्रांतीयकरण और राज्य-स्तरीय अग्नि शमन सेवाओं का गठन | 23 |
| 3.7. | राज्य की प्रशासनिक संरचना के अनुसार अग्नि शमन सेवाओं की उचित प्रशासनिक और पर्यवेक्षीय संरचना | 23 |
| 3.8. | राज्य स्तर पर अग्नि शमन सेवा प्रधान | 24 |
| 3.9. | जिला स्तर पर अग्नि शमन सेवा प्रमुख | 24 |
| 3.10. | अग्नि शमन सेवाओं को बहु-खतरा कार्रवाई इकाई बनाना | 25 |
| 3.11. | समुदाय की भागीदारी | 25 |
| 3.12. | अनुसंधान और विकास | 26 |
| 3.13. | निधिकरण के लिए हाल के प्रयास | 26 |
| 4. | 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का प्रचालनीकरण : कार्यनीति और कार्य योजना | 29 |
| 4.1. | परिचय | 29 |
| 4.2. | 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण और संगत पैराग्राफ का सार | 31 |
| 4.3. | 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रचालनीकरण की कार्यनीति | 37 |
| 4.4. | जिम्मेदारी | 38 |
| 4.5. | परामर्शी प्रक्रिया | 39 |
| 4.6. | शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की अग्नि शमन सेवाओं के लिए अपेक्षित समग्र आवंटन नियत करना और शहरी स्थानीय निकाय तथा राज्य योजना के बीच निधि की आवश्यकता का विभाजन | 40 |
| 5. | अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना | 41 |
| 5.1. | परिचय | 41 |
| 5.2. | अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना | 42 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.3. | अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना के बुनियादी संघटक और व्यौरे | 43 |
| 6. | प्रशिक्षण | 53 |
| 6.1. | परिचय | 53 |
| 6.2. | क्षमता निर्माण | 53 |
| 6.3. | अग्नि शमन सेवाओं में अग्नि शमन कर्मियों का प्रशिक्षण | 53 |
| 6.4. | प्रवेश के स्तर | 53 |
| 6.5. | अग्नि शमन कर्मियों/अग्रणी अग्नि शमन कर्मियों/चालकों का बुनियादी प्रवेश प्रशिक्षण | 53 |
| 6.6. | अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रवेश और सेवा के दौरान पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | 54 |
| 6.7. | अन्य आपदाओं के प्रति कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण | 54 |
| 6.8. | प्रशिक्षण केंद्र | 54 |
| 7. | अग्नि शमन केंद्र का स्तर—निर्धारण, उपकरण और मानवशक्ति | 57 |
| 7.1. | परिचय | 57 |
| 7.2. | अग्नि शमन केंद्र का स्तर—निर्धारण | 57 |
| 7.3. | संचार | 58 |
| 7.4. | अग्नि शमन केंद्रों के लिए यंत्रों तथा उपकरणों का पैमाना | 59 |
| 7.5. | वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण | 61 |
| 7.6. | पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष स्तर—निर्धारण तथा उपकरणों की किस्म | 62 |
| 7.7. | विशेष स्तर—निर्धारण तथा द्वीपसमूह जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपकरणों की किस्म | 63 |
| 7.8. | जलापूर्ति | 63 |
| 7.9. | मानवशक्ति | 63 |
| 7.10. | ड्यूटी प्रणाली | 65 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| अनुबंध | 67 | |
| अनुबंध–1 | राज्य के लिए अग्नि शमन बल के रख–रखाव के प्रावधान के लिए विधेयक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और भारत सरकार का निर्णय | 67 |
| अनुबंध–1क | अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने की बुनियादी आवश्यकता | 79 |
| अनुबंध–1ख | क्षमता निर्माण के लिए 13वें वित्त आयोग का अनुदान | 80 |
| अनुबंध–2 | भारत में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों की सूची | 82 |
| अनुबंध–3 | अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने के लिए लागत तथा विशेष विवरण | 83 |
| अनुबंध–4 | दर्शाने वाली अनिवार्य उपकरणों की सूची | 84 |
| अनुबंध–5 | अग्नि शमन कर्मियों के बुनियादी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (करिक्यूलम) | 87 |
| अनुबंध–6 | अग्रणी अग्नि शमन कर्मियों की पदोन्नति के लिए पाठ्यक्रम (करिक्यूलम) | 90 |
| अनुबंध–7 | उप–अधिकारियों के कोर्स के लिए पाठ्य–विवरण (सिलेबस) | 94 |
| अनुबंध–8 | अग्नि शमन केंद्र अधिकारियों और अनुदेशक कोर्स के लिए पाठ्य विवरण (सिलेबस)96 | 96 |
| अनुबंध–9 | प्रभागीय अधिकारी कोर्स के लिए पाठ्य–विवरण (सिलेबस) | 105 |
| अनुबंध–10 | चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के कोर्स के लिए पाठ्य–विवरण | 107 |
| अनुबंध–11 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए बुनियादी आपदा कार्रवाई कोर्स के लिए पाठ्य–विवरण | 110 |
| अनुबंध–12 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खोज और बचाव का पाठ्य–विवरण | 113 |
| अनुबंध–13 | उन्नत खोज और बचाव कोर्स का पाठ्य–विवरण | 115 |
| अनुबंध–14 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए अग्नि शमन कोर्स का पाठ्य–विवरण | 116 |
| अनुबंध–15 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खतरनाक सामान संबंधित आपातस्थिति का पाठ्य–विवरण | 119 |
| अनुबंध–16 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए जन संहार के हथियारों संबंधित पाठ्य–विवरण | 122 |
| अनुबंध–17 | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए बाढ़ से बचाव पर कोर्स का पाठ्य–विवरण | 124 |
| अनुबंध–18 | क्षतिग्रस्त इमारत की खोज और संबंधित स्थल पर कोर्स का पाठ्य–विवरण | 125 |
| अनुबंध–19 | रासायनिक आपदा प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स का पाठ्य–विवरण | 126 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| अनुबंध—20 | जैविक घटना संबंधित प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स का पाठ्य—विवरण | 127 |
| अनुबंध—21 | बाढ़ / चक्रवात आपदा कार्रवाई संबंधी कोर्स का पाठ्य—विवरण | 128 |
| अनुबंध—22 | भूकम्प आपदा कार्रवाई संबंधी कोर्स का पाठ्य—विवरण | 129 |
| अनुबंध—23 | रेल परिवहन संबंधित दुर्घटना के लिए आपातकालीन कार्रवाई का पाठ्य—विवरण | 130 |
| अनुबंध—24 | विकिरणकीय और नाभिकीय आपातस्थिति कोर्स में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्य—विवरण | 131 |
| अनुबंध—25 | श्वसन उपकरण कोर्स का पाठ्य—विवरण | 132 |
| अनुबंध—26 | अग्नि निवारण कोर्स का पाठ्य—विवरण | 133 |
| अनुबंध—27 | एक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खतरनाक सामान संबंधित आपातस्थिति के लिए उपकरण | 134 |
| अनुबंध—28 | अग्नि तथा अन्य आपदाओं के लिए बचाव कार्य हेतु अन्य विशिष्ट उपकरणों की सूची | 147 |
| अनुबंध—29 | संस्थागत सुविधाओं के लिए सिफारिशें | 152 |
| प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) | | 155 |
| संपर्क करें | | 158 |



उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

प्राक्कथन

अग्नि संबंधित खतरों के प्रति कार्रवाई के लिए सक्षम और सुसज्जित अग्नि शमन सेवाएं अनिवार्य हैं। भारत में अग्नि शमन सेवाओं में अस्वीकार्य खामियों ने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का ध्यान आकृष्ट किया था। इस मामले को भारत के प्रधानमंत्री से लेकर 13वें वित्त आयोग तक विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था। जहां प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को इसे अपेक्षित प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था, वहीं 13वें वित्त आयोग ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को समुचित आवंटन किए हैं। तथापि, निधि की शेष आवश्यकता का अगली पंचवर्षीय योजना में राज्यों द्वारा ध्यान रखा जाना होगा।

ये दिशानिर्देश उपकरणों के स्तर/किस्म के मानकीकरण और मानवशक्ति के प्रशिक्षण के उद्देश्य से जारी किए गए हैं, जो देश में अग्नि शमन क्षमताओं को आधुनिक बनाएंगे और उसमें वृद्धि करेंगे।

मैं श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिबद्धता और प्रमुख समूह के सदस्यों, गृह मंत्रालय और स्थायी अग्नि सलाहकार परिषद, भारत सरकार की इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में दी गई असीम सहायता और सहयोग के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूं।

नई दिल्ली
अप्रैल, 2012

एम. शशिधर रेड्डी
विधायक



सदस्य
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

आभार

मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा भारत में अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने में प्रमुख समूह, स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के सदस्यों और अन्य अग्नि शमन विशेषज्ञों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं श्री एम. वी. देशमुख, निदेशक, अग्नि शमन सेवा, महाराष्ट्र सरकार, प्रोफेसर डी. रवीद्र प्रसाद, सलाहकार, शहरी अधिशासन, प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद, श्री एस. के. ढेरी, वर्तमान प्रबंध निदेशक, डी एल एफ सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व निदेशक, दिल्ली अग्नि शमन सेवा), श्री ओम प्रकाश, अग्नि शमन सलाहकार, भारत सरकार, श्री डी. के. शासी, उप-अग्नि शमन सलाहकार, भारत सरकार, श्री ए. के. शर्मा, निदेशक, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, श्री गोपाल चंद्र मिश्रा, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और रचनात्मक सुझावों, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को बेहतर बनाने तथा इनको तैयार करने में सहायता की है, के लिए अपना हार्दिक आभार और सराहना व्यक्त करता हूं।

मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ विशेषज्ञों, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आर. के. कौशल, ए वी एस एम, एस एम**, वी एस एम**, पी पी एम जी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. दत्ता, ए वी एस एम, एस एम**, वी एस एम**, पी पी एम जी, ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. के. खन्ना, कर्नल जे. आर. कौशिक और श्री शिवाजी सिंह को भी उनकी जानकारियों और बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बिनय भूषण गडनायक, विशेषज्ञ (आई आर एस) और श्री वी. के. गुप्ता द्वारा इन दिशानिर्देशों का मसौदा बनाने के लिए दिए गए प्रयास अत्यधिक सराहनीय हैं।

मैं श्री सुतानु बेहुरिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उनकी टीम के साथ-साथ मेरे कार्यालय के सदस्यों श्री आमोद कुमार, श्री विनोद कुमार गुप्ता और श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा प्रदान की गई सहायता और सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्न हूं।

अंततः मैं अपने माननीय उपाध्यक्ष, श्री एम. शशिधर रेण्डी, विधायक के प्रति उनकी विवेचनात्मक समीक्षा और जानकारी जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु तथा गुणवत्ता का अत्यधिक महत्व बढ़ाया है, के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों का उनके बहुमूल्य सुझावों और समय-समय पर उनके द्वारा दी गई जानकारी के लिए भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

ज्योति कुमार सिंह

नई दिल्ली
अप्रैल, 2012

संक्षेपाक्षर

| | |
|-------------------|---|
| ए एस सी आई | एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया |
| बी आई एस | भारतीय मानक व्यूरो |
| सी आई एस एफ | केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल |
| डी जी एस एंड डी | आपूर्ति और निपटान महानिदेशक |
| एफ सी | वित्त आयोग |
| जी ओ आई | भारत सरकार |
| जी आई एस | भौगोलिक सूचना प्रणाली |
| जी आई ए | सहायता – अनुदान |
| जी एस टी | सामग्री और सेवा कर |
| एच / हिम | उसकी / उसका |
| एच ए एम | हर्टज, आर्मस्ट्रोंग और मारकोनी |
| आई ओ सी | इंडियन ऑयल कारपोरेशन |
| आई आर एस | घटना प्रतिक्रिया प्रणाली |
| जे एल एन यू आर एम | जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन |
| एम एफ आर | चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाता |
| एम एच ए | गृह मंत्रालय |
| एम ओ डी | रक्षा मंत्रालय |
| एम ओ टी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| एम ओ सी | संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| एम पी एल ए डी | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास |
| एन सी टी | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
| एन डी एम ए | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| एन डी एस आई सी एस | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली |
| एन डी आर एफ | राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल |
| एस एफ ए सी | स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद |
| एसक्यू के एम | वर्ग किलोमीटर |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| टी ओ आर | विचारार्थ विषय |
| यू एल बी | शहरी स्थानीय निकाय |
| यू टी | संघ राज्य क्षेत्र |
| 13वां एफ सी | 13वां वित्त आयोग |
| 13वां एफ सी आर | 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट |

चित्रों की सूची

| चित्र | ब्यौरे | पृष्ठ |
|--|--------|-------|
| चित्र 1 मेहता बिल्डिंग—बड़ा बाजार, कोलकाता में आग में जलती दुकान | 14 | |
| चित्र 2 मेहता बिल्डिंग, कोलकाता में फंसे लोगों को बचाने के लिए खिड़की तोड़ते हुए अग्नि शमन कर्मी | 14 | |
| चित्र 3 आग लगने के दौरान आई ओ सी एल डिपो, जयपुर | 14 | |
| चित्र 4 पार्क स्ट्रीट हेरिटेज बिल्डिंग, कोलकाता में लगी आग | 15 | |
| चित्र 5 ए एम आर आई अस्पताल, कोलकाता में आग लगने की शुरुआत | 15 | |
| चित्र 6 ए एम आर आई अस्पताल, कोलकाता में बाद में अग्निकांड की स्थिति | 15 | |
| चित्र 7 घटनास्थल से भागने का आपातकालीन मार्ग | 18 | |
| चित्र 8 प्राकृतिक जल संसाधन का दोहन | 19 | |
| चित्र 9 वर्षा जल संचयन | 19 | |
| चित्र 10 वहनीय/बैक पैक (पीठ पर बांधे जाने वाला) जल कुहासा अग्नि शमन उपस्कर | 20 | |
| चित्र 11 अग्नि शमन नलका (फायर हाइड्रेन्ट) | 20 | |
| चित्र 12 अलग की जा सकने वाली जल टंकी | 20 | |
| चित्र 13 लघु मोटर साइकिल सहित जल कुहासा अग्नि शमन इकाई | 57 | |
| चित्र 14 बैक पैक कुहासा अग्नि शमन इकाई सहित बृहद मोटर साइकिल | 60 | |
| चित्र 15 500 लीटर क्षमता सहित लघु वाहन जल कुहासा अग्नि शमन इकाई | 61 | |
| चित्र 16 लघु 500 लीटर क्षमता वाला जल कुहासा अग्नि शमन वाहन | 62 | |
| चित्र 17 नमूना भूमिगत जल भंडारण टंकी | 63 | |

रेखाचित्रों की सूची

| रेखाचित्र | ब्यौरे | पृष्ठ |
|--|--------|-------|
| रेखाचित्र 1 राज्य की प्रशासनिक संरचना | 23 | |
| रेखाचित्र 2 राज्य की अग्नि शमन सेवा की महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचनाएं | 24 | |
| रेखाचित्र 3 नौ शर्तें और उनका अनुपालन | 33 | |

सारणियों की सूची

| सारणी | ब्यौरे | पृष्ठ |
|----------|---|-------|
| सारणी 1 | कार्बवाई बिंदु | 5 |
| सारणी 2 | 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.147 के आधार पर संकलन–राज्य–वार आवंटन | 30 |
| सारणी 3 | 13वें वित्त आयोग की सारणी 10.4 – स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान | 32 |
| सारणी 4 | 13वें वित्त आयोग की सारणी 12.1 – राज्यों को सहायता अनुदान | 34 |
| सारणी 5 | 13वें वित्त आयोग की सारणी 12.6 – राज्य के लिए सहायता अनुदान–विशिष्ट आवश्यकता | 36 |
| सारणी 6 | अधिकारियों के लिए पाठ्यचर्चा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विशिष्ट कोर्सों का सारांश | 56 |
| सारणी 7 | अग्नि शमन वाहनों/पंपिंग इकाई की संख्या निर्धारित करने के लिए पैमाना | 60 |
| सारणी 8 | वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर | 62 |
| सारणी 9 | मानवशक्ति | 63 |
| सारणी 10 | प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र में मानवशक्ति | 64 |
| सारणी 11 | नियंत्रण कक्ष | 64 |

1

अधिशासी सारांश और राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्वाई बिंदु

1.1 कार्य-विधि

1.1.1 देश में अग्नि शमन संबंधित दक्षता बढ़ाने, अस्वीकार्य मौतों और संपत्ति के भारी नुकसान को रोकने के लिए सभी राज्यों में एक सचेत, योजनाबद्ध और कृतसंकल्प प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने महसूस किया कि अग्नि शमन केंद्रों को स्थापित करने, विभिन्न स्तरों पर उनके विस्तार, उनके स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और मानवशक्ति के प्रशिक्षण के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में अग्नि शमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां प्रदान करने के लिए उच्चतम स्तरों पर निरंतर चर्चा में शामिल था। जहां निधिकरण के लिए निश्चित उपाय 13वें वित्त आयोग द्वारा किए गए हैं, वहीं यह देश की पूर्ण आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए, 13वें वित्त आयोग के अनुदान को कैसे प्रचालनरत किया जाए और शेष निधियां योजना आयोग के माध्यम से कैसे जुटाई जाएं, इसका सुझाव दिया गया है। उपकरण का न्यूनतम मानक क्या होना चाहिए, और देश में ग्रामीण क्षेत्रों तक अग्नि शमन सेवाओं का विस्तार कितना हो इसका भी निर्धारण किया जा रहा है।

1.1.2 इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए, राज्य अग्नि शमन सलाहकार परिषद, गृह मंत्रालय के सदस्यों और देश के अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक प्रमुख समूह गठित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी गई थी कि इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। इस प्रमुख समूह की पहली बैठक 22 मार्च, 2010 को हुई। भारत की अग्नि शमन सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा किए गए मुद्दों के आधार पर एक प्रारूप दिशानिर्देश तैयार

करने का निर्णय लिया गया था। श्री जे. के. सिन्हा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में एक प्रारूप तैयार करने के लिए इस प्रमुख समूह के सदस्यों में से एक लघु समूह चयनित किया गया था। इस लघु समिति की कई बैठकें हुई थीं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

1.1.3 इन दिशानिर्देशों के प्रारूपण के दौरान 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के जारी होने पर वित्त आयोग की सिफारिशों की जटिलताओं पर चर्चा करने के लिए बृहद प्रमुख समूह की बैठक पुनः बुलाना आवश्यक महसूस किया गया था। यह बैठक 9 सितम्बर, 2010 को आयोजित हुई थी और अग्नि शमन सेवाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में पुनः चर्चा की गई थी। सदस्यों और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को मौखिक रूप से स्पष्ट किया गया था कि उन्हें 13वें वित्त आयोग द्वारा दी गई निधियों उन तक पहुंचने के लिए तत्काल क्या उपाय करने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को प्रचालनरत करने के लिए एक अध्याय भी इन दिशानिर्देशों में जोड़ा जाना चाहिए।

1.1.4 तैयार किए गए अंतिम प्रारूप को सभी राज्यों और संबंधित हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। इसे केवल तभी अंतिम रूप दिया गया जब सभी टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो गए, उनकी जांच की गई और इन दिशानिर्देशों में समाप्तित किया गया। तब प्रारूप पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई तथा उसकी समीक्षा की गई।

1.1.5 ये दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि वे संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

- क. यह दिशानिर्देश 13वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों तक पूर्णतः पहुंचने और राज्य की अग्नि शमन सेवाओं पर सुविधाजनक रूप से व्यय करने के लिए एक समग्र कार्यनीति तैयार करने में राज्य की सहायता करेंगे।
- ख. चूंकि 13वें वित्त आयोग की निधियां स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य की संपूर्ण आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती इसलिए यह दिशानिर्देश राज्य को योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शेष आवश्यकता हेतु एक व्यापक राज्य पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भी राज्य को समर्थ बनाएंगे।

ग. यह दिशानिर्देश अग्नि संबंधी खतरों के संबंध में भारत को बेहतर मुस्तैद तथा अधिक लचीला बनाएगा।

1.2 दिशानिर्देशों की संरचना

- 1.2.1 इन दिशानिर्देशों में सात अध्याय शामिल हैं, जिनका व्यौरा निम्नानुसार है।
- 1.2.2 भारत में अग्नि शमन सेवाएं और इसकी वर्तमान स्थिति पर अध्याय-2 भारत में अग्नि शमन सेवा के क्रमिक विकास, अग्नि संबंधी घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, अग्नि शमन सेवाओं में कमियों, अग्नि शमन केंद्रों की स्थापना के लिए बुनियादी मानदंडों, अग्नि शमन केंद्रों की समग्र कमियों, देश में उपस्कर और अग्नि शमन कार्मिकों, भारत में अग्नि शमन सेवाओं के विकास की धीमी गति, हाल की अग्नि संबंधी घटनाओं में भी देखी गई कमियों का संक्षिप्त इतिहास प्रदान करता है।
- 1.2.3 आपातिक आवश्यकताओं और हाल के प्रयास पर अध्याय-3 संपूर्ण राज्य के लिए अग्नि शमन सेवाओं का पुनर्गठन करने हेतु एक व्यापक आयोजना की आवश्यकता, प्रत्येक राज्य में अग्नि शमन अधिनियम के अधिनियमन की आवश्यकता, जहां यह नहीं किया गया है वहां प्रांतीयकरण की आवश्यकता, अग्नि शमन सेवा के लिए पूर्ण प्रशासनिक संरचना की स्थापना, अपेक्षित अवसंरचना सृजित करने की आवश्यकता, नई प्रौद्योगिकियां अपनानेय अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यकता आदि जैसी देश में अग्नि शमन सेवा की विभिन्न तात्कालिक आवश्यकताओं से संबंधित है। देश की अन्य आपदा असुरक्षितताओं को ध्यान में रखते हुए, अग्नि शमन सेवा की एक बहु-खतरा बचाव इकाई में परिवर्तित करने की संभाव्यता पर भी चर्चा की गई है। हाल की पहलों पर चर्चा करते हुए अध्याय संपूर्ण देश में अग्नि शमन सेवा के सुधार के लिए पूर्ण कार्यनीति से भी संबंधित है।
- 1.2.4 तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रचालनीकरण कार्यनीति और कार्य योजना पर अध्याय-4 देश में अग्नि शमन सेवाओं से संबंधित 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पूर्ण सार प्रदान करता है। यह विभिन्न राज्यों को विभिन्न प्रत्यक्ष सहायता-अनुदानों तथा अपने क्षेत्राधिकार में अग्नि शमन सेवाओं पर व्यय करने के लिए निर्देश के साथ 13वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को किए गए आवंटनों से भी संबंधित है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यनिष्पादन अनुदान तक पहुंच के लिए

निर्धारित शर्तें और इस प्रयोजनार्थ की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों के पूर्ण सेट की ओर भी इस अध्याय में इंगित किया गया है।

1.2.5 अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना पर अध्याय-5 राज्यों को अपनी योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए शामिल विभिन्न मुद्दों की चर्चा करता है। यह न केवल देश में सभी जिलों के लिए योजनाएं तैयार करने में सहायता करेगा बल्कि दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए भी योजना तैयार करने में सहायता होगा। इसे आवश्यक महसूस किया गया क्योंकि विशेष रूप से, अग्नि संबंधी खतरा कार्रवाई प्रशमन योजना की तैयारी और राज्य के राजपत्र में उसका प्रकाशन उन नौ शर्तों में से एक है जिसकी अपने कार्यनिष्पादन अनुदान का हिस्सा आहरित करने के लिए पात्र होने हेतु राज्यों द्वारा पूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अन्य उपायों के साथ अगर यह योजना अपने राज्य में सभी दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों (2001 की जनगणना) के लिए संबंधित राज्यों द्वारा तैयार नहीं की जाती और राज्य के राजपत्र में अधिसूचित नहीं की जाती तो राज्य कार्यनिष्पादन अनुदान को हकदारी के बिना आहरित करने में समर्थ नहीं होंगे। इस योजना का पूर्ण विस्तृत प्रारूप दिया गया है ताकि राज्य अपनी योजना तैयार करने और उसे अधिसूचित कराने में सुविधाजनक महसूस करें। दस लाख से अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाले नगरों की सूची अनुबंध-3 में है।

1.2.6 प्रशिक्षण पर अध्याय-6 प्रवेश स्तर से ही अपेक्षित प्रशिक्षण में स्तरों, सेवा के दौरान विभिन्न संवर्धनात्मक बुनियादी प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण से संबंधित है। अन्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, जो अपेक्षित हो सकते हैं, का भी वर्णन किया गया है।

1.2.7 अग्नि शमन केंद्रों, उपस्करणों और मानवशक्ति के स्तर निर्धारण पर अध्याय-7 विभिन्न किस्मों के अग्नि संबंधी खतरों के लिए आवश्यक उपस्कर, अग्नि शमन केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंड, कार्रवाई अवधि आदि से संबंधित है। यह विशेष उपकरणों की आवश्यकता और संबंधित राज्यों की असुरक्षितता विश्लेषण के अनुसार उनकी स्थिति से भी संबंधित है।

1.3 कार्बाई बिंदु

1.3.1 केंद्र और राज्य सरकारों, मंत्रालयों और शहरी स्थानीय निकायों की सुविधा के लिए इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित कार्बाई बिंदु निम्नानुसार हैं :

सारणी—1

| पृष्ठ संख्या | कार्बाई बिंदु | समय—सीमा | उत्तरदायी अभिकरण |
|--------------|---|--|----------------------------------|
| 17 | एक अग्नि शमन अधिनियम का अधिनियमन ताकि राज्य में अग्नि संबंधी असुरक्षितताओं पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जा सके। अधिनियम को अन्य बातों के साथ—साथ उन भवनों और परिसरों, जिन्हें राज्य स्वयं उनकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा करते हुए खतरनाक समझे, के लिए अग्नि शमन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति के लिए एक कानूनी प्रणाली प्रदान करना चाहिए। क्षेत्र विकसित होने के साथ चरणबद्ध तरीके से समय—समय पर मानकों के संशोधन का प्रावधान होना चाहिए। अधिनियम में साथ ही नामोदिष्ट अग्नि शमन अधिकारी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिसे नियमित कृत्रिम अभ्यास आयोजित करना तथा बड़े स्थानों में अग्नि निवारण संबंधित प्रणालियों का रख—रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें अग्नि शमन सेवा के सुचारू विकास के लिए उचित संवर्ग योजना शामिल करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए अग्नि संबंधित कर/लेवी की व्यवस्था की जा सकती है और इस प्रकार सृजित राजस्व को अग्नि शमन सेवा द्वारा अपेक्षित सामान्य सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अग्नि शमन सेवा के सुधार और अनुरक्षण के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। (पैरा : 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार |
| 18 | राज्य में अग्नि शमन सेवा को पुनर्गठित करने के लिए एक समग्र योजना तैयार करना। राज्य की असुरक्षितताओंय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा अग्नि शमन | जितना शीघ्र संभव हो / अधिकतम दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए | राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय |

| पृष्ठ संख्या | कार्यवाई बिंदु | समय—सीमा | उत्तरदायी अभिकरण |
|--------------|--|--|------------------------------------|
| | सेवा के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर खतरनाक उद्योगों को वर्गीकरण के आधार पर उपकरण तथा अग्नि शमन केंद्रों की पूर्ण आवश्यकता का परिकलन। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुदान से कितना प्राप्त किया जा सकता है और राज्य की पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कितना प्राप्त किया जाना होगा, इसे अंतिम रूप देना। (पैरा : 3.3.1) | कि 13वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के बाद 2 वर्ष बीत चुके हैं और अगली पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य की योजनाएं भी शीघ्र तैयार की जानी हैं। | |
| 19 20 | बुनियादी अवसंरचना अग्नि शमन केंद्र, जल के प्रारक्षित भंडार, प्रशिक्षण केंद्र आदि सृजित करना। (पैरा : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 2.4.6, 3.4.7, 3.4.8) | | |
| 21 22 | अग्नि शमन सेवाओं का और विस्तार करना, अग्नि शमन केंद्रों/पदों को प्रारंभ में स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित अवसंरचना/और उपकरण के साथ कम से कम उप-प्रभागीय स्तर तक और अंततः प्रखंड तथा ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित किया जाना चाहिए (पैरा : 3.5.1., 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8) | संपूर्ण राज्य के लिए योजना की रूपरेखा एक वर्ष के भीतर तैयार की जानी चाहिए और इसको एक चरणबद्ध योजनाबद्ध, और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। | राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकाय |
| 22 | अग्नि शमन सेवा का प्रांतीयकरण इसे एक व्यावसायिक अग्नि शमन कार्यों के अधीन रखना (पैरा : 3.6.1) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार |
| 23 | अग्नि शमन सेवा के लिए उचित पर्यवेक्षीय संरचना प्रारंभ करना। (पैरा : 3.7.1) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकाय |
| 23 | राज्य की प्रशासनिक संरचना के अनुसार अग्नि शमन सेवाओं के पर्यवेक्षीय स्तरों का सृजन (पैरा : 3.7.2) | | |

| पृष्ठ संख्या | कार्रवाई बिंदु | समय—सीमा | उत्तरदायी अभिकरण |
|--------------|--|--|--|
| 24 | राज्य स्तर पर अग्नि शमन सेवाओं के प्रमुख (पैरा : 3.8.1) | | |
| 24 | जिला स्तर पर अग्नि शमन प्रभारी। (पैरा : 3.9.1) | | |
| 25 | अग्नि शमन सेवा को असुरक्षितताओं के अनुसार अन्य स्थानीय आपदाओं से निपटने देने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित एक बहु—खतरा बचाव कार्रवाई इकाई में परिवर्तित करना। (पैरा : 3.10.1) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय |
| 25 | समुदाय की तैयारी और जागरूकता सुनिश्चित करना। एक उचित मंच प्रदान करना, जो समुदाय को एक प्रभावी तथा संगठित तरीके से जब भी अपेक्षित हो कृत्रिम अभ्यास के माध्यम से कार्रवाई हेतु समर्थ बनाने के लिए नियमित / स्थायी आधार पर संगठित और प्रशिक्षित रखेगा। (पैरा : 3.11.1, 3.11.2) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय |
| 26 | कम जल की खपत करने वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास ताकि उपकरण सस्ते मूल्य पर भारतीय अग्नि शमन सेवा को सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकें। (पैरा : 3.12.1) | यह एक निरंतर और दीर्घ अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है परंतु तत्काल पहल की जानी चाहिए। | राज्य सरकार / डीआरडीओ / आईआईटी / एनआईटी / निजी क्षेत्र |
| 33 | कार्यनिष्पादन अनुदान के आवंटन का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने कि शहरी स्थानीय निकाय अग्नि शमन सेवाओं पर भी धनराशि व्यय करते हैं, के लिए 13वें वित्त आयोग की शर्तों का अनुपालन (पैरा : 4.2.1.2) | 1 वर्ष के भीतर तत्काल | राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय |
| 37 38 | शहरी स्थानीय निकाय और अन्य विभागों, जो जैसा भी मामला हो राज्य में अग्नि शमन सेवा चला रहे हों, के बीच अग्नि संबंधी खतरा कार्रवाई प्रशमन योजना की तैयारी के लिए जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व निर्धारित करना। (पैरा : 4.4.1, 4.4.2) | 1 वर्ष के भीतर तत्काल | राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय |

| पृष्ठ संख्या | कार्यवाई बिंदु | समय—सीमा | उत्तरदायी अभिकरण |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 39 | उन राज्यों, जहां अग्नि शमन सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों के पास नहीं हैं, में अग्नि शमन सेवा चलाने वाले अन्य विभागों को शहरी स्थानीय निकायों से निधियों के सुचारू स्थानांतरण के लिए एक कार्यतंत्र/प्रक्रिया स्थापित करना। (पैरा : 4.5.2 (क), (ख), 4.5.3) | 1 वर्ष के भीतर तत्काल | राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकाय |
| 51 52 | अग्नि शमन कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता भी 10+2 तक बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इसे अधिकारी ग्रेड के स्तर में प्रवेश के लिए बढ़ाया जा चुका है। (पैरा : 6.5.1, 6.5.2) | 1 से 2 वर्ष | गृह मंत्रालय/ एनएफएससी |
| 54 55 | नए प्रवेशकर्ताओं, सेवाकालीन और संवर्धनात्मक कोर्सों हेतु प्रत्येक राज्य में सिमुलेटर्स और पर्याप्त उपकरणों जैसी आधुनिक प्रशिक्षण सहायक सामग्री सहित पर्याप्त आधारढांचा संकाय और सुविधाओं के साथ राज्य स्तर पर एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना (पैरा : 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार |
| 57 58 | अग्नि शमन केंद्र का स्तर—निर्धारण (पैरा : 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकाय |
| 58 | एक अच्छी संचार प्रणाली की स्थापना करना (पैरा : 7.3.1, 7.3.2) | 1 से 2 वर्ष | राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकाय |

2

भारत में अग्नि शमन सेवाएं और इनकी वर्तमान प्रास्थिति

2.1 भारत में अग्नि शमन सेवाओं का क्रमिक विकास

2.1.1 भारत में अग्नि शमन सेवाओं का विकास बहुत हद तक ब्रिटेन के साथ भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंध द्वारा प्रभावित था। भारत में नियमित अग्नि शमन सेवाएं पहले बंबई (मुंबई) और कलकत्ता (कोलकाता) में प्रारंभ हुईं।

2.1.2 बंबई में बड़ा अग्नि कांड वर्ष 1803 में हुआ और अग्नि शमन कार्य पुलिस को सौंपने के साथ भारत में अग्नि शमन सेवा के पहले केंद्र ने आकार रूप लिया। वर्ष 1832 में कलकत्ता पुलिस के अधीन कलकत्ता में अग्नि शमन सेवा संगठित की गई। वर्ष 1855 में बंबई फायर ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर गठित किया गया और एक अंशकालिक कार्य के रूप में उसे औपचारिक रूप से पुलिस के अधीन रखा गया। वर्ष 1864 में उसे संयुक्त रूप से सरकार और नगर निगम के पास रखा गया। वर्ष 1872 में कलकत्ता फायर ब्रिगेड का वित्तपोषण कलकत्ता नगर निगम द्वारा किया जाने लगा। नगर निगम अधिनियम 1872 और 1878 द्वारा बीमा कंपनियों को फायर ब्रिगेड के रखरखाव के लिए अंशदान देने के लिए कहा गया था। वर्ष 1888 में बंबई नगर निगम अधिनियम के माध्यम से अग्नि के विरुद्ध सुरक्षा देना बम्बई नगर निगम के लिए अनिवार्य हो गया। नगर में विध्वंसकारी अग्नि कांड के बाद मद्रास के नगर निगम द्वारा वर्ष 1908 में मद्रास नगर फायर ब्रिगेड को स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में वर्ष 1867 में ही फायर ब्रिगेड था परंतु अग्नि शमन केंद्र का संगठित रूप वर्ष 1896 में प्रारंभ हुआ और वह नगर निगम के अधीन था। इस समय, दिनांक 10 नवम्बर, 1994 से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के अधीन दिल्ली का अपना खुद का अग्नि शमन सेवा अधिनियम है।

2.1.3 जबकि ब्रिटेन में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा प्रारंभ की गई थी वहीं भारत में ऐसी कोई अग्नि शमन सेवा गठित नहीं की गई थी। तथापि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपाय के रूप में भारत में अग्नि शमन सेवा संगठित करने और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की गई थी और इसलिए कुछ नए फायर ब्रिगेड स्थापित किए गए थे। नागरिक सुरक्षा में सहायक अग्नि शमन सेवाओं की संकल्पना भी प्रारंभ की गई थी, परंतु इसने देश में कभी भी ठोस रूप नहीं लिया। भारत में फायर ब्रिगेड विदेशी (हेटरोजिनीयस) प्रभाव के अधीन रहीं और उनमें से अधिकांश के पास अपर्याप्त उपकरण थे तथा उनका संगठन बिखरावपूर्ण था।

2.2 वर्तमान प्रास्थिति

2.2.1 भारत में अग्नि शमन सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अधीन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का निष्पादन नगर निगमों के सीमा क्षेत्र के अधीन आता है। इस समय, अग्नि निवारण और अग्नि शमन सेवाएं संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संगठित की जाती हैं।

2.2.2 देश के विभिन्न राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं में कमियों और उनके उन्नयन की आवश्यकता के दृष्टिगत, भारत सरकार ने वर्ष 1956 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी अग्नि शमन सलाहकार समिति गठित की। समिति का अधिदेश अग्नि शमन सेवाओं से संबंधित तकनीकी समस्याओं की जांच करना और संपूर्ण देश में अग्नि शमन सेवाओं के तीव्रतर विकास और उन्नयन के लिए भारत सरकार को सलाह देना था। इस समिति का वर्ष 1980 में स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के रूप में दोबारा नामकरण किया गया। इस समिति/परिषद में प्रत्येक राज्य अग्नि शमन सेवा तथा साथ ही गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व है।

2.2.3 गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अग्नि शमन सेवाएं इन राज्यों के संबंधित नगर निगमों के अधीन हैं। अन्य शेष राज्यों में यह गृह विभाग के अधीन हैं। जबकि कुछ राज्यों ने स्वयं अपना अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित किया है वहीं कुछ ने ऐसा नहीं किया है। कुछ राज्यों में इसे राज्य अग्नि शमन सेवा कहा जाता है जबकि कुछ राज्यों में इसे राज्य अग्नि शमन और आपातकालीन सेवा कहा जाता है। यह स्वाभाविक है कि उपकरणों की किस्म तथा अग्नि शमन सेवा के स्तर-निर्धारण और मानवशक्ति के प्रशिक्षण के संबंध में कोई मानकीकरण नहीं है। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों और अग्नि शमन सेवाओं के लिए प्रदान की गई निधियों के अनुसार इसका विकास हुआ है। इस समय, एकमात्र अग्नि शमन सेवाएं, जो आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, नगर निगम और राज्य अग्नि शमन सेवाएं हैं। तथापि, विमानपत्तन प्राधिकरण, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र बलों के वर्गों की स्वयं अपनी अग्नि शमन सेवाएं हैं और कई बार आवश्यकता पड़ने पर ये स्थानीय अग्नि शमन सेवाओं की सहायता के लिए तुरंत आती हैं।

2.2.4 राज्य अग्नि शमन सेवाओं की स्वयं अपनी संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक ढांचा, निधिकरण कार्यतंत्र, प्रशिक्षण सुविधाएं और उपकरण होते हैं। भारत में अग्नि शमन सेवाओं पर फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी उसे आवश्यकता है और वह जिसका पात्र है। व्यापक विकास योजना और पर्याप्त निधियों के साथ उसे पुनरुज्जीवित करने का बहुत थोड़ा योजनाबद्ध और दृढ़ प्रयास हुआ है।

2.3 भारत में अग्नि संबंधी घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति

2.3.1 देश में दुर्घटनात्मक अग्नि कांड के कारण मृत्यु की घटनाएं अत्यधिक चिंताजनक हैं। आंकड़े

दर्शाते हैं कि वर्ष 2006 में 19,222 मौतों की तुलना में वर्ष 2007 में कुल 20,772 मौतें हुई थी। यह प्रवृत्ति वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है और राज्यों को अपनी अग्नि शमन सेवाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.3.2 भारत में पिछले चार दशकों में हुए कुछ बड़े अग्नि कांड निम्नानुसार हैं¹

- i. दिनांक 31 जनवरी, 1974 को आतिशबाजी के उत्पादों की रेल द्वारा ढुलाई में विस्फोट से इलाहाबाद में 42 लोगों की मृत्यु हुई;
- ii. दिनांक 29 जुलाई, 1979 को तूतीकोरिन, तमिलनाडु में एक सिनेमा हाल में अग्नि कांड के कारण कुल 78 लोगों की मृत्यु हुई और 88 लोग घायल हुए;
- iii. वर्ष 1981 में, इसी प्रकार मेट्रोपल्टी में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में महिलाओं और बच्चों सहित 32 कामगारों की मृत्यु हुई;
- iv. वर्ष 1992 में थारिया और लुधियाना में आतिशबाजी के कारण हुई आपदाओं में भयावह विस्फोट कांड की दो अलग—अलग घटनाओं में क्रमशः 25 और 40 लोगों की मृत्यु हुई;
- v. दिनांक 25 मई, 1995 को रोहतक, हरियाणा में पटाखे के कारखाने में हुए विस्फोट से 23 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 13 महिलाएं, 6 बच्चे और 4 पुरुष शामिल थे;
- vi. दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 को डबवाली, हरियाणा में स्कूल के एक समारोह में हुए अग्नि कांड में 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 300 लोग घायल हुए;
- vii. वर्ष 1995 में दिल्ली में एक सिनेमा थियेटर में हुए अग्नि कांड में 60 से अधिक लोग मारे गए और कई सौ लोग घायल हुए;
- viii. दिनांक 9 जून, 1997 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में बृहदेश्वरा मंदिर में दुर्घटनावश हुए अग्नि कांड में भागने की भगदड़ में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 250 लोग घायल हुए;
- ix. फरवरी, 1997 में, बारीपदा, ओडिशा में एक धार्मिक समारोह में हुए अग्नि कांड के कारण कम से कम 204 लोगों की मृत्यु हुई;
- x. दिनांक 7 नवम्बर, 1999 को सोनीपत, हरियाणा में कम से कम 45 लोगों (मृतकों में 16 महिलाएं और आठ बच्चे शामिल थे) की मृत्यु हुई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जब बाजार में किसी हाई-टेंशन तार से चिन्नारियां निकलकर पटाखे की दुकान और आसपास के कपड़ों की दुकानों पर जा गिरीं। लगभग 25 दुकानें, जिसमें से कुछ दुकानें प्लास्टिक के सामान बेचने वाली थीं, पूर्णतः जल गईं;
- xi. नवम्बर, 2002 में कम से कम 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 लोग (पांच गंभीर दशा में) घायल हुए जब पटाखा ले जाने वाली वैन में दो गैस सिलिंडरों में विस्फोट हो गया, जिससे सेलम के समीप आथुर में कई आसपास के घर ढह गए। मृतकों में सात पुरुष, पांच महिलाएं और पांच बच्चे शामिल थे। सड़क के दोनों तरफ 15 घर विस्फोट में गिर गए, जिससे उसके भीतर लोग फंस गए

¹ स्रोत : www.ncrb.nic.in

- तथा उनकी मृत्यु हो गई। एक भवन में रखे पटाखे, दो गैस सिलिंडर ले जा रही वैन में रखे जा रहे थे। वैन आग में जल गई;
- xii. दिनांक 4 नवम्बर, 2004 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में एक विस्फोट हुआ, जब चायना बाजार क्षेत्र में एक पटाखा निर्माता द्वारा अनधिकृत तरीके से रखे विस्फोटकों में आग लग गई। इस घटना में 13 लोगों की मृत्यु हुई और अन्य 13 गंभीर रूप से घायल हुए। कई आसपास के अन्य घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। यह एक गैर कानूनी कारखाना था और उसके पास पटाखे बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था;
 - xiii. दिनांक 16 जुलाई, 2004 को कुंभाकोणम में एक स्कूल में आग लग गई जिससे प्राथमिक स्कूल के 93 बच्चों की मृत्यु हुई;
 - xiv. दिनांक 1 नवम्बर, 2005 को नागापट्टीनम, तमिलनाडु में सूनामी से बचे कई सौ लोग अपने अस्थायी आश्रय स्थल के आग में भस्म हो जाने के बाद दोबारा बेघर हो गए। यह आग दीवाली मनाने के लिए लाए गए आतिशबाजी के पटाखों में लग जाने से प्रारंभ हुई थी। प्रभावित 90 परिवारों को दुबारा एक स्थानीय हॉल में आश्रय दिया गया;
 - xv. दिनांक 15 सितम्बर, 2005 को खुसरूपुर गांव (बिहार के पूर्वी राज्य अर्थात् राज्य की राजधानी पटना से 22 मील पूर्व में स्थित) में आग में तीन गैर-कानूनी पटाखे की फैक्टरी जल गई; जिससे कम से कम 35 लोगों की मृत्यु हुई और 50 लोग घायल हुए। फैक्टरियां गांव में तीन घरों में चलाई जा रही थीं। यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और शीघ्र ही फैक्टरी में रखी ज्वलनशील सामग्री तक फैल गई;
 - xvi. दिनांक 22 फरवरी, 2006 को तमिलनाडु में एक आतिशबाजी की फैक्टरी में लगी आग से 10 लोगों की मृत्यु हुई और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह आग वृक्षों के नीचे नियम विरुद्ध सुखाए जा रहे रॉकेट के ढेर में विस्फोट से लगी और परिणामी आग तत्काल उस शेड तक फैल गई, जहां “पैकेट में तैयार रॉकेट” रखे गए थे और वहां से वह आग अन्य शेडों तक फैल गई;
 - xvii. दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक व्यापार मेले में आग लग गई, जिससे 57 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हुए;
 - xviii. दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर तेल डिपो में आग लग गई, जिसमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 150 व्यक्ति घायल हुए। इस आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और यह अपने आप बुझ गई; और
 - xix. दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को एएमआरआई अस्पताल, कोलकाता में आग लग गई, जिसमें 90 रोगियों को नहीं निकाला जा सका और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई।

2.3.3 स्वतंत्र भारत में, स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद व्यापक रूप से विचार-विमर्श करती रही है और अग्नि शमन सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार को नियमित रूप से विभिन्न सिफारिशें करती रही है। स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद ने वर्ष 1956 में ही भारत में अग्नि शमन सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की थी तथा सभी राज्यों में एकसमान अग्नि शमन सेवा विधान की भी सिफारिश की थी।

स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद ने एक मॉडल अग्नि शमन सेवा विधेयक भी तैयार किया था और उसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17/10/1958 के पत्र संख्या 28/02/56-ईआर-II द्वारा सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। कुछ राज्यों ने अभी तक स्वयं कोई अपना अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित नहीं किया है। उन राज्यों, जिन्होंने अपना अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित नहीं किया है, की सुविधा के लिए एक से दो वर्ष के भीतर एक अधिनियम अधिनियमित करने के निर्देश से मॉडल अग्नि शमन सेवा विधेयक की एक प्रति अनुबंध-1 में संलग्न की जा रही है।

2.4 वर्तमान प्रणाली में कमियां

2.4.1 अपने नियमित विचार-विमर्श में स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद ने भारत में अग्नि शमन सेवाओं में निम्नलिखित कमियां देखी हैं।

निम्नलिखित की कमी हैं :

- क. कुछ राज्यों में एकीकृत अग्नि शमन सेवाएं;
- ख. उचित संगठनात्मक संरचना, इसके कार्मिकों का प्रशिक्षण और जीवनवृत्ति (करिअर) प्रगति;
- ग. पर्याप्त आधुनिक उपकरण और उनका स्तर-निर्धारण प्रमाणीकरण और मानकीकरण;
- घ. उपयुक्त और पर्याप्त निधिकरण;
- ड. प्रशिक्षण संस्थान;
- च. अवसंरचनात्मक सुविधाएं – अग्नि शमन केंद्र और कार्मिकों के आवास आदि;
- छ. असुरक्षितता विश्लेषण;
- ज. जन जागरूकता (क्या करें और क्या न करें), नियमित कृत्रिम अभ्यास तथा सुरक्षित निकास कवायद का संचालन; और
- झ. कुछ राज्यों में एकसमान अग्नि सुरक्षा विधान।

2.5 अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने के लिए स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के मानदंड

2.5.1 स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद ने अग्नि शमन केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। उनकी स्थापना के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं :

- क. प्रत्युत्तर अवधि (शहरी क्षेत्रों में 3 से 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट),
- ख. अग्नि शमन सेवा के लिए आशयित जनसंख्या का पैमाना; और
- ग. न्यूनतम मानक के उपकरणों की संख्या; जिनकी आवश्यकता है और उसके प्रचालन के लिए अपेक्षित मानवशक्ति।

ज्ञातः स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद की सिफारिशों का संकलन

2.6 देश में व्याप्त समग्र कमी

2.6.1 स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर अग्नि शमन केंद्रों के, अग्नि शमन वाहनों और कार्मिकों के संबंध में मौजूदा कमियां निम्नानुसार हैं।

- क. अग्नि शमन केंद्र – 97.54%,
- ख. अग्नि शमन वाहन और बचाव वाहन – 80.04% और
- ग. अग्नि शमन कार्मिक – 96.28%।

स्रोत : स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद की सिफारिशों का संकलन

2.7 अग्नि शमन सेवाओं के विकास की धीमी गति

2.7.1 यद्यपि, देश में अग्नि शमन सेवाओं के सुधार के लिए स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा नियमित रूप से चर्चा की गई है, फिर भी स्पष्ट रूप से अभिज्ञात कमियां और की गई विभिन्न सिफारिशें बहुत कम हैं अथवा बेहतर रूप से तैयार होने के लिए बहुत विलंबित/अपर्याप्त उपाय किए गए हैं। इसका परिणाम यह है कि यहां तक कि अभी हाल की अग्नि संबंधी घटनाओं में उतना प्रत्युत्तर (रिस्पांस) नहीं रहा जितना होना चाहिए। यहां तक कि आज भी परिहार्य मृत्यु तथा संपत्ति की हानि का होना जारी है। ऐसे अनावश्यक जान–माल की हानियों वाली कुछ हालिया घटनाएं निम्नानुसार हैं।

- क. कोलकाता – बड़ा बाजार – दिनांक 12 जनवरी, 2008। 2500 दुकानें जल गई; करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। आग पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका और कई दिनों तक बुझाया नहीं जा सका, संकरी गलियों के कारण आग के स्रोत तक पहुंचना कठिन पाया गया था और उसे बुझाने के लिए पर्याप्त जल की भी कमी थी।
- ख. जयपुर – आईओसी डिपो – 30 अक्टूबर, 2009। 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 200 घायल हुए, आसपास से 5 लाख लोग बचाए गए। तेल की आग बुझाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होने के कारण एक सप्ताह से अधिक तक आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका।



मेहता बिल्डिंग – बड़ा बाजार, कोलकाता में आग में जलती दुकान मेहता बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए खिड़की तोड़ते अग्नि शमन कर्मी



आग लगने के दौरान आईओसी जयपुर डिपो, जयपुर

यह तभी बुझी जब आग स्वयं बुझ गई।

- ग. कोलकाता – पार्क स्ट्रीट – 23 मार्च, 2010
 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई; यहां तक कि टैरेस के दरवाजे की चाबी गुम होने के कारण फंसे कुछ व्यक्ति टैरेस पर जाकर आग से बच नहीं पा सकने के कारण नीचे कूद कर मर गए। यातायात संकुलन (जाम) के कारण हाइड्रॉलिक सीढ़ी भी समय पर नहीं पहुंच सकी। यह शहर से काफी दूर स्थित और कई ऊँची इमारतों वाले कोलकाता के व्यावसायिक केंद्र बेहाला क्षेत्र में एक गैरेज में रखी हुई थीं।
- घ. एएमआरआई अस्पताल – कोलकाता में दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को आग लगी, 90 रोगियों को नहीं निकाला जा सका और उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। अस्पताल में कोई अग्नि शमन उपकरण नहीं था और समुदाय, जो आना और सहायता करना चाहते थे, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें रोके जाने के कारण वे अंदर प्रवेश करना कठिन भी पा रहे थे।



पार्क स्ट्रीट हेरिटेज बिल्डिंग, कोलकाता में लगी आग



एएमआरआई, अस्पताल, कोलकाता में आग लगने की प्रारंभ में स्थिति एएमआरआई, अस्पताल, कोलकाता में बाद में अग्नि कांड की स्थिति

- 2.8 यह स्थिति चिंताजनक है और इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों में सभी घनी आबादी, महत्वपूर्ण और खतरनाक अवस्थाओं में असुरक्षितता विश्लेषण करना, उपकरणों और मानवशक्ति का आकलन और नियतन, लोगों में क्या करें और क्या न करें से संबंधित जागरूकता फैलाना सभी राज्यों के लिए अत्यावश्यक हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और अगर वे घटती हैं तो उनसे तत्काल निपटा जा सके।

3

आपातिक आवश्यकताएं और हाल के प्रयास

3.1 परिचय

3.1.1 हाल की और पूर्व की अग्नि संबंधी घटनाओं ने स्पष्टतः संपूर्ण देश में हमारी अग्नि शमन दक्षताओं में कुछ बड़ी कमियां प्रदर्शित की हैं। पूर्वी भारत में एक अस्पताल में हाल में लगी आग लगने की घटना ने अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं में एक और खतरनाक संभावना और आयाम जोड़े हैं। हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी हमारी अग्नि शमन सेवाओं की दक्षताओं पर गंभीरता से नजर डालने की आवश्यकता है। अगर अस्पताल में टेली-चिकित्सा की मशीन क्षतिग्रस्त हो गई होती तो घटना ने पूर्णतः भिन्न रुख लिया होता और यह अधिक खराब दुखद घटना बन गई होती। हमारे देश में मायापुरी की घटना इस बात का अभी हाल का उदाहरण है कि किसी विकिरणकीय उपकरण के क्षतिग्रस्त होने से क्या हो सकता है। हमें यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या हमारी अग्नि शमन सेवाओं के पास आग की ऐसी घटना का प्रत्युत्तर देने की क्षमता है जब विकिरणकीय उपस्कर क्षतिग्रस्त हो जाए। क्या अग्नि शमन सेवाएं प्रत्युत्तर देने में प्रशिक्षित और सज्जित हैं अथवा क्या अन्य विशेषज्ञों के आने तक खतरे को रोकने और प्रतिबंधित रखने में सक्षम हैं। यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यकता से अधिक आवश्यक है कि अग्नि शमन सेवाएं अग्नि की दुर्घटनाओं से उत्पन्न सभी संभव असुरक्षितताओं से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हों। नाभिकीय और विकिरणकीय आपातकाल के लिए रा. आ. प्र. प्रा. (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों में दिए गए अनुदेशों का ऐसी घटनाओं की किस्म के प्रबंधन के लिए अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए और इसे अग्नि शमन कर्मियों के प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग होना होगा क्योंकि विकिरणकीय मशीनों वाले अस्पताल हमारे पूरे देश में फैले हैं।

3.1.2 जब तक सभी राज्यों में एक जागरूक और योजनाबद्ध प्रयास नहीं होता तब तक देश की अग्नि शमन क्षमता में सुधार की संभावना नहीं है और संपत्ति की भारी हानि के साथ अस्वीकार्य मृत्यु की घटना जारी रहेगी। इसलिए ऐसी अकारण मृत्यु और संपत्ति की हानि से बचने के लिए भारत में अग्नि शमन सेवाओं को पुनर्गठित करने की ओर एक योजनाबद्ध और दृढ़ कदम को बढ़ाने की अत्यावश्यकता है।

3.2 प्रत्येक राज्य में अग्नि शमन अधिनियम का अधिनियमन

3.2.1 यह दुखद है कि आज भी कई राज्यों में एक व्यापक अग्नि शमन अधिनियम मौजूद नहीं हैं। संपूर्ण देश में अग्नि की बढ़ती हुई असुरक्षितताओं पर विचार करते हुए, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि

प्रत्येक राज्य स्वयं अपना अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित करे ताकि राज्य में अग्नि की असुरक्षितताओं से पर्याप्त रूप से निपटा जा सके और जान-माल की अस्वीकार्य हानि से बचा जा सके। भारत सरकार ने एक प्रारूप मॉडल अग्नि शमन विधेयक तैयार किया था और वर्ष 1958 में ही इसे सभी राज्यों को परिचालित किया था। उन राज्यों, जिन्होंने स्वयं अपना अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित नहीं किया है, को तत्काल एक वर्ष के भीतर एक उपयुक्त अग्नि शमन अधिनियम अधिनियमित करना चाहिए। संदर्भ के लिए प्रारूप मॉडल अग्नि शमन विधेयक की एक प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है।

3.2.2 अग्नि शमन अधिनियम में विभिन्न आवश्यक प्रावधान : अग्नि के खतरे को रोकने के लिए अग्नि शमन अधिनियम में कानूनी प्रणाली को सभी ऊँची इमारतों, रिहायशी समूहों, कालोनियों, व्यावसायिक केंद्रों, मॉल आदि के लिए अग्नि शमन सेवा विभाग से अनिवार्य स्वीकृति की व्यवस्था करानी चाहिए कि वे अग्नि शमन क्षमताओं में आत्मनिर्भर हैं। इस प्रणाली को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए : क) तेल और प्राकृतिक गैस संस्थापनाओं, ख) अस्पतालों, ग) 100 से अधिक कमरों वाले होटलों, घ) शॉपिंग काम्पलेक्स, ड.) 50 मीटर से अधिक ऊँची इमारत, च) सिनेमा हॉल और छ) स्टेडियम आदि में एक अग्नि शमन अधिकारी, जिसे अग्नि शमन में प्रशिक्षित होना चाहिए और जिसे नियमित अग्नि शमन अभ्यास करना चाहिए, के साथ स्वयं अपनी पर्याप्त अग्नि शमन क्षमता हो। इनमें निकलने का उचित मार्ग तथा सुरक्षित और शीघ्र निकासी के लिए आपातकालीन निकलने का मार्ग आदि जैसे उपस्कर होने चाहिए। संबंधित अग्नि शमन अधिकारी के लिए यह जांच करना अनिवार्य होना चाहिए कि उसके क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रत्येक स्थान में अग्नि शमन क्षमता और निकलने की पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा अग्नि शमन अभ्यास नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं और यह कि वहां रहने वाले लोग इस बात से अवगत हैं कि आग लगने के मामले में क्या किया जाना चाहिए। अग्नि शमन वाहनों के लिए उचित प्रवेश मार्ग तथा ऐसे व्यस्त और असुरक्षित स्थानों में अग्नि शमन उपकरणों के लिए उचित पार्किंग के स्थान का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर दखल का स्थान (रिहायशी जगह) उचित अग्नि सुरक्षा उपस्कर और निकलने/निकास मार्ग जैसी अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो ऐसे दखल स्थानों (रिहायशी जगह) को सील करने का प्रावधान होना चाहिए। यह अधिनियम सुनिश्चित करेगा कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए और सभी स्थानों में लागू किया जाए। चूकर्कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।



बच निकलने का
आपातकालीन मार्ग

3.2.3 राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों को निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा संबंधी स्वीकृति देने के लिए सांकेतिक शुल्क प्रभारित करना चाहिए। नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार सृजित राजस्व का प्रयोग केवल अग्नि शमन सेवाओं के सुधार और रखरखाव के लिए ही किया जाना चाहिए।

3.3 राज्य के लिए समग्र योजना तैयार करना

3.3.1 प्रत्येक राज्य के लिए पहला कदम एक पूर्ण योजना तैयार करना और संपूर्ण राज्य के लिए मानवशक्ति और उपस्कर की पूर्ण आवश्यकता निर्धारित करना है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी खतरनाक उद्योगों का हिसाब रखना आवश्यक है और क्षेत्र का असुरक्षितता विश्लेषण करने के बाद स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपस्करों की आवश्यकता निकाली जानी चाहिए। अपेक्षित अग्नि शमन केंद्रों की संख्या, वाहनों और उपस्करों की संख्या और किस्म का परिकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के बाद यह जांच की जानी चाहिए कि राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुदान में से कितना प्राप्त किया जा सकता है और शेष आवश्यकताओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए और इनको संबंधित राज्य योजना में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.4 बुनियादी अवसंरचना सृजित करना और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाना

3.4.1 बुनियादी अवसंरचना का सृजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार की आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति ने स्पष्टतः निर्धारित किया है कि आपदा प्रबंधन को देश की विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाया लाना चाहिए (पैरा 2.4.1 और 4.2.1)। राज्य सरकार जिले के सभी विकासात्मक कार्यक्रमों के भाग के रूप में ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ करने पर भी विचार कर सकती है।

3.4.2 उचित अग्नि शमन केंद्र : असुरक्षितताओं के आधार पर स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के मानदंडों के अनुसार नए अग्नि शमन केंद्र, उनकी इमारतें और अग्नि शमन सेवा चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अग्नि शमन केंद्र के आकार और भौगोलिक दशा के अनुसार इमारतों की डिजाइन भिन्न-भिन्न हो सकती है। सुविधा के लिए, अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने की बुनियादी आवश्यकता अनुबंध-1ख में दी जा रही है।

3.4.3 जल की कमी से निपटना :

3.4.3.1 प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन : जल की कमी अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही है। अग्नि शमन के लिए जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण



प्राकृतिक जल संसाधन का दोहन



वर्षा जल संचयन

आवश्यकता है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में और भी महत्वपूर्ण हैं जहां विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक बसावट हो रही है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बसावटों के आसपास ही अग्नि शमन के लिए पर्याप्त जल तत्काल उपलब्ध हो। इस प्रयोजनार्थ जल के सभी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन किया जाना आवश्यक होगा।



नमूना भूमिगत जल भंडारण टंकी



अलग करने योग्य जल वाहन (डिटेचेबल वाटर टैंडर)



अग्नि शमन नलका (फायर हाइड्रेन्ट)



वहनीय/बैक पैक (पीठ पर बांधे जाने वाला)

जल कुहासा अग्नि शमन उपस्कर

3.4.3.2 वर्षा जल संचयन : संपूर्ण देश में जल की बढ़ती हुई कमी पर विचार करते हुए, जहां भी संभव और अपेक्षित हो, वर्षा जल संचयन पर भी विचार किया जा सकता है।

3.4.3.3 जल भंडारण टंकियां : आपातकाल में प्रयोग के लिए नगरों के भीतर और अन्य असुरक्षित क्षेत्रों में उपयुक्त और संभावित स्थलों में भंडारण टंकियां निर्मित की जानी चाहिए। टंकियों और जलाशयों का डिजाइन स्थानीय स्थितियों के अनुसार राज्य लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

3.4.3.4 अलग करने योग्य जल वाहन (डिटेचेबल वाटर टैंडर) : उन स्थानों, जहां जल का स्रोत सृजित करने की कोई संभावना नहीं है, में आग से निपटने के लिए बहुत बड़े अलग करने योग्य जल वाहनों की संकल्पना एक समाधान हो सकती है। ऐसे जल वाहनों को आग लगने के स्थल के समीप छोड़ा जा सकता है और इंजन दूसरी टंकी लाने के लिए जा सकता है।

3.4.3.5 अग्नि शमन नलका (फायर हाइड्रेन्ट) : नगर में मौजूद अग्नि शमन नलके की भी नियमित रूप से जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे कार्यात्मक हों। अग्नि शमन नलकों का क्षेत्रवार स्थिति मानचित्र रेखांकन स्थानीय अग्नि शमन केंद्र, पुलिस स्टेशन और राजस्व कार्यालय आदि में उपलब्ध होना चाहिए।

3.4.3.6 आधुनिक प्रौद्योगिकियां : जल कुहासा प्रौद्योगिकी : जल की कमी एक विश्वव्यापी घटना होने के कारण नवीन प्रौद्योगिकियों, जो बहुत कम जल का प्रयोग करती हैं, का उपयोग किया जा रहा है। जल कुहासा प्रौद्योगिकी ऐसा एक अभिनव प्रयोग है। मशीन इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि जल कुहासे में परिवर्तित होता है और जब उसे आग पर छोड़ा जाता है, तो यह आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है और इस प्रकार उसे बुझा देता है। यह मशीन छोटी होती है और इसमें जल वहन करने की मात्रा के विभिन्न विकल्प होते हैं। ऐसी मशीनें हैं, जिन्हें मोटर साइकिल पर ले जाया जा सकता है, मशीनें, जिन्हें छोटे वाहनों पर ले जाया जा सकता है और मशीनें जिन्हें मनुष्य अपनी पीठ पर टांग कर चल सकता है। आग की भीषणता पर निर्भर करते हुए उपयुक्त उपस्कर को स्थल पर लाया तथा प्रयोग किया जा सकता है। यह अभिनव परिवर्तन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योंकि यह होने वाली क्षति को न्यूनतम करता है। पारम्परिक अग्नि शमन वाहन बहुत अधिक जल का प्रयोग करते हैं, जिनमें समीपस्थ अन्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त करने की प्रवृत्ति होती है। एक कुहासा अग्नि शमन इकाई ऐसी कोई क्षति नहीं करती। विभिन्न आकारों में उपलब्ध होने के कारण यह तंग क्षेत्रों से होकर गुजरने में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। ऐसी मोटर साइकिल अथवा लघु वाहन पर लगी अग्नि शमन इकाई व्यस्त घने संकरे नगरों और मुहल्लों के लिए आदर्श है। वे तत्काल घटन-स्थल की ओर बढ़ती हैं, शीघ्रतापूर्वक पहुंच सकती हैं और अग्नि शमन कार्य प्रारंभ कर सकती हैं जबकि बड़े अग्नि शमन वाहन बाद में आ सकते हैं।

3.5 अग्नि शमन सेवाओं का दायरा बढ़ाना

3.5.1 भारत की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है जबकि केवल तीस प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है। तथापि, अग्नि शमन सेवा केंद्र अधिकांशतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। अग्नि के खतरे के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों को अग्नि शमन सेवा के दायरे में शामिल करना सदैव एक गंभीर मुद्दा रहा है। तथापि, इस मुद्दे का समाधान करने और समस्या से निपटने के लिए कोई सुविचारित और बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं।

3.5.2 प्रखंड (ब्लॉक) और ग्राम पंचायत स्तर तक अग्नि शमन क्षमताएं सृजित करना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श हो सकता है, परंतु देश में सर्वत्र कम से कम उप-प्रमंडलीय स्तर पर जाना ग्रामीण क्षेत्रों को अग्नि के खतरों से न्यूनतम सुरक्षा को अधिक से अधिक प्रदान करने के लिए भी यह संपूर्णतः आवश्यक है। इस समय, गांव में आग लगने के मामले में सहायता साधारणतया केवल जिला स्तर पर ही उपलब्ध होती है। दुर्भाग्यवश अधिकांश मामलों में, सहायता गांव में केवल तभी पहुंचने में समर्थ होती है जब आग बुझा जाती है और अधिकतम क्षति हो चुकती है। अधिकांश प्रभावित साधारणतया समाज के सीमांतिक (कमजोर) वर्ग होते हैं।

3.5.3 इसलिए असुरक्षितता, इतिहास और उप-प्रमंडल मुख्यालय से दूरी पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकार प्रखंड अथवा पंचायत स्तर पर भी अग्नि शमन चौकियां स्थापित करने का निर्णय ले सकती है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान (ग्यारहवीं अनुसूची) के अनुच्छेद 243छ के अधीन ग्राम पंचायतें

सामाजिक कल्याण और विशेषकर कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टतया अधिदेशित है। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी हैं। अगर अपेक्षित हो और निर्णय हो कि अग्नि शमन चौकियां ऐसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण स्थानों में स्थापित की जानी हैं तो इन अग्नि शमन चौकियों पर मानवशक्ति की नियुक्ति स्वयं गांव से ही नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती द्वारा अथवा अपेक्षित संख्या में गृह रक्षक (होमगार्ड्स) वाहिनी को बुलाकर और ऐसी अग्नि शमन चौकियों पर उन्हें तैनात करके की जा सकती है।

3.5.4 नागरिक सुरक्षा संगठन को पुनरुज्जीवित करने के लिए नीति दृष्टिकोण पत्र में रा. आ. प्र. प्रा. द्वारा यथा अनुशंसित नागरिक सुरक्षा के सेटअप को नगर केंद्रिक से जिला केंद्रिक में परिवर्तित करना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। नागरिक सुरक्षा संगठन में सहायक अग्नि शमन सेवाओं की संकल्पना है। अगर गृह रक्षा वाहिनी अथवा नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की भर्ती की जाती है तो उन्हें अग्नि शमन क्षमताओं में राज्य अग्नि शमन सेवा अथवा राज्य के नागरिक सुरक्षा ढांचे (सेटअप) द्वारा प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होगी। इन ग्रामीण अग्नि शमन चौकियों का पर्यवेक्षण सदैव संबंधित क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले राज्य अग्नि शमन अधिकारी के अधीन रहेगा।

3.5.5 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपस्करों के चयन हेतु गतिशीलता, उपयोगिता और जल की उपलब्धता मुख्य मानदंड होना चाहिए। जीप/ट्रैक्टर पर लदे वहनीय अग्नि शमन उपस्कर अथवा लघु तथा सामान्य अग्नि शमन वाहनों पर, सड़कों की उपलब्धता और उनकी स्थिति पर निर्भर करते हुए, विचार किया जाना चाहिए। जल की कमी वाले स्थानों में, जल कुहासा अग्नि शमन इकाई पर भी विचार किया जा सकता है। अपेक्षित वहनीय/बैक पैक (पीठ पर बांधने वाले) पम्प, जल कुहासा अग्नि शमन इकाई की किस्म सुनिश्चित और नियत करने के लिए राज्य अग्नि शमन सेवा विभाग के अधिकारियों की सहायता ली जानी चाहिए।

3.5.6 चूंकि लघु/वहनीय जीप अथवा ट्रैक्टर पर ले जा सकने वाले अग्नि शमन उपस्करों या साधारण अग्नि शमन वाहनों आदि को प्राप्त करने के लिए कुछ पूंजी व्यय शामिल होगा इसलिए पंचायती राज संस्थाएं जिला अग्नि शमन प्रमुख से पंचायत की असुरक्षिताओं पर चर्चा करने और विश्लेषण करने के बाद पंचायत विकास निधि से उन्हें प्राप्त कर सकती हैं। यह उल्लेखनीय है कि अब आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 (पैरा 2.4.1 और 4.2.1) के अनुसार सभी विकासात्मक कार्यकलापों की मुख्य धारा में लाया जाना होगा। उपस्कर ग्राम पंचायत के परिसरों में रखे जा सकते हैं और आग लगने के मामले में स्थानीय समुदाय के सदस्यों द्वारा उनका उपयोग किया जा सकता है। आज प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त दक्ष व्यक्ति हैं, जो ट्रैक्टर चला सकते हैं, पम्प और थ्रेशर आदि चला सकते हैं। पंचायत स्तर पर आवश्यकता अग्नि शमन उपस्करों के प्रयोग के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना, उन्हें अग्नि शमन की तकनीकें सिखाना और एहतियाती उपायों का पालन करना है। इस प्रशिक्षण को सरलतापूर्वक जिला और उप-प्रमंडलीय अग्नि शमन सेवा द्वारा आयोजित किया जा सकता है, जो उन्हें उपस्करों के रखरखाव आदि के महत्वपूर्ण पहलू भी सिखा सकते हैं।


3.5.7 क्षमताओं की कमी के कारण गांवों में लगने वाली मामूली आग अग्नि कांड में बदल जाती है और इससे कृषि उत्पादों सहित जान और माल दोनों के रूप में गंभीर क्षति होती है। अगर असुरक्षित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय दलों को संगठित, प्रशिक्षित और उपकरणों से सज्जित किया जाता है तो वे कम से कम आग की घटनाओं से निपटने और ऐसे अग्नि कांड के निवारण में समर्थ होंगे। ग्राम पंचायत के परिसर ग्रामीण अग्नि शमन चौकी के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक ज्ञान सम्पन्न ग्राम पंचायत सरलतापूर्वक अग्नि शमन के महत्व का अनुमान करेगा और चूंकि यह उनके स्व-हित और सुरक्षा में होगा वे स्वेच्छापूर्वक इस दिशा में आगे जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट को ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रेरित और जागरूक बनाने की आवश्यकता है। ऐसे अग्नि शमन चौकियों में मानवशक्ति रखने के लिए वह नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को संगठित करने पर विचार कर सकता है, जिसका वह जिले में मुखिया है अथवा अगर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नहीं जुटाए जा सकें तो इस प्रयोजनार्थ गृह रक्षक वाहिनी को बुलाने पर विचार कर सकता है।

3.5.8 गांवों में आग के खतरे के निवारण के लिए क्या करें और क्या न करें के संबंध में पोस्टरों और साइन पोस्ट के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया जाना चाहिए। 13वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां दी हैं। सरल संदर्भ के लिए, क्षमता निर्माण से संबंधित राज्यवार निधि आवंटन की 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संगत पैरे अनुबंध-2 में रखे गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि क्षमता निर्माण में कुछ उपकरण खरीदना भी शामिल है। आगे यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि अग्नि शमन उपकरण संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अधीन भी खरीदे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत की अग्नि शमन चौकियां भी ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों में एक बहु-खतरा संबंधित कार्रवाई इकाई के रूप में भी तैयार की जा सकती हैं।

3.6 प्रांतीयकरण और राज्य स्तरीय अग्नि शमन सेवाओं का गठन

3.6.1 भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिनांक 5 जनवरी, 1952 के पत्र संख्या 33/50 सीडी द्वारा सभी राज्यों में एकसमान अग्नि शमन विधान के साथ भारत में अग्नि शमन सेवाओं का प्रांतीयकरण अनुमोदित कर चुकी है, परंतु यह हर जगह नहीं किया गया है (प्रांतीयकरण से संबंधित ब्यौरे देते हुए संकलन की प्रति अनुबंध-1क में हैं)।

प्रांतीयकरण की कमी के कारण, कुछ राज्यों में फायर ब्रिगेड विभिन्न नगर निगमों की कमान में हैं और एकल कमान के अधीन भी नहीं है। इस प्रकार अत्यधिक आपातकाल में उन्हें अन्यत्र जुटाने में समस्याएं हैं। विभिन्न नगर निगमों के अधीन विभाजन भी अग्नि शमन सेवा कार्मिकों के जीवनवृत्ति प्रगति को रोकता




है, जो निश्चित रूप से उनके सामान्य मनोबल और प्रेरणा के लिए अच्छा नहीं हैं। विषमांग प्रवृत्ति होने के कारण इसमें मानकीकृत उपस्करण और सेवा में उचित प्रशिक्षण की भी कमी हैं। प्रत्येक राज्य का अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रांतीयकृत अग्नि शमन सेवा को एक व्यावसायिक अग्नि शमन अधिकारी के कमान और नियंत्रण में होना चाहिए। राज्य सरकार को सभी नगर निगम अग्नि शमन सेवाओं, जिन्हें अंतर शहरी स्थानीय निकायों के लिए पदोन्नति पर स्थानांतरण की व्यवस्था करनी चाहिए और आपातस्थितियों के दौरान संसाधन जुटाना सरल करना चाहिए, को मिलाकर राज्य स्तरीय अग्नि शमन सेवा गठित करने पर विचार करना चाहिए। राज्य अग्नि शमन अधिनियम संसाधनों को जुटाने के ऐसे कार्य का प्रावधान कर सकता है अगर राज्य सरकार नगर निगम के नियंत्रण से अग्नि शमन सेवाओं को हटाने के पक्ष में नहीं है।

3.7 राज्य की प्रशासनिक संरचना के अनुसार अग्नि शमन सेवाओं की उचित प्रशासनिक और पर्यवेक्षीय संरचना

3.7.1 अग्नि शमन सेवाओं के लिए उचित पर्यवेक्षीय संरचना लागू करने और मानकीकरण के लिए देश की मौजूदा प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अग्नि शमन सेवाओं के लिए प्रस्तावित पर्यवेक्षीय संरचना की सुविधा और समझ के लिए देश में सामान्य प्रशासनिक संरचना चित्र-1 में दर्शाई गई है। यह शहरों और गांवों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में राज्य में मौजूदा प्रशासनिक संरचना को दर्शाता है। राज्य अग्नि शमन पर्यवेक्षीय स्टाफ को भी तदनुसार रखना चाहिए। अग्नि शमन सेवाओं के लिए सुझाव दी गई प्रशासनिक/पर्यवेक्षीय संरचना चित्र-2 में इंगित की गई है। पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित संरचना सृजित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा एक उचित भर्ती और पदोन्नति नीति भी अपनाई जानी चाहिए। भर्ती और पदोन्नति में अनुभव और नए लोगों दोनों को उचित महत्व (वेटेज) दिया जाना चाहिए।

3.7.2 राज्य के अधीनस्थ संघटन में अग्नि शमन सेवाओं के बारीकी से पर्यवेक्षण कार्य के लिए, जिलों को उप समूहीकृत करने और एक पर्यवेक्षक के अधीन रखे जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार राज्य के प्रशासनिक राजस्व प्रभागों के अनुरूप जिलों का समूह बनाना और राज्य के प्रमंडलीय नगरों में पर्यवेक्षक के रूप में एक उपयुक्त वरिष्ठ अग्नि शमन अधिकारी के अधीन जिलों के अनुरूप समूह को रखना सुविधाजनक पा सकती है।



रेखाचित्र-2 राज्य की अग्नि शमन सेवा की प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना

टिप्पणी :

- क. राज्य स्तर पर अग्नि शमन सेवा का प्रधान राज्य का सर्वाधिक वरिष्ठ पर्यवेक्षक होगा।
- ख. प्रमंडलीय अग्नि शमन सेवा प्रमुख प्रभाग में सभी जिलों की अग्नि शमन सेवाओं का पर्यवेक्षण करेगा।
- ग. जिला अग्नि शमन प्रमुख जिले और उप-प्रमंडल तथा ग्राम पंचायत में अग्नि शमन चौकी, अगर कोई हो, सभी अग्नि शमन केंद्रों का पर्यवेक्षण करेगा।
- घ. उप-प्रमंडल अग्नि शमन सेवा अधिकारी न केवल उप प्रमंडल शहर में अग्नि शमन सेवा संबंधी जरूरतों की देखरेख करेगा बल्कि जब भी और जहां भी अग्नि शमन सुविधाएं दी जाती है, उप-प्रमंडल में सभी तहसीलों/प्रखंडों का भी पर्यवेक्षण करेगा।

3.8 राज्य स्तर पर अग्नि शमन सेवा प्रधान

3.8.1 राज्य में अग्नि शमन सेवा के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए राज्य को अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता करने के लिए पर्याप्त कार्मिकों के साथ, कमान के आकार पर निर्भर करते हुए, उपयुक्त स्तर पर अग्नि शमन सेवा का व्यावसायिक प्रधान होना चाहिए।

3.9 जिला स्तर पर अग्नि शमन सेवा प्रमुख

3.9.1 जिला अग्नि शमन सेवा का नेतृत्व जिला मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अग्नि शमन केंद्र पाली (शिपट) की ड्यूटी के लिए पर्याप्त सहायक अग्नि शमन अधिकारियों सहित अग्नि शमन केंद्र अधिकारी के अधीन होना चाहिए। जिले में मौजूदा अग्नि शमन केंद्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए और नियंत्रण की आदर्श सीमा को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षीय अधिकारी की पर्याप्त संख्या भी जिला मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के अधीन रखी जानी चाहिए। अनुशासनिक मामलों, लेखाकरण, मरम्मत और रखरखाव कार्य और कैम्पस की सामान्य देखरेख आदि जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त कर्मचारी भी प्रदान किए जाने चाहिए। पदनाम, रैंक, वेतनमान आदि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तथापि, यह बल दिया जाता है कि न केवल प्रभावी पर्यवेक्षण बनाए रखने बल्कि सेवा में उचित जीवनवृत्ति प्रगति के लिए भी पर्याप्त पर्यवेक्षीय कर्मचारी और मानवशक्ति की (चित्र 2 में यथा प्रदर्शित) निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य सरकार राज्य अग्नि शमन सेवा प्रमुख के साथ मुद्दे पर चर्चा कर सकती है और पर्याप्त पर्यवेक्षीय पदों की व्यवस्था कर सकती है।

3.10 अग्नि शमन सेवाओं को बहु-खतरा कार्रवाई इकाई बनाना

3.10.1 संवैधानिक रूप से आग के खतरों को रोकना और उनका शमन भारत में नगर निगम का कार्य है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (धारा 41) और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2009 (पैरा 3.2.9) स्थानीय निकायों (अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला और छावनी बोर्डों, नगर योजना प्राधिकारियों), जो नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंध करते हैं, से आपदा प्रबंधन के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है। इस प्रकार अग्नि शमन सेवाओं को अन्य स्थानीय आपदाओं का भी प्रत्युत्तर देने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित एक बहु

खतरा कार्रवाई इकाई बनाना तार्किक है। यह कई स्थानों पर बहु खतरा कार्रवाई इकाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिसे अगर अपेक्षित हो तो जिले या राज्य में अन्यत्र बड़ी आपदाओं का प्रत्युत्तर देने के लिए भी जुटाया जा सकेगा।

3.11 समुदाय की भागीदारी

3.11.1 आपदा के समय अगर कोई कर सके तो एक दूसरे की सहायता करना बहुत मानवीय और स्वाभाविक व्यवहार है। भारत में इसे नियमित रूप से देखा गया है कि जब भी आपदाएं हुई हैं, पीड़ितों की सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में समुदाय के लोग जुट जाते हैं। दुनिया भर में, आग के आम खतरों से लड़ना एक संयुक्त सामुदायिक प्रयास है। विकसित पश्चिमी विश्व में अधिकांश अग्नि शमन क्षमता समुदाय के पास उपलब्ध होती है। समुदाय के सदस्य स्वयं को अग्नि शमन तकनीकों में प्रशिक्षित कराते हैं और अग्नि शमन कर्मी होने में गर्व महसूस करते हैं, उसकी वर्दी पहनते हैं और खतरे से लड़ने के लिए समुदाय की सहायता करते हैं। वे यहां तक कि अपनी नियमित नौकरी से भी अवकाश लेते हैं और ऐसी आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करते हैं। सहायता करने में समर्थ होने की इच्छा और समुदाय की रुचि प्रेरक कारक होते हैं। प्रशिक्षण के लिए स्थानीय मंच प्रदान करके तथा उन्हें उपकरणों से सज्जित होने में सहायता करके अग्नि शमन क्षमताओं में समुदाय को संगठित करने में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों की निरंतर याद दिलाने और असुरक्षित क्षेत्रों में उन्हें सजग रखने के लिए पर्याप्त पोस्टरों आदि से आग के खतरों का सामना करने के लिए, क्या करें और क्या न करें की हिदायतों के संबंध में समुदाय में जागरूकता सृजन की बहुत दृढ़ आवश्यकता है। अग्नि शमन सेवाओं को भी उन स्थानों, जहां वे स्थित हैं, में नैमेत्तिक कार्य के रूप में स्थानीय समुदाय को बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए भी प्रशिक्षित और उपकरणों से सज्जित किया जा सकता है। अग्नि शमन सेवा एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा सेटअप के साथ मिलकर कार्य कर सकती है और इस संबंध में कुछ उत्तरदायित्व की भागीदारी कर सकती है।

3.11.2 तथापि, भारत में, अग्नि शमन और अन्य आपदा प्रबंधन में संगठित स्वयंसेवी भावना पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की बहुत क्षमता, आवश्यकता और महत्व है। इसे विकसित करने और बेहतर बनाने की अत्यावश्यकता है। महत्वपूर्ण बात एक उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) प्रदान करने की है, जो इसे संगठित कर सके। नागरिक सुरक्षा संगठन इस उत्प्रेरक कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। रा. आ. प्र. प्रा. देश में नागरिक सुरक्षा के लिए पूर्ण पुनर्गठन रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। अगर इसे व्यापक रूप से कार्यान्वित किया जाता है तो सामुदायिक विकास न केवल सामान्य आपदा प्रबंधन के लिए परंतु अग्नि शमन में सहायता करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण एजेंसी बन सकती है। इसमें पहले से ही एक सहायक अग्नि शमन सेवा स्कंध (विंग) है। जिले में अग्नि शमन सेवा अथवा नागरिक सुरक्षा के सेटअप को प्रशिक्षण उपस्करणों के साथ एक चल प्रशिक्षण वैन से लैस किया जा सकता है, जो जिले में घूम सकती है और इसके द्वारा समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कर सकती है।

3.12 अनुसंधान और विकास

3.12.1 प्रौद्योगिकी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी उपलब्धता आपदा होने पर बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियादाताओं की सहायता करती है। वे चीजें जो हाथ से नहीं की जा सकती हैं वे सरलतापूर्वक उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त करने योग्य होती हैं। दुर्भाग्यवश, भारत में जहां तक आग के खतरों का संबंध है, कई आधुनिक, उपयोगी और प्रभावी प्रौद्योगिकियां आयातित हैं। मुख्य कारण यह है कि देश में इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधित प्रयासों की कमी है। यह उपस्कर को निषेधात्मक रूप से महंगा और अधिप्राप्त करने में कठिन बना देता है। यह बहुत उपयोगी होगा, अगर डीआरडीओ, आईआईटी, एनआईटी और अन्य अनुसंधान संगठन अपनी विशेषज्ञता, दक्षता का उपयोग करने में समर्थ हों और कुछ लघु ‘जल कुहासा प्रौद्योगिकी’ किस्म या अन्य ऐसी अभिनव प्रौद्योगिकी लाने के लिए इस क्षेत्र में कुछ अनुसंधान और विकास कर सकें। निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

3.13 निधिकरण के लिए हाल के प्रयास

3.13.1 जैसा अधिदेशित है, रा. आ. प्र. प्रा. ने विभिन्न स्तरों पर देश में अग्नि शमन सेवाओं में अग्नि शमन उपस्कर, मानवशक्ति, प्रशिक्षण और वित्तीय कमी में चिंताजनक और अस्वीकार्य अपर्याप्तता संबंधित मामले को हाथ में लिया। इस मामले को दिनांक 18 जनवरी, 2010 की भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रा. आ. प्र. प्रा. की बैठक के समक्ष रखा गया था, जहां भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। उस समय यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग अग्नि शमन सेवाओं को प्राथमिकता देने और उनके उन्नयन तथा मौजूदा कमियां दूर करने के लिए अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकारों को सलाह देगा।

3.13.2 संपूर्ण देश में अग्नि शमन सेवाओं के पुनर्गठन और उनमें नजर आने वाली कमियों को दूर करने के लिए रा. आ. प्र. प्रा. 13वें वित्त आयोग के साथ लगातार विचार-विमर्श में रहा था। आयोग ने इस समस्या का पूर्णतः समर्थन किया और आवश्यक कदम उठाए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के ब्यौरे और उसके प्रचालनीकरण पर अध्याय-4 में चर्चा की गई है।

3.13.3 रा. आ. प्र. प्रा. द्वारा प्रारंभ किए गए योजना आयोग और 13वें वित्त आयोग के साथ उपर्युक्त दोमुखी दृष्टिकोण के माध्यम से निधियों के योजनाबद्ध प्रवाह से पर्याप्त अग्नि शमन केंद्रों के साथ एकसमान अग्नि शमन सेवा, उसके कार्मिकों की सुविचारित जीवनवृत्ति प्रगति, उपयुक्त उपस्कर और बचाव तकनीकों में उचित प्रशिक्षण और पर्याप्त कानूनी प्रावधानों की स्थापना से देश में अग्नि शमन क्षमताएं अधिक सक्षम और प्रभावी हो जाएंगी।

4 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का प्रचालनीकरण; कार्यनीति और कार्य योजना

4.1 परिचय

4.1.1 राज्य की आवश्यकतानुसार अग्नि शमन सेवाओं के लिए निधियों के आकलन हेतु एक समग्र कार्यनीति का होना उपयुक्त होगा, इसके लिए व्यापक और ध्यानकेंद्रित दृष्टिकोण अपेक्षित है। राज्य सरकार का मार्गनिर्देशन करने और एक व्यापक तथा ध्यानकेंद्रित तरीके से संपूर्ण देश में अग्नि शमन सेवाओं का उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए ये दिशानिर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अधिक समुत्थानशील तथा तैयार बनाने के लिए अतिसावधानीपूर्वक उनका अनुपालन करना आवश्यक है।

4.1.2 स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और स्थानीय असुरक्षितताओं के आधार पर योजना बनाना तथा राज्य की कुल आवश्यकता (शहरी और ग्रामीण) का हिसाब निकालना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में पहले से उपलब्ध मौजूदा सुविधाएं और उपस्करणों को जोड़ा जाना चाहिए और तब राज्य की असुरक्षितताओं तथा स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिकलित समग्र आवश्यकता से उसे घटाया जाना चाहिए। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि पुरानी मर्दें, जिन्हें निराकृत (कंडम) करना आवश्यक है, को परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार परिकलित राज्य सरकार की कुल आवश्यकता को शहरी और ग्रामीण श्रेणियों में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें असुरक्षितताओं के आधार पर प्राथमिकतायुक्त समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए। 13वें वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध निधियों का उपयोग करते समय शेष आवश्यकताओं के लिए योजना आयोग के समक्ष मांग प्रस्तुत करने हेतु योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

4.1.3 शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से अग्नि शमन सेवाओं के लिए 13वें वित्त आयोग (2010–15) द्वारा प्रदान की गई निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाना चाहिए। यह भी समझा जाना चाहिए कि जैसा 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्णित है, निधियां चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी। इस निधि के अधीन राज्य की अधिप्राप्ति और पुनर्गठन योजना समान संगत चरणबद्ध तरीके से बनाई जानी चाहिए।

4.1.4 यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सभी नौ शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करके 13वें वित्त आयोग के विशेष कार्य निष्पादन अनुदान के अधीन निधियों का पूर्णतः आकलन किया जाए। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नौ शर्तें पूरी हों। राज्य, जो

पालन नहीं करते हैं, को इस शीर्ष के अधीन कोई निधि प्राप्त नहीं होगी और उपलब्ध कुल धनराशि उन राज्यों, जिन्होंने उसका पालन किया है, में वितरित की जाएंगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस शीर्ष के अधीन पूर्ण देश के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। सुविधा के लिए 13वें वित्त आयोग के पैरा 10.147 के अनुसार परिकलित और 13वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए बुनियादी अनुदान और कार्यनिष्पादन अनुदान का राज्य-वार सन्निकट आवंटन का ब्यौरा दर्शाते हुए सारणी-2 निम्नानुसार हैं।

सारणी-2

| शहरी स्थानीय निकायों के लिए करोड़ रुपयों में 13वें वित्त आयोग के अनुदान का राज्य-वार आवंटन | | | |
|--|----------------|----------------------|---------|
| राज्य | बुनियादी आवंटन | कार्यनिष्पादन अनुदान | जोड़ |
| आन्ध्र प्रदेश | 1254.59 | 664.23 | 1919.82 |
| अरुणाचल प्रदेश | 20.83 | 11.03 | 31.86 |
| অসম | 165.64 | 87.69 | 253.33 |
| बिहार | 475.44 | 251.73 | 727.17 |
| छत्तीसगढ़ | 272.68 | 144.38 | 417.06 |
| गोवा | 53.39 | 28.26 | 81.65 |
| गुजरात | 851.16 | 450.65 | 1301.81 |
| हरियाणा | 283.88 | 150.29 | 434.17 |
| हिमाचल प्रदेश | 53.52 | 28.33 | 81.85 |
| जम्मू और कश्मीर | 133.51 | 70.68 | 204.19 |
| झारखण्ड | 278.34 | 147.35 | 425.69 |
| कर्नाटक | 1302.51 | 689.55 | 1992.06 |
| केरल | 474.91 | 251.46 | 726.37 |
| मध्य प्रदेश | 976.81 | 517.24 | 1494.05 |
| महाराष्ट्र | 2077.73 | 1099.99 | 3177.72 |
| मणिपुर | 53.57 | 28.36 | 81.93 |
| मेघालय | 52.43 | 27.78 | 80.21 |
| मिजोरम | 61.40 | 32.51 | 93.91 |
| नागालैंड | 50.17 | 26.56 | 76.73 |
| उड़ीसा | 324.52 | 171.82 | 496.34 |
| पंजाब | 411.35 | 217.78 | 629.13 |

| शहरी स्थानीय निकायों के लिए करोड़ रुपयों में 13वें वित्त आयोग के अनुदान का राज्य-वार आवंटन | | | |
|--|----------------|----------------------|----------|
| राज्य | बुनियादी आवंटन | कार्यनिष्पादन अनुदान | जोड़ |
| राजस्थान | 780.86 | 413.40 | 1194.26 |
| सिक्किम | 1.69 | 0.90 | 2.59 |
| तमिलनाडु | 1550.98 | 821.12 | 2372.1 |
| त्रिपुरा | 36.64 | 19.40 | 56.04 |
| उत्तर प्रदेश | 1930.59 | 1022.14 | 2952.73 |
| उत्तराखण्ड | 124.46 | 65.89 | 190.35 |
| पश्चिम बंगाल | 1056.28 | 559.22 | 1615.5 |
| जोड़ | 15109.88 | 7999.74 | 23110.62 |

झोल : 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.147 के आधार पर एएससीआई, हैदराबाद की सहायता से संकलित / राज्य-वार कुल आवंटन सन्निकट (लगभग) है। अंतिम आंकड़ों में मामूली भिन्नता हो सकती है।

4.1.5 13वें वित्त आयोग के माध्यम से दी गई निधियां निस्संदेह एसएफएसी के निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों में पूर्ण आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। पहले परिकलित कुल आवश्यकता (शहरी और ग्रामीण दोनों) के शेष के लिए राज्य पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किए जाने के लिए साथ-साथ प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए और स्वीकृति के लिए भारत के योजना आयोग के समक्ष मांग रखी जानी चाहिए।

4.1.6 योजना तैयार करने और अपेक्षित निधियों का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अध्याय-7 में उपस्करों के एक सुझावात्मक न्यूनतम स्तर-निर्धारण पर चर्चा की गई है। संबंधित उपस्कर का सन्निकट मूल्य **अनुबंध-4** में संलग्न है। यह समय-समय पर परिवर्तित हो सकता है और इसलिए आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दरों का अनुपालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक उपस्कर के लिए अपेक्षित मानवशक्ति अध्याय-7 में अलग से दी गई है। मानवशक्ति के लिए वेतन और भत्तों में शामिल लागत संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय में मौजूदा वेतनमानों के अनुसार निकाली जानी चाहिए।

4.1.7 उपर्युक्त कार्यनीति के माध्यम से शहरी और ग्रामीण, दोनों अग्नि शमन सेवाओं का पुनर्गठन एक चरणबद्ध परंतु निश्चित तरीके से हो सकता है।

4.2. 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण और संगत पैराग्राफों का सार

4.2.1 प्रमुख समूह की बैठक के दौरान, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रचालनीकरण के लिए एक व्यापक विश्लेषण किया गया है। अग्नि शमन सेवाओं के संबंध में 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण और संगत पैराग्राफों का सार निम्नानुसार है।

4.2.1.1 “13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 10.145” : इन कारकों को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि सारणी-3 में जैसा दर्शाया गया है, सारणी 10.4 में यथावर्णित स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाए।

सारणी-3


13वें वित्त आयोग की सारणी 10.4 – स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान

(करोड़ रुपए)

| वर्ष 2009.10 | ब. अ. 2010.11 | 2011.12 | 2012.13 | 2013.14 | 2014.15 | 2010.15 |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन अनुदान के रूप में सभी राज्यों को दिए जाने वाले पिछले वर्ष के विभाज्य पूल की प्रतिशतता—सामान्य बुनियादी अनुदान और कुल विशेष क्षेत्र अनुदान | | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| सामान्य कार्यनिष्पादन अनुदान | | | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| स्थानीय निकायों को कुल अनुदान | | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.28% |
| पूर्वानुमानित (करोड़ रुपए) विभाज्य पूल : 2009–14 | 545463 | 636183 | 746179 | 880156 | 1038188 | 1224595 |
| सामान्य बुनियादी अनुदान और कुल विशेष क्षेत्र अनुदान | | 8182 | 9543 | 11193 | 13202 | 15573 |
| सामान्य बुनियादी अनुदान | | 8022 | 9303 | 10873 | 12883 | 15253 |
| सामान्य कार्यनिष्पादन अनुदान | | 0 | 3181 | 7462 | 8802 | 10382 |
| सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य कार्यनिष्पादन अनुदान | | 8022 | 12484 | 18335 | 21685 | 25635 |
| कुल विशेष क्षेत्र अनुदान | | 160 | 239 | 319 | 319 | 1357 |
| विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान | | 160 | 160 | 160 | 160 | 798 |
| विशेष क्षेत्र कार्यनिष्पादन अनुदान | | 0 | 80 | 160 | 160 | 160 |
| स्थानीय निकायों को कुल अनुदान | | 8182 | 12724 | 18654 | 22004 | 25955 |
| | | | | | | 87519 |

*वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि। पूर्णांकन के कारण योग नहीं मिल सकते हैं।

4.2.1.2 नौ शर्तें : 13वें वित्त आयोग का पैरा 10.161 निम्नानुसार पठित है “वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के लिए राज्य सरकार अनुबंध–10.15ख में दर्शाए गए सामान्य कार्यनिष्ठादन अनुदान के अपने हिस्से की वापसी लेने में केवल तभी पात्र होगी अगर यह निम्नलिखित नौ शर्तें पूरी करती है; i,.....ii,iii,..... शर्त सख्ता (ix) जैसा चित्र 3 में दर्शाया गया है। “10 लाख से अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाले सभी नगर निगमों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए अग्नि खतरा कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार करनी चाहिए। संबंधित राज्य सरकार के राज्य पत्रों में इन योजनाओं का प्रकाशन इस शर्त से अनुपालन प्रदर्शित करेगा।”



रेखाचित्र 3 –नौ शर्तें और अनुपालन

चित्र 3 में यथाप्रदर्शित इन शर्तों को अनुवर्ती राजकोषीय वर्ष के लिए अपने कार्यनिष्ठादन अनुदान की वापसी के लिए राज्य को पात्र होने हेतु राजकोषीय वर्ष (31 मार्च) के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए।

4.2.1.3 अग्नि शमन और आपातकाल सेवाओं का पुनरुद्धार 13वें वित्त आयोग का पैरा 10.171 निम्नानुसार पठित है “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आयोग का ध्यान देश में अग्नि शमन सेवाओं की निराशाजनक दशा की ओर आकृष्ट किया है। रा. आ. प्र. प्रा. ने देश में सेवाओं की कमी का निम्नानुसार अनुमान किया है।”

| | | |
|----|--------------------------|--------|
| क. | अग्नि शमन केंद्र – | 97.54% |
| ख. | अग्नि शमन और बचाव वाहन – | 80.04% |
| ग. | अग्नि शमन कार्मिक – | 96.28% |

स्रोत : स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद और 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का संकलन

4.2.1.4 13वें वित्त आयोग का पैरा 10.172 निम्नानुसार पठित है “रा. आ. प्र. प्रा. ने इन कमियों की पूर्ति के लिए राज्यों को 7000 करोड़ रुपए के अनुदान के आवंटन के लिए तर्क दिया। हम देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि पैरा 10.161 (ix) में दी गई शर्त मात्र एक पहला कदम है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हम पैरा 10.166 में रेखांकित शर्तों के प्रति अपने दृष्टिकोण को देखते हुए स्थानीय निकायों पर व्यय की शर्त अधिरोपित नहीं कर रहे हैं। हम सिफारिश करते हैं कि हमारे द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए अनुदानों का एक भाग उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार पर व्यय किया जाए। ये निकाय इस उद्देश्य के लिए राज्य अग्नि शमन सेवा विभाग को वित्तीय सहायता

प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, वे यथापेक्षित राज्य एजेंसियों और रा. आ. प्र. प्रा. की विशेषज्ञता की सहायता ले सकते हैं”।

4.2.1.5 अध्याय-11 का पैरा 11.38 निम्नानुसार पठित है “रा. आ. प्र. प्रा. ने विशेषकर देश में अग्नि शमन सेवाओं की वर्तमान दशा पर ध्यान केंद्रित किया है और अग्नि शमन संबंधी तैयारी के उन्नयन और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को 7,000 करोड़ रुपए के अनुदान के प्रावधान का तर्क दिया है। हमने स्थानीय निकायों पर अपने अध्याय में इस मुद्दे पर विचार किया है।”

4.2.1.6 पैरा 12.8 निम्नानुसार पठित है “विचारार्थ विषय के पैरा 4(iii) के अनुरूप स्थानीय निकायों और विचारार्थ विषय के पैरा 8 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान पर क्रमशः अध्याय 10 और 11 में विस्तार से चर्चा की गई है। ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को भी दिए जाते हैं। हमने व्यापक विवरण के लिए इस खंड की सारणी 12.1 में इन अनुदानों को सूचीबद्ध किया है। निर्णय अवधि 2011–15 के लिए हमारे द्वारा यथा अनुशंसित राज्यों के राजस्वों का सहायता-अनुदान सारणी-4 में दर्शाया गया है।”

सारणी-4

| क्र.सं. | 13वें वित्त आयोग का सारणी 12.1 राज्यों को सहायता अनुदान | (करोड़ रुपए) |
|---------|--|--|
| 1. | स्थानीय निकाय | 87519 |
| 2. | आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित) | 26373 |
| 3. | सुपुर्दगी पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा | 51800 |
| 4. | कार्यनिष्ठादन प्रोत्साहन | 1500 |
| 5. | बुनियादी शिक्षा | 24068 |
| 6. | पर्यावरण (क) वनों का संरक्षण (ख) नवीकरणीय ऊर्जा (ग) जल क्षेत्र प्रबंधन | 15000 5000 5000 5000 |
| 7. | परिणाम सुधारना (क) शिशु मृत्यु दर में कमी (ख) न्याय देने में सुधार (ग) यूआईडी के निर्गमन के लिए प्रोत्साहन (घ) जिला अभिनव परिवर्तन निधि (ड.) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली का सुधार (च) कर्मचारी और पेंशन डाटाबेस | 14446 5000 5000 2989 616 616 225 |
| 8. | सड़क और पुलों का रख-रखाव | 19930 |
| 9. | राज्य- विशिष्ट | 27945 |

| क्र.सं. | 13वें वित्त आयोग का सारणी 12.1 राज्यों को सहायता अनुदान | (करोड़ रुपए) |
|---------|---|---------------|
| 10. | मॉडल जीएसटी का कार्यान्वयन | 50000 |
| | जोड़ | 318581 |

4.2.1.7 13वें वित्त आयोग का पैरा 12.117 निम्नानुसार पठित है उन आवश्यकताओं जो प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट हैं, के लिए अनुशंसित सहायता अनुदान का राज्य—गर ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- क. पैरा 12.123 (**आंध्र प्रदेश**) : राज्य ने सेवा को एक बहु—खतरा कार्वाई इकाई में परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य उपस्कर प्रदान करके अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवंटन के लिए अभ्यावेदन दिया है। हम इस मद में **17** करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।
- ख. पैरा 12.171 (**हरियाणा**) : हरियाणा के कई भागों के तीव्र औद्योगिकीकरण से अग्नि शमन सेवा विभाग का उन्नयन किया जाना और उसे आपातकाल का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित किया जाना होगा। हम इसके लिए **100** करोड़ रुपए की राशि आवंटित करते हैं।
- ग. पैरा 12.245 (**मिजोरम**) : राज्य सरकार के ज्ञापन के प्रत्युत्तर में हम राज्य में अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए नए अग्नि शमन केंद्रों के निर्माण के लिए **20** करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं।
- घ. पैरा 12.261 (**उड़ीसा**) : राज्य के ज्ञापन ने राज्य में अग्नि शमन सेवाओं के प्रावधान में अत्यधिक अंतर का विशेष उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम इस प्रयोजनार्थ **150** करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश करते हैं। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस निधि के भाग का उपयोग अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और अग्नि शमन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।
- ड.. पैरा 12.299 (**त्रिपुरा**) : जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, हम राज्य में अग्नि शमन सेवाओं के मुख्यालय के निर्माण के लिए **15** करोड़ रुपए की सिफारिश करते हैं।
- च. पैरा 12.301 (**उत्तर प्रदेश**) (**वाराणसी**) : वाराणसी शहर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का केंद्र हैं और इस प्रकार इसे अपनी अवसंरचना सुधारने के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्य में अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अलग से निधियों का अनुरोध किया गया है। हम वाराणसी में अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन के लिए **20** करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव करते हैं।
- छ. पैरा 12.319 (**पश्चिम बंगाल**) : नई चुनौतियों के दृष्टिगत पश्चिम बंगाल अग्नि शमन सेवा विभाग को पश्चिम बंगाल अग्नि शमन और आपातकालीन सेवा विभाग में परिवर्तित करके राज्य सरकार ने उसके उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। हम विभाग में अवसंरचना और उपस्कर की कमियां पूरी करने के लिए **150** करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते हैं।

4.2.1.8 यह स्पष्ट है कि 13वें वित्त आयोग ने देश में अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार करने के महत्व और आवश्यकता पर विचार किया है जबकि उन्होंने सीधे उन राज्यों, जिन्होंने उनके समक्ष विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, को संवैधानिक स्थिति का ध्यान रखते हुए कि अग्नि शमन सेवाएं नगर निगम का कार्य है, सीधे सहायता प्रदान के रूप में राशियां आवंटित की हैं और उन्होंने 13वें वित्त आयोग द्वारा किए गए आवंटनों की तुलना में स्थानीय निकायों को अनुदान की राशि (बुनियादी अनुदान और कार्यनिष्पादन अनुदान, दोनों) दुगुनी से अधिक कर दी है और साथ-साथ यह सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों को अग्नि शमन सेवाओं पर राशि व्यय करनी चाहिए। अब यह देखना और सुनिश्चित करना राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों का कार्य है कि अग्नि शमन सेवाओं में नजर आने वाली कमियों को दूर किया जाए और समुदाय को अग्नि के खतरों से बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता है।

सारणी-5

सारणी 12.6 : राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान

| राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2010-15 (करोड़ रुपए) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आन्ध्र प्रदेश | 20.00 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 1270.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 |
| অসম | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 |
| बिहार | 0.00 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 1845.00 |
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 320.25 | 1281.00 |
| गोवा | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |
| गुजरात | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| हरियाणा | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1000.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 350.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 1000.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 1350.00 |
| झारखण्ड | 0.00 | 356.25 | 356.25 | 356.25 | 356.25 | 1425.00 |
| कर्नाटक | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| केरल | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 1500.00 |
| मध्य प्रदेश | 0.00 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 1231.00 |
| महाराष्ट्र | 0.00 | 308.75 | 308.75 | 308.75 | 308.75 | 1235.00 |
| मणिपुर | 0.00 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 301.00 |
| मेघालय | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| मिजोरम | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| नागालैंड | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 250.00 |
| उड़ीसा | 0.00 | 436.25 | 436.25 | 436.25 | 436.25 | 1745.00 |
| पंजाब | 30.00 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 1480.00 |
| राजस्थान | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1200.00 |
| सिविकम | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 |
| तमில்நாடு | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 1300.00 |
| त्रिपुरा | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 500.00 |
| उत्तर प्रदेश | 0.00 | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 419.75 | 1679.00 |
| उत्तराखण्ड | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 |
| पश्चिम बंगाल | 0.00 | 425.75 | 425.75 | 425.75 | 425.75 | 1703.00 |
| राज्यों का जोड़ | 1050.00 | 6723.75 | 6723.75 | 6723.75 | 6723.75 | 27945.00 |

स्रोत : 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

4.3 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रचालनीकरण की कार्यनीति

4.3.1 सिफारिशों से यह देखा जा सकता है कि 13वें वित्त आयोग ने देश की अग्नि शमन सेवाओं में बहुत उच्च स्तर की कमियों का चिंतापूर्वक उल्लेख किया है। अग्नि शमन सेवाओं के महत्व को मानते हुए, उन्होंने स्पष्टतः अग्नि शमन सेवाओं के पुनर्गठन और पुनरुद्धार की आवश्यकता बताई है। अग्नि संबंधी आपदाओं के अतिरिक्त, आयोग ने सामान्यतः अन्य आपदाओं का संज्ञान लिया है और आपदा प्रशिक्षण तथा संबद्ध क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को पर्याप्त अनुदानों की सिफारिश की है (13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 11.102)। प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्य-वार आवंटन अनुबंध-2 में दिया जा रहा है।

4.3.2 सच्ची भावना से 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रचालनीकरण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रारंभ से ही एक कार्रवाई की स्पष्ट और व्यापक रूपरेखा का निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

वित्त आयोग ने दो पूरक सिफारिश की हैं :

क. रिपोर्ट का पैरा 10.161(ix) – दस लाख से अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाले सभी नगर निगमों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए अग्नि खतरा कार्रवाई और प्रशमन योजना बनानी चाहिए। नगर निगम क्षेत्रों के लिए योजनाओं को अनुपालन के उपाय के रूप में राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए; और

(यह एक अनिवार्य सिफारिश है और कार्यनिष्पादन अनुदान आहरित करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट नौ शर्तों में से एक है। राज्य सरकार कार्यनिष्पादन अनुदान के अधीन केवल तभी निधियां प्राप्त कर सकती हैं अगर वे दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए अग्नि खतरा संबंधित कार्रवाई योजना तैयार करने सहित नौ शर्तों का अनुपालन करती है) (संबंधित दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची सुविधा के लिए अनुबंध-3 में दी गई है)। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में अग्नि खतरा कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व नगर निगमों को सौंपा गया प्रतीत होता है यद्यपि उनसे राज्य अग्नि शमन सेवा अथवा रा. आ. प्र. प्रा. से विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रत्याशा की जाती है। एक बार जब योजना तैयार कर ली जाती है तो नगर निगमों को राज्य के राजपत्र में योजनाओं को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 182 के पैरा 10.172 द्वारा स्पष्टतः वर्णन किया है कि इन योजनाओं की तैयारी के लिए अग्नि शमन सेवा विभाग अथवा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है।

ख. रिपोर्ट का पैरा 10.172 – 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित अनुदान का एक भाग उनके क्षेत्राधिकार में अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार पर व्यय किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय इस प्रयास में राज्य अग्नि शमन सेवा विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(यह प्रावधान दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करने में समर्थ बनाता है)

4.4 जिम्मेदारी

4.4.1 चूंकि कुछ राज्यों में अग्नि शमन सेवाएं गृह विभाग और अन्यों में शहरी स्थानीय निकायों के अधीन हैं इसलिए एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अग्नि खतरा संबंधित कार्रवाई और प्रशमन योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करने तथा साथ ही अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए कौन उत्तरदायी होगा। ऐसे राज्यों, जहां अग्नि शमन सेवा शहरी स्थानीय निकायों के अधीन है, में कोई समस्या नहीं होगी। शहरी स्थानीय निकाय की निधियों के प्रयोग के लिए उन राज्यों, जहां अग्नि शमन सेवाएं गृह विभाग के अधीन हैं, में समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों और गृह विभाग के बीच समन्वय और तालमेल आवश्यक होगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए दो विभागों के बीच समन्वय और तालमेल का एक कार्यतंत्र तैयार किया जाना होगा। राज्य सरकारों को प्रारंभ से ही इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर प्रश्नों, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है, में निम्नलिखित शामिल हैं :

- क. किसे योजना तैयार करनी चाहिए – शहरी स्थानीय निकाय अथवा अग्नि शमन सेवा विभाग?
 - ख. अगर अपनी विशेषज्ञता के कारण यह अग्नि शमन सेवा विभाग होना चाहिए तो प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकाय की क्या भूमिका होनी चाहिए? उन राज्यों, जहां सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों के पास नहीं हैं, में यह बात महत्वपूर्ण है।
 - ग. इस प्रक्रिया को स्थापित करने, योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों के अधीन नहीं रहने वाली नगर अग्नि शमन सेवा एजेंसी के बीच क्या संबंध अपेक्षित है?
 - घ. योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
 - ड.. ऐसे मामलों में अनुवीक्षण और मूल्यांकन का कार्यतंत्र क्या हो सकता है?
- राज्य सरकार को ऊपर उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।**

4.4.2 उचित अनुदेशों के अभाव में, नगर निगम जैसा सही और उचित समझे अग्नि खतरा कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार कर सकते हैं। तथापि, इससे विभिन्न राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में अग्नि शमन सेवाओं का असमानुपातिक और असंतुलित विकास होगा। यह महत्वपूर्ण है कि रा. आ. प्रा. प्रा., जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए अधिदेशित (आ. प्र. अधिनियम की धारा 6) किया गया है, को सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्नि खतरा संबंधित कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश बनाने चाहिए, योजना का एक व्यापक और प्रस्तावित आरूप संदर्भ के लिए अध्याय 5 में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकारों की अग्नि शमन सेवाओं को अपनी कार्रवाई योजना तैयार करने के दौरान उसका संदर्भ लेना चाहिए। यह आरूप (फॉर्मेट) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए अग्नि खतरा संबंधित कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार करने में सहायता के लिए निर्धारित किया जा रहा है। यह अन्य शहरों के लिए योजनाएं तैयार करने में भी सहायक होगा।

4.4.3 ये दिशानिर्देश नगर निगमों और राज्य सरकारों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए विस्तृत मानकीकृत योजनाएं तैयार करने में प्रेरित करेंगे, सहायता करेंगे और मार्गनिर्देशन करेंगे।

4.5 परामर्शी प्रक्रिया

4.5.1 राज्य सरकार को विशेषकर उस समय जब शहरी स्थानीय निकायों की निधियों का प्रयोग अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए किया जाना है, 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 182, पैरा 10.172 में उल्लिखित मुद्दों पर संबंधित नगर निगम प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता हो सकती है। यहां उल्लेख करने में अतिश्योक्ति नहीं है कि शहर से लेकर “नगर परिषद” तक के भीतर कार्यरत सभी एजेंसियों की जिम्मेवारी वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन अनिवार्य शर्तों में से एक है। सभी राज्य सरकारों ने इस शर्त को स्वीकार किया है और अनुपालन के लिए समयबद्धता भी इंगित की है। इसलिए स्थानीय निकायों की नगर से संबंधित आयोजना प्रक्रिया में एक भूमिका होनी चाहिए, और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर के लिए अग्नि खतरा कार्रवाई और प्रशमन योजना को ‘परिषद’ के साथ चर्चा अथवा उनके समक्ष योजना पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परामर्शी प्रक्रिया से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार में समुदाय की भागीदारी भी बढ़ाएगा। इस प्रकार यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें एक कार्यतंत्र और संबंधित नगर निगमों और अग्नि शमन सेवाओं का प्रबंधन करने वाले विभाग के साथ परामर्श की प्रक्रिया स्थापित करें।

4.5.2 13वें वित्त आयोग की दूसरी सिफारिश महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों और नगर निगमों को, 13वें वित्त आयोग द्वारा जैसा सुझाव दिया गया है, समयबद्ध तरीके से अग्नि शमन सेवाओं के लिए अनुदानों के एक भाग का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है :

- क. राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा 13वें वित्त आयोग के अधीन प्राप्त अनुदानों का न्यूनतम प्रतिशत आवंटित करने और अग्नि शमन सेवा प्रमुख के परामर्श से तैयार योजना के अनुसार नगर में अग्नि शमन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए उनके प्रयोग हेतु राज्य सरकारों द्वारा सलाह दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को एक आवंटन और तब शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अग्नि शमन सेवा विभाग का दूसरा आवंटन शामिल होगा; अथवा
- ख. विकल्पतः, राज्य सरकार राज्य स्तर पर ही शहरी स्थानीय निकाय के लिए प्राप्त 13वें वित्त आयोग के अनुदान की एक प्रतिशतता उन्हें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करने के पूर्व विभाजित कर सकती है और तदनुसार शहरी स्थानीय निकायों को सूचित कर सकती है। इस प्रकार अलग व्यवस्थित निधि का उपयोग अग्नि शमन सेवा विभाग के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ तैयार योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिए किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकायों को उनके समग्र आवंटन में इस प्रकार व्यय की गई निधियों की राशि और उनके क्षेत्राधिकार/क्षेत्रों में अग्नि शमन सेवाओं की पुनरुद्धार प्रक्रिया में की गई प्रगति से सूचित रखा जा सकता है।

4.5.3 यह महसूस किया जाता है कि शहरी स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय स्थिति के अधीन, विभिन्न हित, निधियों को अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग करना चाहते हों और इस प्रकार अग्नि शमन

सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार समयबद्ध और व्यापक तरीके से आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह वांछनीय है कि आवंटन राज्य स्तर पर ही किया जाना चाहिए। यह स्पष्टतः समझा जाना चाहिए कि 13वें वित्त आयोग ने 12वें वित्त आयोग की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों को आवंटन की राशि काफी बढ़ा दी है। इसे मुख्यतः देश में अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता के कारण किया गया है। यहां तक कि दस प्रतिशत का आवंटन भी पर्याप्त राशि होगी और संपूर्ण देश में बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक भी अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को समर्थ बनाएगी और उसे प्रारंभ करेगी।

4.6 शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की अग्नि शमन सेवाओं के लिए अपेक्षित समग्र आवंटन नियत करना और शहरी स्थानीय निकाय तथा राज्य योजना के बीच निधि की आवश्यकता का विभाजन

4.6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र के लिए बुनियादी न्यूनतम मानक नियत कर रहा है ताकि वे शुरुआत में थोड़ी क्षमता और प्रभावोत्पादकता के साथ कार्य कर सकें। राज्य सरकार अपने राज्य में अग्नि शमन सेवा विभागों की सहायता से अपने अग्नि शमन केंद्रों के उन्नयन के लिए आवश्यक मानवशक्ति के साथ विभिन्न उपस्करों के लिए अपेक्षित धनराशि का परिकलन कर सकती है। अपेक्षित न्यूनतम उपस्कर की किस्म संबंधित असुरक्षितताओं पर निर्भर करेगी। उपस्कर की सन्निकट लागत **अनुबंध-4** में दी जा रही है। मानवशक्ति पर व्यय का परिकलन संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के वेतनमानों के अनुसार किया जाना होगा। राज्य को तब तदनुसार अनुदानों से अलग की गई निधियां शहरी क्षेत्रों में अग्नि शमन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित करनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों से उपलब्ध निधियां मानदंडों के अनुसार समग्र शहरी क्षेत्र की आवश्यकता भी पूर्णतः पूरी करने में पर्याप्त नहीं हो सकतीं। आवश्यक निधियों की कमी पूरी करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक योजना शेष कमियों के लिए तैयार की जानी चाहिए और भारत के योजना आयोग द्वारा अनुमोदन और आवंटन के लिए राज्य योजना में रखी जानी चाहिए।

5

अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना

5.1 परिचय

5.1.1 किसी भी क्षेत्र में अग्नि शमन सेवा मुख्यतः जनसंख्या, प्रत्युत्तर समय और जोखिम खतरा विश्लेषण पर आधारित होती है। जोखिम खतरा विश्लेषण के अभाव में, किसी विशेष अग्नि शमन केंद्र में अपेक्षित विशिष्ट और विशेष उपस्कर का निर्णय लेना अनुचित होगा। इसे क्षति की संभव तथा क्षमता सीमा के सही आकलन पर आधारित होना चाहिए अगर अग्नि शमन सेवाओं के पास संबंधित विशेष उपस्कर नहीं हों। तथापि, उपस्करों के कतिपय सेट हैं, जो प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र के पास होने चाहिए। बढ़ते हुए खतरों के आधार पर योजना की सतत रूप से समीक्षा करने की भी आवश्यकता है और इस प्रकार इसे गतिशील होना आवश्यक है।

5.1.2 यह सिफारिश की जा चुकी है कि एक कानूनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जो अग्नि शमन विभाग से अनिवार्य अग्नि संबंधी स्वीकृतियों और विभिन्न किस्म की इमारतों, कॉलोनियों, उद्योगों और अन्य संस्थापनाओं के लिए विभिन्न अन्य अनिवार्यताओं की व्यवस्था कर सके। उनके लिए कतिपय अग्नि शमन क्षमताएं आदि रखना अनिवार्य होना चाहिए। प्रशमन योजना में ऐसी सभी इमारतों और संस्थापनाओं का व्यौरा, उन संस्थापनाओं के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते और दूरभाष संख्या होना चाहिए। व्यौरे में उनके पास उपलब्ध अग्नि शमन उपस्करों और सुविधाओं की सूची भी शामिल होनी चाहिए।

5.1.3 योजना में जन जागरूकता और विशेषकर स्कूलों, व्यस्त शॉपिंग मॉल, ऊंची इमारतों और रिहायशी समूहों में अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं को समय पर नियंत्रित करके कम करने के लिए अग्नि शमन सुविधाओं और उपस्करों के निरीक्षण के लिए कार्यकलापों का एक कैलेंडर शामिल होना चाहिए।

5.1.4 जैसा पहले उल्लेख किया गया है, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यनिष्पादन अनुदान का आकलन करने के लिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में एक सिफारिश दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए अग्नि खतरा प्रत्युत्तर और प्रशमन योजना तैयार करना और राज्य के राजपत्र में उसका प्रकाशन करना है। 13वें वित्त आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि अग्नि शमन सेवा के पुनरुद्धार और सुदृढीकरण तथा अग्नि खतरा संबंधित कार्रवाई और प्रशमन योजना तैयार करने और उसके रख-रखाव के लिए स्थानीय निकाय क्षेत्र में राज्य स्तरीय अग्नि शमन एजेंसियों तथा साथ ही रा. आ. प्र. प्रा. से विशेषज्ञता ले सकते हैं।

5.2 अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना

5.2.1 इसलिए हितधारकों की सुविधा के लिए, योजना और उसके विभिन्न संघटकों की एक स्पष्ट रूपरेखा एक साथ रखी जा रही है और वे निम्नानुसार हैं :

क. शहर की पृष्ठभूमि

- नगर की रूपरेखा – जनसंख्या, घनत्व, भूमि प्रयोग, इमारतों की किस्म, सड़कें और नगर तक पहुंचने की व्यवस्था;
- अवसंरचना, स्वारथ्य देखभाल प्रणाली, व्यावसायिक और औद्योगिक स्थल, स्कूल, शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य भूमि प्रयोग आदि। असुरक्षित परिसंपत्तियों, लोगों, आवास और महत्वपूर्ण असंरचना को वर्गीकृत करें; और
- संसाधन और संस्थान – सरकारी और निजी, जो अग्नि खतरा प्रत्युत्तर प्रणाली का समर्थन और सहायता कर सकें।

ख. आयोजना प्रक्रिया, प्रत्युत्तर और प्रशमन कार्यनीति

- लक्ष्य, उद्देश्य और संभावित कार्रवाईयों का योजना में स्पष्टतः उल्लेख किया जाना चाहिए;
- ऐतिहासिक खतरा सूचना (प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित, दोनों) एकत्र करके खतरे की पहचान
- जोखिम और असुरक्षिता आकलन – नगर विशिष्ट खतरों की पहचान और शामिल जोखिमों का आकलन (असुरक्षितता विश्लेषण); और
- स्वयं की परिसंपत्ति और क्षमताओं का आकलन – (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, विनियामक, कानूनी) और यह निर्धारित करना कि शहरी स्थानीय निकायों/अग्नि शमन सेवाओं के संगठनों को आवश्यकता पर कैसे ध्यान देने की आवश्यकता है।

ग. संसाधन की पहचान –

- सरकारी विभागों, मौजूदा संस्थाओं, विशेषज्ञ एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के क्षमता आकलन के साथ उनकी भूमिका की पहचान;
- समुदाय और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य हितधारकों की पहचान;
- संसाधनों को संगठित करना – खतरा प्रशमन दलों, एजेंसियों, समुदाय के सदस्यों का निर्धारण/चयन कार्य;
- योजना के कार्यान्वयन के लिए चरण/कदम उठाने का निर्णय लेना – मुख्य चरण, कार्रवाई, जनता की भागीदारी-प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जनता तक पहुंच और सुग्राहीकरण योजना, समुदाय की भागीदारी और वार्ड समिति तथा क्षेत्र सभा/पंचायतों आदि की भूमिका;
- नगर की भावी विकास योजनाओं की समीक्षा और समामेलन कार्य तथा अन्य सूचना;

- निवारक कार्रवाई – संपत्ति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तकनीकें और कार्यनीतियां, बड़ी कॉलोनियों और ऊंची इमारतों में स्वयं उनके उपयुक्त उपस्कर और सुविधाएं; जैसे जल, अग्नि शमन उपकरण, निकलने का मार्ग आदि, जन सूचना और जागरूकता योजना और अपेक्षित कार्रवाई;
- संभावित प्रभाव और क्षति – सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय; और
- योजना कार्य के लिए जीआईएस का प्रयोग।

घ. मूल्यांकन और अनुवीक्षण

- योजना को गतिशील बनाने के लिए समुदाय का एकीकरण, निरंतर मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण आवश्यक है। शहरों में नगर परिषद और गांवों में पंचायती राज संस्थाओं के साथ बातचीत/ संपर्क बहुत सहायक सिद्ध होगी। योजनाओं पर उनके साथ चर्चा की जानी चाहिए और प्राप्त सुझावों को समय-समय पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। अग्नि संबंधी आपातकाल के लिए औचक कृत्रिम अभ्यास योजना के मूल्यांकन और अनुवीक्षण में अत्यधिक सहायता करेंगे।

5.3 अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना के बुनियादी संघटक और ब्यौरे

5.3.1 सुविधा के लिए अग्नि के खतरे के प्रति कार्रवाई और प्रशमन योजना का बुनियादी फॉर्मेट नीचे दिया जा रहा है, जिसे ऊपर चर्चा किए गए ब्यौरे के आधार पर तैयार किया जा सकता है। इस योजना की तैयारी दस लाख से अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाले शहरों के लिए अनिवार्य है।

| |
|---|
| क. शहर/क्षेत्र जिसकी योजना बनाई जा रही है, का ब्यौरा : |
| क) शहर का नाम : |
| ख) शहर की जनसंख्या : |
| ग) शहर का क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) : |
| घ) शहर में जनसंख्या का घनत्व : |
| ड.) शहर का असुरक्षितता विश्लेषण : (सभी संगत संभव खतरों का उल्लेख करें) |
| 6. अग्नि शमन सेवाओं का रख-रखाव करने वाले प्राधिकारी का नाम अर्थात् उसके विस्तृत पते, जिले और पिन कोड के साथ राज्य अग्नि शमन सेवा/स्थानीय स्वशासन जैसे नगर निगम/ नगर परिषद |
| 7. स्थायी अग्नि शमन सलाहकार परिषद के मानदंडों के आधार पर कमियां |
| क) 50,000 की जनसंख्या के लिए एक अग्नि शमन इंजन; |
| ख) 10 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र के लिए एक अग्नि शमन केंद्र; |
| ग) 50 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अग्नि शमन केंद्र; तथा |
| घ) शहरी क्षेत्र में प्रत्युत्तर समय अधिकतम 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट। |

| | |
|--|---|
| 8. | अग्नि शमन सेवाओं के लिए राज्य-स्तरीय नोडल प्राधिकारी (अगर अग्नि शमन सेवा का प्रांतीयकरण नहीं हुआ है) |
| 9. | <p>अग्नि शमन सेवा प्रधान :</p> <p>क) नाम :</p> <p>ख) पदनाम :</p> <p>ग) पिन कोड के साथ पता :</p> <p>घ) दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड सहित) :</p> <p>ड.) फैक्स संख्या :</p> <p>च) मोबाइल संख्या :</p> <p>छ) ई-मेल :</p> |
| 10. | <p>संबंधित नगर के आपातकालीन प्रचालन केंद्र का ब्यौरा :</p> <p>क) पिन कोड के साथ पता :</p> <p>ख) दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड सहित) :</p> <p>ग) फैक्स संख्या :</p> <p>घ) ई-मेल :</p> |
| 11. | क्या अग्नि शमन सेवा का नियंत्रण किसी अग्नि शमन अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम और नियम द्वारा होता है, अगर नहीं तो आप निवारक उपाय कैसे लागू करने जा रहे हैं? |
| 12. | जनता के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए कैलेंडर। इसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह क्षेत्राधिकार के असुरक्षित क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या को शामिल कर सके। |
| 13. | महत्वपूर्ण संस्थापनाओं/औद्योगिक संयंत्रों/सरकारी इमारतों/स्कूलों और अस्पताल आदि जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना में निकासी अभ्यास/नकली अभ्यास की योजना और कैलेंडर |
| <p>ख : जोखिम आकलन, घटना निवारण तथा नगर का प्रशमन :</p> <p>(जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण योजना)</p> | |
| 14. | पुरानी और नई, सभी किस्म की इमारतों के अनिवार्य अग्नि खतरा मूल्यांकन की योजना |
| 15. | नए निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2005 के विहित प्रावधानों के अनुसार अग्नि संबंधी अनुमोदनों को लागू करने की योजना |
| 16. | मुख्यालय अथवा केंद्रीय डेटा सेटअप में कैसे सभी अग्नि संबंधी अनुमोदन रखे जाएं, इसकी योजना बनाएं। |
| 17. | नई विकास परियोजनाओं के लिए नगर में विकास संबंधी नियंत्रण नियम लागू और प्रभावी करने के लिए योजना |

18. नगर में अग्नि के संभावित जोखिम का ब्यौरा

| क्र.सं. | विवरण | संख्या | |
|---------|--|---------|-------------|
| | | रिहायशी | गैर-रिहायशी |
| क. | इमारतें | | |
| | 15 मीटर तक ऊँची | | |
| | 15 से 24 मीटर तक ऊँची | | |
| | 24 से 36 मीटर तक ऊँची | | |
| | 36 से 45 मीटर तक ऊँची | | |
| | 45 से 60 मीटर तक ऊँची | | |
| | 60 से 75 मीटर तक ऊँची | | |
| | 75 से 100 मीटर तक ऊँची | | |
| | 100 से 150 मीटर तक ऊँची | | |
| | 150 मीटर से अधिक ऊँची | | |
| ख. | औद्योगिक क्षेत्र / रासायनिक इलाका | | |
| ग. | सिनेमा हॉल / मॉल / ड्रामा / थियेटर | | |
| घ. | सार्वजनिक समारोह स्थल | | |
| ड. | खतरनाक रसायन भंडारण | | |
| च. | तीर्थ क्षेत्र (वहां उमड़ती हुई जनसंख्या) | | |
| छ. | प्रदर्शनी / सार्वजनिक समारोह मैदान जहां सर्कास अथवा अन्य किसी धार्मिक / सामाजिक समारोह के लिए पंडाल निर्मित करने हेतु अनुमति दी जाती है। | | |
| ज. | अन्य (ब्यौरे दें) | | |

टिप्पणी :- सभी इमारतों को एनबीसी, 2005 के भाग 4 के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर उप-वर्गीकृत किया जाना चाहिए :

| |
|--|
| क. रिहायशी इमारतें <ul style="list-style-type: none"> क) आवास और ठहरने के मकान ख) एक अथवा दो परिवार के निजी आवास ग) डॉरमेटरी घ) अपार्टमेंट मकान – (फ्लैट) ड.) होटल च) होटल (तारांकित) |
| ख. शैक्षणिक इमारतें <ul style="list-style-type: none"> क) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल ख) अन्य सभी प्रशिक्षण संस्थान |

ग. संस्थात्मक इमारतें

- क) अस्पताल और सेनेटोरियम
- ख) परिरक्षक संस्थाएं
- ग) दंडात्मक और मानसिक संस्थाएं

घ. समूह घ सभा भवन

ङ. समूह ङ. व्यावसायिक भवन

च. समूह च व्यावसायिक भवन

छ. समूह छ औद्योगिक भवन

ज. समूह ज भंडारण भवन

झ. समूह झ खतरनाक भवन

19. निम्नलिखित ब्यौरे के साथ नगर की रूपरेखा :

- क) नगर से गुजरने वाला कोई मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग
- ख) नगर से गुजरने वाला कोई राज्य राजमार्ग
- ग) नगर में कोई टनल (सुरंग)
- घ) नगर में बड़े पुल
- ङ.) दुर्घटना प्रवण हिस्से
- च) नगर में अथवा नगर के समीप पर्वतीय क्षेत्र/पर्वत क्षेत्र में सड़कें
- छ) अन्य संबद्ध सूचना

20. रेलवे नेटवर्क

- क) मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मुख्य स्टेशन
- ख) लोकल रेलगाड़ियों का स्टेशन
- ग) मेट्रो ट्रेन के स्टेशन
- घ) भूमिगत मेट्रो ट्रेन स्टेशन
- ङ.) स्काई बस
- च) मोनो रेल

21. हवाई अड्डे

- क) घरेलू
- ख) अंतर्राष्ट्रीय
- ग) कार्गो
- घ) हेलीपैड
- ङ.) वायुसेना एयरबेस

22. समुद्र/नदी पत्तन

- क) यात्री जेटी
- ख) कन्टेनर जेटी
- ग) थोक सामग्री लाने—ले जाने वाले जेटी
- घ) पेट्रोलियम उत्पाद लाने—ले जाने वाले जेटी
- ड.) रासायनिक और खतरनाक सामग्री लाने—ले जाने वाले जेटी
- च) मछली लाने—ले जाने वाले जेटी
- छ) जहाज विखंडन क्षेत्र
- ज) जहाज निर्माण गोदी
- झ) नौसेना बेस

23. नगर में महत्वपूर्ण संस्थापनाएं

- क) सचिवालय
- ख) विधान सभा
- ग) बैंक मुख्यालय
- घ) मुख्य सरकारी और अर्ध—सरकारी संगठनों के मुख्यालय
- ड.) परमाणु विद्युत स्टेशन
- च) रासायनिक कारखाने
- छ) उर्वरक संयंत्र
- ज) मुख्य खतरनाक इकाइयां
- झ) क्रॉस कंट्री पाइप लाइन
- अ) रिफाइनरी, थोक भंडारण डिपो जैसी पेट्रोलियम तेल कंपनियां
- ट) पेट्रोलियम और ज्वलनशील गैस, एलपीजी भरण स्टेशन
- ठ) घरेलू गैस पाइप नेटवर्क
- ड) सिलिंडर गैस भंडारण—बिक्री केंद्र
- ढ) और ऐसे अन्य स्थान

24. प्रदर्शनी हाल, सर्कस टैंट, धार्मिक कार्यकलापों के लिए निर्मित पंडाल जैसी अस्थायी संरचनाएं।

25. नगर में टूटी—फूटी और असुरक्षित इमारतें।

26. झुग्गी—झोपड़ी और गंदी बस्ती क्षेत्र में बने घरों जैसे असंगठित मकान।

27. शहर में मौजूद अन्य खतरों का ब्यौरा और तदनुसार कार्रवाई और प्रशमन की योजनाएं। भूवैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, मानव से होने वाले, अंतर्राष्ट्रीय और प्रौद्योगिकीय खतरे।

क. नगर से संबद्ध भूवैज्ञानिक खतरे :

- क) भूकम्प
- ख) सूनामी
- ग) भू-स्खलन, कीचड़ स्खलन, भूमि का धंसना
- घ) ग्लेशियर, आइसबर्ग

ख. नगर से संबद्ध मौसम वैज्ञानिक खतरे :

- क) बाढ़, आकस्मिक बाढ़, ज्वार-भाटा
- ख) सूखा
- ग) आग (वन क्षेत्र, शहरी, वन भूमि)
- घ) बर्फ, बर्फीला तूफान, ओलावृष्टि, हिमस्खलन
- ड.) आंधी, ऊष्णकर्टिबंधीय, चक्रवात, तूफान, बवंडर, जल प्रवाह, धूल/रेत की आंधी
- च) अत्यधिक तापमान (गर्म, ठंडा)
- छ) तड़ित आधात
- ज) अकाल
- झ) भू-चुम्बकीय आंधी

ग. नगर में संबद्ध जैव वैज्ञानिक खतरे :

- क) उभरती हुई बीमारियां जो मानव अथवा पशु पर प्रभाव डालती हैं (स्वाइन फ्लू, मलेरिया, बर्ड फ्लू, प्लेग, चेचक, एन्थ्रेक्स, पैर और मुँह की बीमारी)
- ख) पशु अथवा कीड़ों का उत्पीड़न अथवा क्षति।

घ. मानव जनित घटनाएं जैसी निम्नलिखित हैं :

दुर्घटनात्मक

- क) खतरनाक सामग्री (विस्फोटक, ज्वलनशील, द्रव, ज्वलनशील गैस, ज्वलनशील ठोस, ऑक्सीकारक, विष, विकिरणीय/संक्षारक) का छलकना अथवा निर्गमन
- ख) विस्फोट/आग
- ग) ढुलाई (परिवहन) के दौरान दुर्घटना
- घ) इमारत/संरचना का गिरना
- ड.) ऊर्जा/विद्युत/जनोपयोगी साधन का खराब होना
- च) ईंधन/संसाधन की कमी
- छ) वायु/जल प्रदूषण, संदूषण
- ज) जल नियंत्रण संरचना/बांध/लीवर का विफल होना
- झ) वित्तीय मुद्दे (आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणाली का विफल होना)
- अ) संचार प्रणाली में बाधाएं
- ट) गलत सूचना और
- ठ) अन्य कोई घटना

अंतर्राष्ट्रीय

(निम्नलिखित से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित खतरों और कार्य योजना का आकलन)

- क) आंतकवाद (विस्फोटक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक, विकिरणकीय, नाभिकीय, साइबर)
- ख) तोड़-फोड़
- ग) नागरिक अव्यवस्था, जन अशांति, जनोन्माद, दंगा
- घ) शत्रु का आक्रमण, युद्ध
- ड.) विद्रोह
- च) हड्डताल अथवा श्रमिक विवाद
- छ) भ्रामक सूचना
- ज) आपाराधिक कार्यकलाप (बर्बरता, आगजनी, चोरी, धोखाधड़ी, गबन, आंकड़ों की चोरी)
- झ) विद्युत-चुम्बकीय स्पन्दन
- ज) भौतिक और सूचना की सुरक्षा का उल्लंघन
- ट) कार्यस्थल में हिंसा
- ठ) उत्पाद की त्रुटि या संदूषण
- ड) उत्पीड़न
- ढ) भेदभाव
- ण) अन्य कोई घटना

प्रौद्योगिकी जनित घटना की संभावना जिसे प्राकृतिक या मानव घटनाओं से असंबद्ध किया जा सकता है, जैसे :

- क) केंद्रीय कम्प्यूटर, मेनफ्रेम, सॉफ्टवेयर या अनुप्रयोग (आंतरिक / बाह्य)
- ख) संबद्ध सहायक उपस्कर
- ग) दूरसंचार
- घ) ऊर्जा / विद्युत / जनोपयोगी
- ड.) अन्य कोई घटना

28. खतरों की संभावनाओं का खाका बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों के अग्नि और बचाव के बुलावे (फायर एवं रेस्क्यू कॉल्स) का व्यौरे का संग्रहण और विश्लेषण

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष |
|---------|--|------|------|------|------|------|
| 1 | आग लगने और बचाव की कॉल्स की कुल संख्या | | | | | |
| | क) आग लगने की कॉल्स की संख्या | | | | | |
| | ख) बचाव की कॉल्स की संख्या | | | | | |
| | ग) गैस रिसाव की संख्या | | | | | |
| | घ) इमारत का गिरना | | | | | |
| | ड.) खतरनाक सामग्रियों की कॉल्स | | | | | |
| | च) पशुओं को बचाने की कॉल्स | | | | | |
| | छ) अन्य कॉल्स | | | | | |

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष |
|---------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2 | बचाए गए लोगों की संख्या | | | | | |
| 3 | मृत लोगों की संख्या | | | | | |
| 4 | घायलों की संख्या | | | | | |
| 5 | बचाई गई संपत्ति (लाख रुपए में) | | | | | |
| 6 | क्षतिग्रस्त संपत्ति (लाख रुपए में) | | | | | |

29. घटनाओं के संभावित समय का विश्लेषण

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष |
|---------|---|------|------|------|------|------|
| क | 7.00 बजे प्रातः से 7.00 बजे सांय तक प्राप्त आग लगने / बचाव की कॉल्स की संख्या | | | | | |
| ख. | 7.00 बजे सांय से 7.00 बजे प्रातः तक प्राप्त आग लगने / बचाव की कॉल्स की संख्या | | | | | |

ग. योजना-निर्माण, संसाधन प्रबंधन और घटना प्रबंधन

(परस्पर सहायता / सहयोग, आपातकालीन प्रत्युत्तर और प्रचालन आपातकालीन प्रत्युत्तर योजना विकसित करना और उसका कार्यान्वयन, कार्यविधियों और निर्णय समर्थन प्रणाली का प्रचालनीकरण)

30. नगर की आपदा प्रबंधन योजना और उसमें अग्नि शमन सेवा का उत्तरदायित्व

31. अग्नि शमन और बचाव कार्य करने के लिए किसी केंद्रीय अथवा अन्य राज्य सरकार प्राधिकारी से परस्पर सहायता लेने की योजना। कृपया ब्यौरे दें।

32. क्षेत्राधिकार में सभी महत्वपूर्ण संस्थापनाओं, इमारतों और औद्योगिक संयंत्रों के लिए सभी कार्यस्थल और कार्यस्थल से परे आपदा प्रबंधन योजना संग्रहित करें और उनमें अग्नि शमन सेवा की भूमिका ज्ञात करें।

33. उन अग्नि शमन केंद्रों जिनसे सहायता करने का अनुरोध किया जा सकता है, के पते।

| क्र. सं. | अग्नि शमन केंद्र का नाम | अग्नि शमन केंद्र के निर्माण की किस्म अर्थात आरसीसी / धातु शेड / अस्थायी शेड | पता | दूरभाष संख्या | फैक्स संख्या |
|----------|-------------------------|---|-----|---------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

34. अग्नि शमन केंद्रों में उपलब्ध कराए गए अग्नि शमन और बचाव उपकरणों का व्यौरा

| क्र. सं. | अग्नि शमन केंद्र का नाम | जल वाहन की संख्या | बचाव वाहन की संख्या | सीढ़ियों अर्थात् टीटीएल / एएलपी की संख्या | अन्य अग्नि शमन और बचाव उपकरण |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

35. अग्नि शमन सेवा का सारांश

| क्र. सं. | वाहनों की संख्या | संख्या |
|----------|---|--------|
| क) | अग्नि शमन केंद्रों की संख्या | |
| ख) | जल वाहन | |
| ग) | बचाव वाहन | |
| घ) | उन्नत आपातकालीन बचाव वाहन | |
| ड.) | बाढ़ और बचाव वाहन | |
| च) | हजमत वैन | |
| छ) | टर्न टेबल सीढ़ियां (टीटीएल) | |
| ज) | हाइड्रॉलिक प्लेटफार्म | |
| झ) | डीसीपी वाहन | |
| झ.) | झाग (फोम) वाहन | |
| ट) | धुंआ फेंकने वाला यंत्र | |
| ठ) | कंट्रोल पोस्ट वैन | |
| ड) | जल टैंकर | |
| ड.) | एम्बुलेंस | |
| ण) | कार | |
| त) | जीप | |
| थ) | उच्च दाब वहनीय पम्प | |
| द) | वहनीय पम्प | |
| ध) | श्वसन उपकरण सेट | |
| न) | बाढ़ बचाव नौका | |
| प) | लाइफ जैकेट | |
| फ) | अन्य उपकरणों और उपस्करों का व्यौरा | |
| ब) | अग्नि शमन केंद्र में सभी कार्मिकों का विस्तृत पता और दूरभाष संख्या, अगर कोई हो | |
| भ) | प्रशिक्षण मैदान, ड्रिल टावर आदि जैसे अग्नि शमन केंद्र को कार्मिकों के दिन-प्रति-दिन के प्रशिक्षण की आवश्यकता की योजना | |

36. अग्नि शमन और आपातकालीन सेवा से संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा (राज्य मुख्यालय से लेकर स्थानीय अग्नि शमन केंद्र तक)

| क्र.सं. | पदनाम | पता | कार्यालय का पता | संपर्क का ब्यौरा |
|---------|-----------------------------|-----|-----------------|---|
| (क) | | | | दूरभाष (कार्यालय): दूरभाष (निवास): मोबाइल संख्या: फैक्स संख्या : ई-मेल: |
| (ख) | | | | दूरभाष(कार्यालय): दूरभाष (निवास): मोबाइल संख्या: फैक्स संख्या : ई-मेल: |
| (ग) | | | | दूरभाष(कार्यालय): दूरभाष (निवास): मोबाइल संख्या: फैक्स संख्या : ई-मेल: |
| (घ) | | | | दूरभाष(कार्यालय): दूरभाष (निवास): मोबाइल संख्या: फैक्स संख्या : ई-मेल: |
| (ङ.) | अन्य (पदनाम निर्दिष्ट करें) | | | दूरभाष(कार्यालय): दूरभाष (निवास): मोबाइल संख्या: फैक्स संख्या : ई-मेल: |

घ. संचार, शीघ्र चेतावनी और प्रचालनात्मक कार्यविधियां

इसमें उपलब्ध संचार माध्यम की किस्म का ब्यौरा होना चाहिए – वायरलेस, (यूएचएफ / वीएचएफ), इंटरनेट, स्थानीय रेडियो स्टेशन, टीवी और केबल चैनलों, मोबाइल फोन सेवा प्रदायकों के साथ संपर्क, वैशिक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और समय-समय पर यथा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)।

6

प्रशिक्षण

6.1 परिचय

6.1.1. प्रशिक्षण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अग्नि शमन सेवा कार्मिकों को ज्ञान, कुशलता, प्रवृत्ति, शारीरिक योग्यता, कल्पनादृष्टि और मानसिक जागरूकता विकसित करने के लिए आवश्यक अवसर दिया जाता है जिसकी अपेक्षा वे अपना कार्य क्षमतापूर्वक करने के लिए करते हैं और उन्हें जीवनवृत्ति विकास के लिए हर अवसर प्रदान किया जाता है।

6.2 क्षमता निर्माण

6.2.1 आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण 13वें वित्त आयोग द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है और उसने इस शीर्ष के अधीन राज्यों को पर्याप्त निधियां आवंटित की हैं। इन निधियों का उपयोग अग्नि शमन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाना चाहिए।

6.3 अग्नि शमन सेवाओं में अग्नि शमन कर्मियों का प्रशिक्षण

6.3.1 अग्नि शमन सेवाओं में अग्नि शमन कर्मियों की भूमिका आग बुझाना, फंसे हुए व्यक्तियों को बचाना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और विभिन्न मानव-जनित आग की दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रत्युत्तर देना है। यह भूमिका तब तक भली-भांति नहीं निष्पादित की जा सकती है जब तक अग्नि शमन कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता। प्रशिक्षण की किस्म, अवधि आदि प्रवेश के स्तर पर निर्भर करेगी।

6.4 प्रवेश के स्तर

6.4.1 मूलतः प्रशिक्षण के दो स्तर होते हैं : क) अग्नि शमन कर्मी और ख) उप-अधिकारी / अग्नि शमन सेवाओं की बिना योजना के वृद्धि और विकास से विभिन्न राज्यों में सेवा में प्रवेश के अनेक स्तर हुए हैं। कुछ राज्यों में सेवा के अप्रांतीयकरण, पर्याप्त अधिकारियों की अनुपलब्धता और उचित संवर्ग योजना बनाने की कमी के कारण केंद्र अधिकारी, प्रमंडलीय अधिकारी और मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जैसे स्तरों पर भी भर्ती हो रही है।

6.5 अग्नि शमन कर्मियों/अग्रणी अग्नि शमन कर्मियों/चालकों का बुनियादी प्रवेश प्रशिक्षण

6.5.1 इस समय अग्नि शमन कर्मी/अग्रणी अग्नि शमन कर्मी/चालक (ड्राइवर) के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारी वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सहित 10वीं कक्षा/मैट्रिक उत्तीर्ण होना है। व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवेश प्रशिक्षण 6 महीने का होता है और अग्नि शमन कर्मी तथा अग्रणी अग्नि शमन कर्मी के लिए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा अनुबंध-5 और 6 में दिया गया है।

6.5.2 यहां यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि नागपुर अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय में अगले उच्चतर पद की योग्यता बढ़ाकर 10+2 कक्षा की गई है। इसलिए राज्य सरकारें बुनियादी स्तर पर प्रवेश की योग्यता 10+2 कक्षा तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। अन्यथा, अग्नि शमन कर्मी, जिनकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भर्ती की जाती है, को अगली पदोन्नति के लिए 10+2 कक्षा की योग्यता प्राप्त करनी होगी।

6.6 अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रवेश और सेवा के दौरान पदोन्नति प्रशिक्षण

6.6.1 प्रत्येक अग्नि शमन कर्मी/अग्नि शमन अधिकारी को राज्य के भर्ती और पदोन्नति नियमों में यथानिर्धारित अगले उच्चतर रैंक में पदोन्नति होने के लिए अनिवार्य सेवाकालीन पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अपेक्षित होता है। अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण 6 महीने का होता है और यह नागपुर अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र तथा गृह मंत्रालय/नागपुर अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्णीत अन्य मौजूदा राज्य प्रशिक्षण केंद्रों में संचालित किया जाता है।

6.7 अन्य आपदाओं के प्रति कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण

6.7.1 अग्नि शमन के लिए क्षमता के अतिरिक्त अग्नि शमन केंद्रों में बचाव चिकित्सा की प्रथम कार्रवाई (प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस आदि) के लिए उपस्कर ही नहीं होना चाहिए बल्कि अग्नि की दुर्घटना के दौरान उन कर्तव्यों को निष्पादित करने और संभवतः अन्य आपदाओं के प्रति कार्रवाई इकाई होने के लिए भी प्रशिक्षित मानवशक्ति होनी चाहिए। आज के परिदृश्य के दृष्टिगत उन्हें नाभिकीय, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) आपातकाल में भी प्रत्युत्तर देने में दक्ष बहु खतरा कार्रवाई इकाई होने के लिए उपस्करों से सज्जित और प्रशिक्षित करना उपयुक्त होगा। ऐसी आपातस्थितियों के लिए अपेक्षित विशिष्ट उपस्कर शहर के मध्य स्थित अग्नि शमन केंद्र, जहां इसकी आवश्यकता संभावित है, अथवा जहां से अपेक्षा होने पर इसे सरलतापूर्वक जुटाया जा सकता हो, में रखा जाना चाहिए। इस बात का निर्णय लेने में असुरक्षितता विश्लेषण सहायक होगा कि कौन सा उपस्कर प्रदान किया जाना चाहिए और इसे कहां रखा जाना चाहिए। आदर्शतः अग्नि शमन कर्मी के प्रशिक्षण में अन्य संभावित खतरों/आपदाओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए भी प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।

6.8 प्रशिक्षण केंद्र

6.8.1 नए प्रवेश करने वालों के लिए और सेवाकालीन/पदोन्नति पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र पूर्ण रूप से प्रत्येक राज्य में आवश्यक है। राज्य सरकार प्रशिक्षण केंद्र में 30 से 40 प्रतिभागियों के लिए कक्षाएं, प्रशिक्षण उपस्कर, बाह्य प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं, दो छोटे ऑडिटोरियम में विभाजित करने के विकल्प सहित 70 से 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ पूर्णतः अपेक्षित सुविधायुक्त ऑडिटोरियम, एक प्रमुख सभा क्षेत्र तथा मुख्य सुविधा के समीप एकत्रण (ब्रेकआउट) स्थान, रसोईघर और खानपान की सुविधा सहित 50 से 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास जैसी पर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य, जहां अग्नि शमन सेवाएं नगर निगम/परिषद के अधीन है, राज्य प्रशिक्षण केंद्र का निधिपोषण संयुक्त रूप से नगर निगम और राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। यह इंगित करना अनिवार्य होगा कि 13वें वित्त आयोग ने आपदा प्रत्युत्तर में क्षमता निर्माण के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया हैं (13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 11.102)। राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय भी अग्नि शमन कार्मिकों और समुदाय आदि के प्रशिक्षण के लिए इस शीर्ष के अधीन उपलब्ध निधियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र अग्नि शमन उपस्करों और उपकरणों जो राज्य के क्षेत्र प्रचालन में अग्नि शमन सेवा द्वारा सामान्यतः प्रयोग में होते हैं, की अपेक्षित संख्या से लैस होंगे। अपेक्षित संख्या एक बार में अपेक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और तत्काल अभ्यास के लिए आवंटित अवधि/सत्रों की संख्या के आधार पर निकाली जा सकती है। प्रशिक्षण केंद्र में अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाओं का अन्य ब्यौरा अनुबंध-29 में दिया गया है।

6.8.2 प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशात्मक तथा सहायक कर्मचारियों की समुचित संख्या होना चाहिए। संकाय और कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पर आधारित होगी ताकि प्रत्येक 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए अंतरंग कक्षाओं हेतु एक संकाय सदस्य हो और प्रत्येक 12 प्रशिक्षणार्थियों के लिए बाह्य कक्षाओं हेतु एक संकाय सदस्य हो। संकाय की कमी के मामले में, राज्य सरकार अनुभवी और सेवानिवृत्त अग्नि शमन सेवा के अधिकारियों का प्रयोग कर सकती है।

6.8.3 अग्नि शमन कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे सभी उपस्करों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, जिनका राज्य में अग्नि शमन सेवा में प्रयोग किया जा रहा हो। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय अग्नि की विभिन्न आपातस्थितियों के लिए आधुनिक सिमुलेटरों की वृद्धि कर सकते हैं। सिमुलेटर प्रशिक्षण लेते समय जीवन के समीप का अनुभव प्रदान करेंगे और भर्ती किए गए लोगों के अच्छे प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षण संस्थान के लिए अपेक्षित खतरनाक सामग्री संबंधित आपातस्थिति के लिए न्यूनतम उपस्कर अनुबंध-27 में दिए गए हैं।

6.8.4 यह देखा गया है कि बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में अपनी विशेषज्ञता के कारण अग्नि शमन सेवा को नियमित रूप से अन्य आपातस्थितियों और आपदा की स्थितियों में भी बुलाया जाता है। इसलिए, अन्य आपदाओं (मानव-जनित और प्राकृतिक) में प्रभावी और सक्षम प्रत्युत्तर प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसी सभी संभव स्थितियों में भी कार्यनिष्पादन के लिए सुप्रशिक्षित होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें विभिन्न आपातस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए और तदनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण केंद्र में अन्य आपदाओं में प्रशिक्षण के लिए भी पर्याप्त संख्या में उपस्कर उपलब्ध होने चाहिए। सारणी-6 में यथाप्रदर्शित उप-अधिकारियों, स्टेशन अधिकारियों, प्रमंडलीय अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य विशिष्ट कोर्स का ब्यौरा अनुबंध-7 से 26 में दिया गया है।

सारणी-6

| क्र.सं. | कोर्स | पाठ्यक्रम (करिक्यूलम) |
|---------|--|--------------------------|
| 1 | उप-अधिकारी | अनुबंध-7 |
| 2 | स्टेशन अधिकारी | अनुबंध-8 |
| 3 | प्रमंडलीय अधिकारी | अनुबंध-9 |
| 4 | चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-10 |
| 5 | बुनियादी आपदा प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-11 |
| 6 | सामान्य खोज और बचाव कोर्स | अनुबंध-12 |
| 7 | उन्नत खोज और बचाव कोर्स | अनुबंध-13 |
| 8 | अग्नि शमन प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-14 |
| 9 | खतरनाक सामग्री संबंधित आपातकालीन प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-15 |
| 10 | जन संहार हथियार संबंधित कोर्स | अनुबंध-16 |
| 11 | बाढ़ बचाव के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-17 |
| 12 | क्षतिग्रस्त इमारत की खोज और बचाव संबंधित कोर्स | अनुबंध-18 |
| 13 | रासायनिक आपदा संबंधित प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-19 |
| 14 | जैविक घटना संबंधित प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स | अनुबंध-20 |
| 15 | बाढ़ / चक्रवात संबंधित आपदा कार्रवाई कोर्स | अनुबंध-21 |
| 16 | भूकम्प आपदा संबंधित कार्रवाई कोर्स | अनुबंध-22 |
| 17 | रेल परिवहन दुर्घटना के लिए आपातकालीन कार्रवाई | अनुबंध-23 |
| 18 | विकिरणीय और नाभिकीय आपातस्थितियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | अनुबंध-24 |
| 19 | श्वसन उपकरण कोर्स | अनुबंध-25 |
| 20 | अग्नि निवारण कोर्स | अनुबंध-26 |

7

अग्नि शमन केंद्र का स्तर-निर्धारण, उपकरण और मानवशक्ति

7.1 परिचय

7.1.1 किसी भी अग्नि शमन सेवा की प्रचालनात्मक दक्षता काफी सीमा तक उस संपूर्ण क्षेत्र तथा जनसंख्या, जिसकी संरक्षा उस अग्नि शमन केंद्र द्वारा की जानी अपेक्षित है, के संदर्भ में अग्नि शमन केंद्रों की अवस्थिति (लोकेशन) पर निर्भर करती है। यह अवलोकन किया गया है कि अग्नि शमन केंद्रों की स्थापना करते समय उनकी सापेक्ष अवस्थितियों तथा वहां की जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता। अनेक नगरों में एक एकल अग्नि शमन केंद्र होता है जो या तो नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होता है अथवा नगर के बाहर स्थित होता है जिसके कारण यंत्रों को अक्सर समय पर घटना स्थल पर पहुंचने में विलंब हो जाता है। यह सुझाव दिया गया है कि एस एफ ए सी द्वारा पहले से ही निर्धारित मानदंडों के अनुसार, अग्नि शमन केंद्र इस प्रकार सुसज्जित तथा मानवशक्ति से युक्त होने चाहिए कि सभी उच्च खतरों के लिए तथा घने निर्मित क्षेत्रों में अधिकतम 3 मिनट के कार्रवाई समय का लक्ष्य रखा जाए तथा सभी अन्य क्षेत्रों के लिए कार्रवाई समय पांच मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि अग्नि शमन केंद्रों की स्थापना उपर्युक्त मानदंड के अनुसार उपयुक्त अवस्थल पर नहीं की जा सकती तो प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र की अपेक्षित संख्या में उपयुक्त रूप से उपस्कर्तों से लैस अग्नि शमन चौकियां होनी चाहिए जो समय पर अनुक्रिया कर सकें। विभिन्न आकार के अग्नि शमन केंद्रों के लिए भूमि के ब्यौरे तथा भवन अपेक्षाएं अनुबंध-1 में दी गई हैं।

7.2 अग्नि शमन केंद्र का स्तर-निर्धारण

7.2.1 एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में खतरे की किस्म को उच्च या मध्यम कहा जा सकता है। उच्च अग्नि जोखिम वाले क्षेत्रों में अग्नि शमन केंद्र के स्तर तथा किस्म एवं अतिरिक्त अग्नि शमन एवं बचाव उपकरण का निर्धारण अग्नि शमन विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र के वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।



लघु मोटर साइकिल सहित जल कुहासा अग्नि शमन इकाई

7.2.2 तथापि, शहर में उच्च तथा मध्यम, दोनों प्रकार के अग्नि के खतरों के लिए अग्नि सुरक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु जनसंख्या, क्षेत्र तथा यातायात की भीड़-भाड़ पर आधारित उपकरण के एक सामान्य पैमाने का निर्धारण इन

दिशानिर्देशों में किया जा रहा है। विशेष उपकरणों की एक प्रस्तावित सूची का भी उल्लेख किया गया है। तथापि, वे उपकरण वैकल्पिक हैं तथा उनकी अधिप्राप्ति उस किस्म के जोखिम की संभाव्यता तथा अस्तित्व पर निर्भर है जिसके लिए ऐसे उपकरण का प्रयोग अपेक्षित हो सकता है। यह निर्धारित किया गया है कि अग्नि शमन दल शहरी क्षेत्रों में 3 से 5 मिनट के बीच तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार, कुछ नगरों या शहरों में नगर में भीड़-भाड़ पर निर्भर करते हुए एक से अधिक अग्नि शमन केंद्र की आवश्यकता हो सकती है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष वन के पैटर्न पर सामरिक असुरक्षित अवरथलों पर अपेक्षाकृत छोटे वाहन/मोटर साइकिल पर लादी गई जल कुहासा अग्नि शमन इकाइयों का अधिग्रहण तथा नियोजन अथवा महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में अग्नि शमन चौकियां स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

7.2.3 इन दिशानिर्देशों में अनुशंसित पैमाना इस अवधारणा के साथ तैयार किया गया है कि शहर में तथा राज्य में कोई सुविधाएं/अग्नि शमन सेवाएं तथा अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पहले से उपलब्ध यंत्रों को परिकलित कुल अपेक्षाओं में से कम कर दिया जाएगा, कमियों का निर्धारण किया जाएगा तथा फिर शेष अपेक्षित उपकरणों के लिए निधियों की आवश्यकता का परिकलन किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि उपकरण का प्रस्तावित स्तर तथा किस्म पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य पहाड़ी राज्यों यथा असम, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए भिन्न हो सकता है। द्वीप समूह के जिलों तथा अंडमान और लक्षद्वीप इत्यादि के द्वीप समूह जिलों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर भी यही तथ्य लागू होता है।

7.2.4 देश के अन्य भागों के लिए, उपकरण, भवन, संचार इत्यादि का विशिष्ट विवरण केवल सुझावात्मक एवं पूर्णतया न्यूनतम है। राज्य सरकारें तथा शहरी स्थानीय निकाय संभावित जरूरत के आधार पर विशेष उपकरण प्राप्त करने का निर्णय लेंगे तथा वे यंत्रों, इत्यादि के लिए डिजाइन की अधिक उन्नत विशेषताओं को भी अपना सकते हैं यदि उनके पास निधियों का प्रावधान हो। उपकरण की अधिप्राप्ति किसी भी स्थिति में प्रस्तावित विशिष्ट विवरण तथा पैमाने से कम स्तर की नहीं होनी चाहिए।

7.3 संचार

7.3.1 आपदाओं में उचित कार्रवाई की कामयाबी अच्छे संचार सेटअप पर बराबर निर्भर करती है। अग्नि शमन सेवाओं के लिए समस्त संभावित संयोजकता यथा दूरभाष, टेलीफैक्स, कम्प्यूटरीकृत ध्वनि लॉगर, जी आई एस, एच ए एम रेडियो, स्टेटिक तथा मोबाइल बेतार सेट (जैसे टेटरा प्रणाली) तथा उपग्रह आधारित संचार का होना आवश्यक है। समस्त पर्यवेक्षी तथा कार्रवाई अवस्थल (केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, प्रमंडलीय अग्नि शमन क्षेत्र तथा क्षेत्र अग्नि शमन केंद्र) संबद्ध होने चाहिए। यह जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र (ई ओ सी) के साथ भी संबद्ध होना चाहिए।

7.3.2 राज्य में विद्यमान सभी निःशुल्क आपातकालीन नम्बर जैसे पुलिस, अग्नि शमन, आपातकालीन प्रचालन केंद्र, चिकित्सा सहायता इत्यादि परस्पर संबद्ध होने चाहिए ताकि यदि कोई अग्निकांड होता है तो सूचना न केवल अग्नि शमन केंद्र तक पहुंचे बल्कि जिला प्रशासन के ई ओ सी तथा समीपस्थ

पुलिस स्टेशन को भी सम्प्रेषित हो ताकि वे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दे सकें तथा साथ ही अस्पताल, एम्बुलेंस तथा आपातकालीन सेवाओं को भी पहुंचें ताकि वे स्थल पर पहुंच सके तथा किसी हताहत व्यक्ति पर एवं चोटग्रस्त लोगों को गाड़ी में लाने – ले जाने (ट्रांसपोर्टेशन) पर ध्यान दे सके। ऐसे समन्वयन के लिए, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई आर एस) संबंधी एन डी एम ए दिशानिर्देश तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली (एन डी एम आई सी एस) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

7.4 अग्नि शमन केंद्र के लिए यंत्रों तथा उपकरणों का पैमाना

7.4.1 प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र के लिए मानक पैमाने के रूप में यंत्रों के निम्न स्तरों की अनुशंसा की गई है :

- क. जल वाहन पम्प
- ख. अतिरिक्त भारी जल वाहन
- ग. एम्बुलेंस – संख्या एक

7.4.2 होज़

- क. आर आर एल होज़ जो आई एस : 632 की किस्म-2 के समनुरूप, 63 मिली मीटर व्यास के आकार की, स्थानीय वरीयता के अनुसार 22.5 मीटर या 30 मीटर लम्बी हो तथा आई एस:903–720 मी. के समनुरूप प्रेशर डाई-कास्ट लाइट एलॉय कप्लिंग इंस्टेनटेनियस के साथ फिट की गई हो।
- ख. दोनों तरफ से कोट किया गया नियंत्रित परकोलेशन होज़ या अनलाइन्ड केनवास होज़ जिसकी लम्बाई 30 मीटर हो तथा जो आई एस : 903–720 एम के समनुरूप प्रेशर डाई-कास्ट–लाइट एलॉय कप्लिंग इंस्टेनटेनियम के साथ फिट की गई हो।

(टिप्पणी : प्रत्येक प्रकार के होज़ का पचास प्रतिशत हिस्सा सदैव अग्नि शमन यंत्रों पर लगा रहेगा तथा शेष पचास प्रतिशत हिस्सा प्रयोग के पश्चात गीले होज़ की पूर्ति हेतु प्रारक्षित होज़ के रूप में अग्नि शमन केंद्र में रखा जाएगा)।

7.4.3 विशिष्ट यंत्र

उपर्युक्त यंत्रों के अतिरिक्त, चयनित अग्नि शमन केंद्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित एक या अधिक विशिष्ट यंत्र की व्यवस्था की जाएगी :

- क. टर्न टेबल सीढ़ियां – 45 मीटर
- ख. टर्न टेबल सीढ़ियां – 31 मीटर
- ग. हाइड्रॉलिक प्लेटफार्म – 31 मीटर
- घ. हाइड्रॉलिक प्लेटफार्म – 21 मीटर

- ड. बचाव का हल्का वाहन (लाइट रेस्क्यू टैंडर)
- च. आपातकालीन वाहन (इमरजेंसी टैंडर)
- छ. कम से कम 10,000 लिटर प्रति मिनट की पम्पिंग क्षमता का एक्स्ट्रा हेवी पम्पिंग यंत्र
- ज. होज़ बिछाने वाला टैंडर
- झ. लाइटिंग वैन
- अ. कंट्रोल पोस्ट वैन
- ट. कैटीन वैन
- ठ. अग्नि शमन यंत्रों की मरम्मत के लिए मोबाइल वर्कशॉप
- ड. टेलीकॉम उपकरण के लिए मोबाइल वर्कशॉप
- ढ. ब्रेकडाउन वैन

7.4.4 प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र में भीड़-भाड़ वाले शहरों में तथा तंग गलियों वालो शहरों में अपेक्षित संख्या में मोटर साइकिल कुहासा अग्नि शमन इकाइयां होनी चाहिए ताकि वे तत्काल अग्निकांड के स्थान पर पहुंच सकें तथा बड़े टैंडर के आने तक तात्कालिक कार्रवाई की सकें।

7.4.5 प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र में कम से कम 500 लिटर फोम कम्पाउंड स्टॉक में होना चाहिए तथा प्रति मोबाइल पम्पिंग यंत्र आईएस:2097 के समनुरूपी दो फोम निर्माणकारी ब्रांचें होनी चाहिए जिनमें से प्रत्येक के साथ एक पिक अप टयूब, आकार-2 हो।



बैक पैक कुहासा अग्नि शमन इकाई सहित
वृहद मोटर साइकिल

7.4.6 जनसंख्या के आधार पर अपेक्षित जल फेंकने का वाहन (वाटर टैंडर) / पम्पिंग यूनिट की संख्या का निर्धारण करने के लिए सारणी 7 में दर्शाया गया पैमाना निम्नानुसार है :-

सारणी 7

| क्रम संख्या | जनसंख्या | वाटर टैंडर |
|-------------|------------------|------------|
| 1 | 50,000 | संख्या 01 |
| 2 | 1,00,000 | संख्या 02 |
| 3 | 3,00,000 | संख्या 06 |
| 4 | *अतिरिक्त एक लाख | संख्या 01 |

स्रोत : एस एफ ए सी की अनुशंसाओं का सारांश।

*प्रति एक लाख की अतिरिक्त जनसंख्या या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त अग्नि शमन टैंडर तथा कुल वाटर टैंडरों का 20 प्रतिशत का प्रारक्षित भंडार। औद्योगिक शहरों में तथा उच्च अग्नि जोखिम वाले क्षेत्रों में पैमाने तथा अन्य उपकरण का निर्धारण संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। प्रति 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या के लिए एक बचाव टैंडर जबकि प्रत्येक अतिरिक्त 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त बचाव टैंडर दिया जाना चाहिए।

7.4.7 असुरक्षित स्थलों पर जल की अनुपलब्धता एक गंभीर समस्या है तथा जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल को लम्बी दूरियों तक गाड़ियों से ले जाने की आवश्यकता होती है। इसका एक मात्र समाधान पर्याप्त संख्या में पृथक किए जाने वाले सुपर टैंकर (10 से 20 हजार लिटर की क्षमता वाले) रखना प्रतीत होता है जिन्हें उन महत्वपूर्ण स्थलों तक ले जाया जा सके जहां इसकी आवश्यकता है। पृथक किए जाने योग्य टेंडरों की अनुशंसा इसलिए की जा रही है क्योंकि टैंकरों को छोड़कर जाया जा सकता है तथा प्राइम मूवर यूनिट वापस जाकर और पृथक किए जाने योग्य (डिटेचेबल) टेंडरों को ला सकता है। ऐसे पृथक किए जाने योग्य टेंडरों की संख्या का परिकलन असुरक्षितता विश्लेषण तथा सर्वाधिक बदतर मामले के परिदृश्य के आधार पर किया जा सकता है। कोलकाता के बड़ा बाजार के मामले को ध्यान में रखा जा सकता है। ये पहाड़ी राज्यों में उपयोगी होंगे जहां जल की कमी एक समस्या है। घटना-स्थल पर छोड़ा गया टैंकर मूल टैंकर के रूप में कार्य करेगा जिसमें से अग्नि की घटनाओं के दौराना कार्य कर रहे लघु अग्नि शमन टेंडर शीघ्रता से जल की पुनः भराई कर सकते हैं और तत्काल वापस अग्नि कांड के घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं।



अलग किए जाने योग्य जल टंकी

7.4.8 अनेक शहरों में यातायात संकुलन तथा जनसंख्या की उच्च संघनता के मद्देनजर कम से कम 500 लिटर की क्षमता से युक्त जल कुहासा अग्नि शमन यूनिट वाले छोटे वाहनों पर अग्नि शमन दल बड़े तथा घने शहरों में शामिल किए जा सकते हैं अथवा उन्हें अंशतः जल टेंडर के साथ भी भेजा जा सकता है ताकि वे मिनटों में ही घटना स्थल पर पहुंच सकें और अग्नि शमन क्रियाकलाप आरंभ कर सकें। अपेक्षाकृत बड़े टेंडर आवश्यकतानुसार बाद में भेजे जा सकते हैं।

500 लीटर क्षमता सहित लघु जल वाहन
जल कुहासा अग्नि शमन इकाई

7.4.9 प्रत्येक मोबाइल पम्पिंग यंत्र में संपीड़ित हवा श्वसनकारी उपस्करों के दो सेट होंगे; प्रत्येक झाग / क्रैश टेंडर को संपीड़ित हवा श्वसनकारी उपस्करों के सेट दिए जाएंगे; प्रत्येक हल्के बचाव टेंडर में संपीड़ित वायु श्वसनकारी यंत्र के चार सेट होंगे; प्रत्येक टर्न टेबल सीढ़ी के साथ संपीड़ित वायु श्वसनकारी यंत्र के चार सेट होंगे। इसके अतिरिक्त, उप-अधिकारी से ऊपर के स्तर के प्रत्येक प्रचालन अधिकारी को एक वैयक्तिक श्वसनकारी यंत्र सेट दिया जाएगा।

7.5 वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण

7.5.1 उपर्युक्त बुनियादी यंत्रों के अलावा, सारणी-8 में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण भी निम्नानुसार समान रूप से महत्वपूर्ण हैं :-

सारणी-8

| क्रम सं. | वैयक्तिक उपकरण |
|----------|--|
| 1. | हेल्मेट |
| 2. | लटकन (स्लिंग) सहित पानी की बोतल |
| 3. | नेत्र सुरक्षा |
| 4. | कर्ण सुरक्षा |
| 5. | सुरक्षात्मक स्टील के पंजों वाले जूते |
| 6. | सुरक्षा सीटी |
| 7. | घुटने के पैड |
| 8. | कार्य करने के लिए दस्ताने |
| 9. | समग्र रूप से अग्नि प्रतिरोधी सूट |
| 10. | वैयक्तिक सुरक्षा लाइन (सैश कॉर्ड)15'' लम्बाई |
| 11. | गम बूट/सुरक्षा बूट/अग्नि शमनकारी बूट |
| 12. | अग्नि प्रवेश हेतु सूट |
| 13. | अग्नि सामीप्य हेतु सूट |
| 14. | अग्नि अभिगम सूट अग्नि प्रवेश हेतु सूट |
| 15. | अग्नि कर्मी हेतु कुल्हाड़ा |
| 16. | श्वसनकारी यंत्र |

7.6 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष स्तर-निर्धारण तथा उपकरणों की किस्म

7.6.1 चढ़ाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अग्नि शमन वाहन तथा अन्य ऐसे भारी उपकरणों का संचलन करना अक्सर काफी कठिन होता है। पूर्व में यथा चर्चित विभिन्न उपकरणों का सामान्य स्तर निर्धारण संभवतः उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। समाधान लघु जल वाहनों, पर्याप्त होज पाइपों से युक्त उच्च क्षमता वाले वहनीय पम्पों जो प्राकृतिक स्रोतों से या महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित जल भंडारण टंकियों से जल का प्रयोग कर सकें, तथा स्थानीय असुरक्षितताओं के अनुसार अन्य विशिष्ट उपकरण में निहित हैं। लघु जल कुहासा अग्नि शमन उपकरणों से युक्त अग्नि शमन दल भी काफी उपयोगी होंगे।



लघु 500 लिटर जल कुहासा
अग्नि शमन वाहन

7.7 द्वीपसमूह जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष स्तर-निर्धारण तथा उपकरणों की किस्म

7.7.1 द्वीपसमूह जिलों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अग्नि के खतरे का आकलन किया जाना होगा तथा तदनुसार प्रत्येक द्वीपसमूह में उपयुक्त स्वतंत्र अग्नि शमन उपकरण का पता लगाना होगा। महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त होज़ पाइप सहित उच्च क्षमता पम्पों से युक्त मोटर बोटें अवस्थित की जाएंगी। पर्याप्त तथा अपेक्षित उपकरण को चयन किया जाएगा तथा उसे प्रत्येक द्वीप समूह में अवस्थित किया जाएगा ताकि द्वीपसमूह को अपनी असुरक्षितताओं के अनुसार लघु अग्नि कांडों तथा अन्य आपातस्थितियों के लिए कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रूप से सक्षम बनाया जा सके। स्थानीय पुलिस, म्युनिसीपल अधिकारियों/कार्मिकों, अन्य सेवा तथा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वे ऐसे उपलब्ध उपकरण का इस्तेमाल कर सकें तथा अग्निकांड की स्थिति में कार्रवाई कर सकें।

7.8 जलापूर्ति

7.8.1 जहां भी जल उपलब्ध है, वहां स्थानीय प्रशासन बड़ी जल भंडारण टंकियों का निर्माण करने पर विचार करेगा। उपयुक्त स्थानों पर अन्य वर्षा जल संचयन टंकियों का निर्माण भी किया जाएगा ताकि आपातस्थिति आने पर उनसे जल लिया जा सके। ऐसी टंकियों का निर्माण किया जाएगा तथा उन्हें अग्नि शमन सेवा विभाग के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाएगा ताकि उससे छेड़छाड़/उसमें से चोरी न की जाए। ऐसे जलाशयों का निर्माण विभिन्न विकास योजनाओं तथा साथ ही जवाहर रोजगार योजना इत्यादि के तहत भी समुदाय के कल्याण हेतु किया जा सकता है।



नमूना भूमिगत जल भंडारण टंकी

7.9 मानवशक्ति

7.9.1 उचित नियंत्रण के लिए उचित समयावधि को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के यंत्रों के लिए पर्यवेक्षी स्तरों के अलावा निम्न मानवशक्ति की आवश्यकता है :

सारणी-9

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | सहायक अग्नि शमन केंद्र अधिकारी | अग्रणी अग्नि शमन कर्मी | चालक, (झाइवर) प्रचालक | अग्नि शमन कर्मी | कुल |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 1. | जल टेंडर पम्प | शून्य | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2. | अतिरिक्त भारी जल टेंडर | शून्य | शून्य | 1 | 1 | 2 |
| 4. | टर्न टेबल सीड़ी तथा हाइड्रॉलिक मंच | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5. | पम्प एस्केप | शून्य | 1 | 1 | 4 | 6 |

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | सहायक अग्नि शमन केंद्र अधिकारी | अग्रणी अग्नि शमन कर्मी | चालक, (झाइवर) प्रचालक | अग्नि शमन कर्मी | कुल |
|----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 6. | हल्का बचाव टैंडर | शून्य | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7. | आपातकालीन टैंडर | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 8. | क्रैश टैंडर/ झाग टैंडर | शून्य | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | एम्बुलेंस | शून्य | 1 | 1 | 2 | |

7.9.2 प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र में मानवशक्ति निम्नानुसार है :-

सारणी-10

| क्रम सं. | कार्मिक मानवशक्ति | संख्या |
|----------|---|------------------------------|
| 1. | अग्नि शमन केंद्र अधिकारी | -1 |
| 2. | सहायक अग्नि शमन केंद्र अधिकारी | -1 |
| 3. | अग्रणी अग्नि शमन कर्मी (प्रति निगरानी – निगरानी कक्ष ड्यूटी के लिए) | -2 |
| 4. | यंत्रों के लिए कर्मी दल | -ऊपर दिए गए पैमाने के अनुसार |

7.9.3 नियंत्रण कक्ष

सारणी-11

| क्रम सं. | नियंत्रण कक्ष | कार्मिक |
|----------|-------------------------|---|
| 1. | केंद्रीय नियंत्रण कक्ष | 1 मंडलीय अधिकारी, 4 अग्नि शमन केंद्र अधिकारी (एक प्रति निगरानी कार्य तथा एक प्रारक्षित) तथा 8 अग्नि शमन सहायक केंद्र अधिकारी (2 प्रति निगरानी कार्मिक तथा 2 कार्मिक प्रारक्षित) |
| 2. | कमान नियंत्रण कक्ष | 1 सहायक मंडलीय प्राधिकारी, 4 सहायक अग्नि शमन केंद्र अधिकारी (1 प्रति निगरानी कार्य तथा 1 प्रारक्षित) तथा 8 अग्रणी अग्नि शमन कार्मिक (2 प्रति निगरानी कार्य तथा 2 प्रारक्षित) |
| 3. | प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष | 4 अग्नि शमन केंद्र अधिकारी, 4 सहायक अग्नि शमन केंद्र अधिकारी (एक प्रति निगरानी कार्य तथा एक प्रारक्षित) तथा 8 अग्रणी अग्नि शमन कार्मिक (2 प्रति निगरानी कार्य तथा 2 प्रारक्षित) |

7.9.4 निगरानी कक्ष प्रचालक : प्रत्येक अग्नि शमन केंद्र के लिए चार निगरानी कक्ष प्रचालकों की व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक 8 घंटे एक कर्मी ड्यूटी पर रहेगा तथा चौथा व्यक्ति राहत कार्य के लिए रखा जाएगा।

7.9.5 लिपिक : जहां अग्नि शमन केंद्र एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है तथा उसके पास अपनी स्वयं की नकदी तथा भंडार कार्य है, एक लिपिक की व्यवस्था की जाएगी।

7.9.6 सफाई कर्मचारी : कर्मचारियों की इस श्रेणी की व्यवस्था प्रति 5000 वर्ग फुट आवृत्त क्षेत्र के लिए एक तथा प्रति 7000 वर्ग फुट खुले क्षेत्र के लिए एक कर्मचारी के पैमाने पर की जाएगी बशर्ते कि प्रत्येक केंद्र के लिए कम से कम एक कर्मी हो।

7.9.7 माली : बाग के रूप में रखरखाव जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक आधा एकड़ भूमि के लिए एक माली होगा। जिन स्थानों पर ऐसे एक से अधिक केंद्र हैं जहां नगर अग्नि शमन ब्रिगेड का मुख्यालय अस्तित्व में है, अपेक्षित स्टॉफ की संख्या कर्मी दल की संख्या के आधार पर हर स्थान पर भिन्न होगी।

7.10 ड्यूटी प्रणाली

7.10.1 यह अनुशंसा की जाती है कि अग्नि शमन सेवाओं में मानक 3 निगरानी कर्मी ड्यूटी प्रणाली की शुरुआत की जाए जिसमें प्रथम निगरानी कर्मी लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा। दूसरे निगरानी कर्मी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर पहला निगरानी कर्मी 24 घंटे के लिए ऑफ ड्यूटी रहेगा तथा तीसरे दिन पुनः 8 घंटे के लिए ड्यूटी पर आएगा। इसी प्रकार, दूसरा निगरानी कर्मी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर 24 घंटे ऑफ ड्यूटी रहेगा। दूसरे निगरानी कर्मी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर पहला निगरानी कर्मी 24 घंटे के लिए ऑफ ड्यूटी रहेगा तथा तीसरे दिन पुनः 8 घंटे के लिए ड्यूटी पर आएगा, इत्यादि यह प्रणाली अधिक महंगी प्रतीत होगी किन्तु इस तथ्य के मद्देनजर कि अग्नि निवारण ड्यूटी, जल स्रोत निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति की अपेक्षा होगी, यह वस्तुतः अधिक मितव्ययी है क्योंकि दिन में निगरानी करने वाली सामान्य प्रचालनात्मक ड्यूटी पर निगरानी के अतिरिक्त उपलब्ध होगा तथा उसे अग्नि निवारण, जल स्रोत निरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है जिससे मानवशक्ति के नियोजन में किफायत होगी तथा उनका अधिकतम लाभार्थ प्रयोग किया जा सकेगा।

7.10.2 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को छोड़कर प्रत्येक रैंक के कुल कर्मियों में से एक—तिहाई कर्मी अवकाश / प्रशिक्षण प्रारक्षित कर्मियों के रूप में उपलब्ध किए जाएंगे। इन प्राक्षित कर्मियों की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है।

अनुबंध—1

राज्य के लिए अग्नि शमन बल के रख—रखाव के प्रावधान के लिए विधेयक

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 28/3/56—ईआर—II दिनांक 17 अक्टूबर, 1958
के तहत परिचालित मॉडल अग्नि शमन बल विधेयक

(देखें विधान के अंतर्गत पैरा 3.5)

भारत गणराज्य के —————— वर्ष में राज्य विधायिका द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :

प्रारंभिक शब्दावली (प्रीलिमिनरी)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरंभण

- (1) इस अधिनियम को —————— अग्नि शमन बल अधिनियम, 195 कहा जाएगा।
- (2) यह —————— (राज्य का नाम) के संपूर्ण राज्य में लागू है।
- (3) यह किसी भी क्षेत्र में उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए नियत करे।

2. परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) “निदेशक” से धारा 4 के तहत नियुक्त अग्नि शमन बल का निदेशक अभिप्रेत है :
- (ख) “अग्नि शमन सम्पत्ति” में निम्न शामिल हैं –
 - (i) अग्नि शमन केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमि तथा भवन।
 - (ii) फायर इंजन, उपकरण, औजार, उपस्कर तथा किसी भी प्रकार की वस्तुएं जिनका प्रयोग अग्नि शमन हेतु किया जाता है।
 - (iii) मोटर वाहन तथा परिवहन के अन्य साधन जिनका प्रयोग अग्नि शमन के संबंध में किया जाता है, तथा
 - (iv) पदों (रैंक) की यूनिफार्म तथा बैज;
- (ग) ‘अग्नि शमन केंद्र’ का अर्थ है कोई भी चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः अथवा विशेष रूप से अग्नि शमन केंद्र के रूप में घोषित किया गया है।

- (घ) “बल” का अर्थ है इस अधिनियम के तहत अनुरक्षित (राज्य का नाम) अग्नि शमन बल;
- (ड.) “अग्नि शमन केंद्र का प्रभारी अधिकारी” में अग्नि शमन केंद्र के प्रभारी अधिकारी के केंद्र में अनुपस्थित होने पर या बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होने पर केंद्र में उपस्थित अग्नि शमन अधिकारी शामिल है जो ऐसे अधिकारी के पश्चात उससे अगले अधीनस्थ पद पर हो;
- (च) ‘विहित’ का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

अग्नि शमन बल का अनुरक्षण

3. अग्नि शमन बल का प्रावधान (व्यवस्था)

राज्य सरकार द्वारा एक अग्नि शमन बल की व्यवस्था को किया जाएगा जिसे उन स्थानीय क्षेत्रों जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, में सेवाओं के लिए (राज्य का नाम) अग्नि शमन बल कहा जाएगा।

4. अग्नि शमन बल के निदेशक की नियुक्ति

राज्य सरकार अग्नि शमन बल के निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

5. बल का अधीक्षण तथा नियंत्रण

1. बल का अधीक्षण तथा नियंत्रण निदेशक में निहित होगा तथा वह उसका संचालन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तथा इसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार करेगा।
2. राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जैसा वह निदेशक की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायतार्थ उपयुक्त समझे।

6. बल के सदस्यों की नियुक्ति

बल का निदेशक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में प्राधिकृत करे, इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार बल के सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

7. बल के सदस्यों को प्रमाणपत्र जारी करना

1. बल में नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को विहित प्रपत्र में निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मुहर के तहत एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा तथा तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत बल के सदस्य के रूप में शक्तियां, कार्य तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
2. उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रमाणपत्र अप्रभावी हो जाएगा जब उसमें नामित व्यक्ति किसी भी कारण से बल का सदस्य नहीं रहता; तथा उसके इस प्रकार सदस्य न रहने पर वह तत्काल अपना प्रमाणपत्र किसी ऐसे अधिकारी को अभ्यर्पित (सरेंडर) कर देगा जो उसे प्राप्त करने के लिए शक्तिसम्पन्न है।

3. निलम्बन की किसी भी अवधि के दौरान, बल के किसी सदस्य में निहित शक्तियां, कार्य तथा विशेषाधिकार आस्थगित रखे जाएंगे किन्तु ऐसा सदस्य उसी अनुशासन तथा शास्त्रियों के अध्यधीन रहेगा जिनके अध्यधीन वह रहता यदि उसे निलंबित न किया गया होता।

8. सहायक अग्नि शमन बल

जब कभी भी राज्य सरकार को यह महसूस हो कि अग्नि शमन बल में वृद्धि वर्धन करना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्रों के लिए तथा ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर, जो वह उपयुक्त समझे, स्वयंसेवियों के नामांकन द्वारा एक सहायक बल जुटाएगा।

9. आदेश देने की राज्य सरकार को शक्ति

राज्य सरकार समय—समय पर ऐसे सामान्य या विशेष आदेश करेगी जो वह उपयुक्त समझे :

- (क) बल को ऐसे यंत्र तथा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए जो वह उचित समझे;
- (ख) पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उपयोग हेतु उपलब्ध होगा;
- (ग) अग्नि शमन केंद्रों का निर्माण या व्यवस्था करने के लिए अथवा ऐसे स्थल किराए पर लेने के लिए जहां बल के सदस्यों के लिए तथा इसके अग्नि शमन यंत्रों को रखने के लिए व्यवस्था हो;
- (घ) उन व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए जिन्होंने अग्निकांड की सूचना दी है तथा ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए जिन्होंने अग्नि कांड के अवसर पर बल को प्रभावकारी सेवा प्रदान की है;
- (ङ.) बल के सदस्यों के प्रशिक्षण, अनुशासन तथा अच्छे आचरण के लिए;
- (च) आग लगने की किसी चेतावनी के अवसर पर आवश्यक उपकरणों तथा यंत्रों के साथ बल के सदस्यों की त्वरित उपस्थिति के लिए;
- (छ) बल के सदस्यों को किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, की सीमाओं से परे ऐसी सीमाओं के आसपास अग्नि शमन के प्रयोजनार्थ यंत्रों तथा उपकरणों के साथ भेजने के लिए;
- (ज) किसी को बचाने, संकट से उबारने या अन्य समान प्रकार के कार्य में बल के सदस्यों के नियोजन के लिए;
- (झ) निदेशक की शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए; तथा
- (ज) सामान्यतः बल का यथेष्ट कारगर अवस्था में अनुरक्षण करने के लिए।

10. आग लगने पर बल के सदस्यों की शक्तियां

किसी भी क्षेत्र में, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, आग लगने के अवसर पर बल का कोई भी सदस्य, जो उस समय घटना—स्थल पर अग्नि शमन प्रचालनों का प्रभारी है :

- (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी उपस्थिति द्वारा अग्नि शमन के प्रचालन में या जान माल बचाने के कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसमें बाधा डालता है, हटा सकता है या बल के किसी अन्य सदस्य को उसे हटाने के आदेश दे सकता है;
- (ख) आग के रास्ते में आई या उसके आसपास आने वाली किसी गली या मार्ग को बंद कर सकता है;
- (ग) आग बुझाने के प्रयोजनार्थ होज या यंत्रों को प्रविष्ट करने के लिए यथासंभव कम क्षति पहुंचाते हुए किसी परिसर में या उसके रास्ते प्रवेश कर सकता है या उसे गिरा सकता है या उसे गिरवा सकता है या उसमें या उसके रास्ते प्रवेश करवा सकता है;
- (घ) क्षेत्र में जलापूर्ति के प्रभारी प्राधिकारी से जल स्रोत को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि उस स्थान पर, जहां आग लगी है, विनिर्दिष्ट दबाव पर जल उपलब्ध हो सके, तथा आग को बुझाने या उसका फैलने से रोकने के प्रयोजनार्थ किसी भी धारा, सिस्टर्न, कुएं या टंकी अथवा किसी भी उपलब्ध जल स्रोत, चाहे वह निजी हो या सरकारी, के जल का प्रयोग कर सकता है;
- (ङ.) अग्नि शमन प्रचालनों को बाधित करने की संभावना वाले व्यक्तियों के जमघट को विकीर्णित करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानो वह पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी हो तथा ऐसा जमघट गैर कानूनी जमघट हो तथा वह ऐसी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में इसी प्रकार के अधिकारी के समान उसी राजक्षमा तथा संरक्षा का हकदार होगा;
- (च) सामान्यतः ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आग बुझाने के लिए अथवा जान या माल की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

11. जलापूर्ति की व्यवस्था करने की निदेशक की शक्ति

आग लगने की स्थिति में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निदेशक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसी भी क्षेत्र के प्रभारी प्राधिकारी के साथ ऐसी शर्तों पर करार कर सकता है जो भुगतान या अन्यथा के संबंध में करार में विनिर्दिष्ट की जाएं।

12. सहायता की व्यवस्था करने की निदेशक की शक्ति

निदेशक किसी भी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, घटित होने वाली अग्नि की घटना के संबंध में कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो अग्नि शमन के प्रयोजनार्थ कार्मिकों को नियोजित करता है अथवा उपकरणों का अनुरक्षण करता है अथवा दोनों कार्य करता है, उस व्यक्ति द्वारा सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भुगतान या अन्यथा के संबंध में ऐसी शर्तों पर व्यवस्था कर सकता है जो व्यवस्था द्वारा या उसके तहत उपबंधित की जाएं।

13. निवारक उपाय

- राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में परिसरों या परिसरों की किसी श्रेणी, जिनका प्रयोग उसकी राय में ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है जिनसे

आग लगने का खतरा हो सकता है, के मालिकों या रहने वालों से ऐसे सुरक्षोपाय करने की अपेक्षा कर सकती है जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए।

2. जहां उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है, निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए बल के किसी भी अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसी वस्तुओं या माल को हटाकर किसी सुरक्षित स्थल पर ले जाने का निदेश दे; तथा मालिक या अधिभोक्ता द्वारा ऐसा करने में विफलता की स्थिति में निदेशक या ऐसा अधिकारी मालिक या अधिभोक्ता को अन्यावेदन करने का युक्तिसंगत अवसर देने के पश्चात ऐसी वस्तुओं या माल को जब्त कर सकता है, रोक सकता है या हटा सकता है।

बल की व्यवस्था पर व्यय

14. बल पर व्यय

बल की व्यवस्था के संबंध में समस्त व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि में से की जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र के जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उस क्षेत्र में व्यवस्थित बल की तैनाती की लागत हेतु ऐसा अंशदान वसूल कर सकती है जो राज्य सरकार समय—समय पर निर्देशित करे।

15. अग्नि कर का उद्ग्रहण

1. किसी भी ऐसे क्षेत्र में, जहां या अधिनियम प्रवृत्त हैं, स्थित भूमि तथा भवन पर, जिस पर संपत्ति कर, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उस क्षेत्र में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उद्ग्रहणीय है, अग्नि कर का उद्ग्रहण किया जाएगा।
2. अग्निकर का उद्ग्रहण संपत्ति कर पर अधिभार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के — प्रतिशत से अनधिक की दर पर किया जाएगा जो राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

16. अग्नि कर के आकलन, संग्रहण इत्यादि की विधि

1. राज्य सरकार की ओर से तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे कर का उद्ग्रहण करने के लिए क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण को प्राधिकृत करने वाले कानून के तहत संपत्ति कर का आकलन, संग्रहण तथा भुगतान प्रवृत्त करने के लिए उस दौरान अधिकृत प्राधिकारी अग्नि कर का आकलन, संग्रहण तथा भुगतान उसी तरीके से किया जाता है जैसे संपत्ति कर का आकलन, भुगतान तथा संग्रहण किया जाता है, तथा इस प्रयोजनार्थ वे उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उनको उक्त कानून के तहत प्राप्त हैं तथा ऐसे कानून के उपबंध जिनमें विविरण्यों, अपील, समीक्षा, संशोधन, संदर्भ तथा शास्त्रियां शामिल हैं, तदनुसार प्रयोज्य होंगे।
2. अग्नि कर की कुल आय का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार निर्धारित करे, कर के संग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए काट लिया जाएगा।

3. इस अधिनियम के तहत संग्रहित अग्नि की आय को उसमें से संग्रहण की लागत को घटा कर ऐसे अंतरालों पर ऐसे तरीके से राज्य सरकार को अदा किया जाएगा जो विहित किया जाए।

17. शुल्क

1. जहां बल के सदस्यों को उस क्षेत्र, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, की सीमा से परे ऐसी सीमाओं के आसपास आग बुझाने के लिए भेजा जाता है, वहां उस परिसर जहां आग की घटना घटी है या आग फैली है, का मालिक या रहने वाला (ऑक्यूपायर) इस संबंध में यथा विहित शुल्क अदा करने के लिए देनदार होगा।
2. उप-धारा (1) में उल्लिखित शुल्क निदेशक द्वारा मालिक या रहने वाले को मांग का नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगा तथा यदि इसका भुगतान उस अवधि के भीतर नहीं किया जाता जो यह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली-योग्य होगा।

अग्नि शमन संपत्ति का अधिग्रहण

18. अग्नि शमन संपत्ति के अंतरण के विरुद्ध प्रतिषेध

किसी भी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है का कोई भी स्थानीय प्राधिकरण उस क्षेत्र में इस अधिनियम के आरंभण के पश्चात किसी भी अग्नि शमन संपत्ति का अंतरण या अन्यथा हस्तांतरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

19. अग्नि शमन संपत्ति का अधिग्रहण

1. यदि राज्य सरकार की, ऐसी पूछताछ तथा जांच करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझे तथा स्थानीय प्राधिकरण को अपने अभ्यावेदन देने के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यह राय है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित अग्नि शमन कार्मिकों तथा उपकरण की क्षमता का स्तर उस क्षेत्र की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में इस आशय की एक सूचना प्रकाशित करके कि राज्य सरकार ने ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का भुगतान कर उसका अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, स्थानीय प्राधिकरण की अग्नि शमन संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ऐसे नोटिस की एक प्रति स्थानीय प्राधिकरण को भी तामील की जाएगी।
2. जब उपरोक्तानुसार नोटिस सरकारी रापजत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है तो ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट संपत्ति नोटिस के इस प्रकार प्रकाशित किए जाने पर तथा उस तिथि के आरंभण से सभी बाधाओं से मुक्त पूर्णतया राज्य सरकार में निहित होगी।

20. क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के सिद्धांत तथा विधि

1. इस अधिनियम के तहत अधिगृहीत किसी भी अग्नि शमन संपत्ति के संबंध में संदेय क्षतिपूर्ति की राशि धारा 19 में उल्लिखित नोटिस के निर्गम की तिथि को ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य

होगा अर्थात् वह कीमत होगी जो इससे प्राप्त होती यदि इसे उस तिथि को खुले बाजार में बेचा गया होता।

2. क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण यहां इसके पश्चात दिए गए तरीके से तथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्
 - (क) जहां क्षतिपूर्ति की राशि समझौते द्वारा नियत की जा सकती है, वहां इसका भुगतान ऐसे करार के अनुसार किया जाएगा;
 - (ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता, वहां राज्य सरकार निर्णायक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है या इस रूप में नियुक्त हेतु अर्हक है;
 - (ग) राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में निर्णायक की सहायता हेतु अधिगृहीत संपत्ति के स्वरूप के बारे में विशेषज्ञ जानकारी रखने वाले व्यक्ति को नामित कर सकती है तथ जहां ऐसा नामांकन किया जाता है वहां संबंधित स्थानीय प्राधिकारी भी उसी प्रयोजनार्थ किसी आकलनकर्ता को नामित कर सकता है;
 - (घ) निर्णायक के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत पर, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण बताएंगे कि उनकी संबंधित राय में क्षतिपूर्ति की उचित राशि क्या है;
 - (ङ.) निर्णायक विवाद की सुनवाई करने के पश्चात उसे न्यायोचित प्रतीत होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करते हुए एक निर्णय देगा तथा निर्णय करते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा इस धारा के उपबंधों को ध्यान में रखेगा;
 - (च) निर्णायक अधिनियम, 1940 में निहित कुछ भी इस धारा के तहत विवाचनों पर लागू नहीं होगा।

21. क्षतिपूर्ति के संबंध में निर्णयों के विरुद्ध अपील

यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण धारा 20 के तहत निर्णायक के किसी निर्णय से व्यक्ति है, तो वह ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकते हैं जिसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपेक्षित संपत्ति स्थित है।

22. निर्णायक की शक्तियां

धारा 20 के तहत नियुक्त निर्णायक को, इस अधिनियम के तहत, निर्णय संबंधी कार्यवाहियां करते समय, सिविल प्रक्रियाविधि संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां निम्न मामलों के संबंध में प्राप्त होगी, नामतः

- (क) सम्मन भेजना तथा किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्रवृत्त करना तथा उससे शपथ उठवा कर उसकी जांच करना;
- (ख) दस्तावेजों की खोज तथा उनके प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; तथा
- (घ) गवाहों की जांच हेतु कमीशन जारी करना।

शास्तियां

23. कर्तव्य के उल्लंघन इत्यादि के लिए शास्ति

बल के किसी भी सदस्य को जो –

- (क) कर्तव्य के किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है;
- (ख) कायरता का दोषी पाया जाता है, या
- (ग) बिना अनुमति के या कम से कम दो माह का पूर्व नोटिस दिए बिना अपने पद के कर्तव्यों (ड्यूटी) से विमुख / गैरहाजिर हो जाता है, अथवा
- (घ) छुट्टी पर गैरहाजिर होने पर ऐसी अवकाश की समाप्ति पर कार्य के लिए रिपोर्ट करने में बिना किसी उचित कारण के विफल रहता है, अथवा
- (ङ.) धारा 29 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई अन्य रोजगार या पद स्वीकार करता है, उसे कारावास का दंड दिया जाएगा है जो तीन माह तक की अवधि का हो सकता है अथवा अर्थदंड लगाया जाएगा जो अधिकतम ऐसे सदस्य की तीन माह के वेतन की राशि तक के समतुल्य होगा या दोनों प्रकार की शास्तियां लगाई जाएंगी।

24. सूचना देने में विफलता

किसी भी व्यक्ति द्वारा जो बिना किसी न्यायोचित कारण के आग लगने के संबंध में अपने स्वामित्वाधीन सूचना संसूचित करने में विफल रहता है, ऐसा अपराध किया गया माना जाएगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के प्रथम भाग के तहत दंडनीय है।

25. सावधानी रखने में विफलता

जो भी व्यक्ति बिना किसी युक्तिसंगत कारण के धारा 13 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश का या उस धारा की उपधारा (2) के तहत जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, उसे पांच सौ रुपए तक का अर्थदंड दिया जाएगा।

26. जानबूझकर अग्नि शमन प्रचालनों में बाधा डालना

कोई भी व्यक्ति जो अग्नि शमन प्रचालनों में रत बल के किसी सदस्य के कार्य में जानबूझकर बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है उसे तीन माह तक के कारावास का दंड या पांच सौ रुपए तक का अर्थदंड (फाइन) दिया जाएगा, या दोनों शास्तियां दी जाएंगी।

27. मिथ्या रिपोर्ट

किसी भी व्यक्ति को, जो जानते-बूझते आग लगने की मिथ्या रिपोर्ट किसी कथन, संदेश के माध्यम से या अन्यथा ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को देता है या दिलवाता

है उसे तीन माह के कारावास के दंड या अधिकतम पांच सौ रुपए तक के अर्थदंड से या दोनों शास्त्रियों से दंडित किया जाएगा।

सामान्य तथा विविध

28. प्रशिक्षण केंद्र

राज्य सरकार आग की रोकथाम तथा उसके शमन में अनुदेश पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एक या अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी तथा उनका अनुरक्षण करेगी अथवा वह ऐसे किसी केंद्र को बंद कर सकती है या पुनः स्थापित कर सकती है।

29. अन्य रोजगार के लिए रोक

बल का कोई भी सदस्य इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी प्रकार के किसी रोजगार या पद पर कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसे निदेशक द्वारा ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति न दी गई हो।

30. अन्य क्षेत्र को अंतरण

निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी पड़ोसी क्षेत्र में, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हैं, आग लगने के अवसर पर या किसी अन्य आपातस्थिति में बल के सदस्यों को ऐसे पड़ोसी क्षेत्र में अग्नि शमन प्रचालन करने के लिए आवश्यक यंत्रों तथा उपकरणों सहित प्रस्थान करने का आदेश दे सकता है तथा तत्पश्चात इस अधिनियम के सभी उपबंध तथा उसके तहत बनाए गए नियम अग्नि कांड की अवधि या आपातस्थिति की अवधि के दौरान अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जो निदेशक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्र पर लागू होंगे।

31. अन्य कार्यों पर नियोजन

राज्य सरकार या इस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह बल को किसी भी बचाव, संकट से उभारने या अन्य कार्य के लिए नियोजित करे जिसके लिए वह अपने प्रशिक्षण, यंत्रों तथा उपकरणों के मद्देनज़र उपयुक्त है।

32. संपत्ति के मालिक की क्षतिपूर्ति अदा करने की देयता

1. कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति में उसके स्वयं अपने किसी कृत्य के कारण या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से किए गए किसी कृत्य के कारण आग लग जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति को क्षति पहुंची हो, इस अधिनियम की धारा 10 के तहत उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकार के प्राधिकाराधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्रवाई के कारण क्षतिपूर्ति की अदायगी करने का देनदार होगा।
2. उपधारा (1) के तहत समस्त दावे उस तिथि से, जब क्षति पहुंची हो, 30 दिनों के भीतर जिला दंडाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट माजिस्ट्रेट) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. जिला दंडाधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात देय क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करेगा तथा ऐसी राशि तथा उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा तथा इस प्रकार पारित आदेश का प्रभाव सिविल न्यायालय की डिक्री के समतुल्य होगा।

33. अग्नि लगाने के कारण की जांच तथा दंडाधिकारी को रिपोर्ट

जहां अग्निकांड किसी ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, वहां उस क्षेत्र में बल के सदस्यों में वरिष्ठतम् रैंक का अधिकारी आग लगाने के मूल स्थान तथा उसके कारण के बारे में तथ्यों का सुनिश्चय करेगा तथा उस पर दंडाधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसका उस स्थान में क्षेत्राधिकार है जहां ऐसी आग लगाने की घटना घटित होती है तथा उक्त दंडाधिकारी किसी भी मामले में, जिसमें वह उपयुक्त समझे, गवाहों को बुलाएगा तथा ऐसे तथ्यों का आगे और सुनिश्चय करने के उद्देश्य से साक्ष्य लेगा।

34. सूचना प्राप्त करने की शक्ति

कम से कम अग्नि शमन केंद्र के प्रभारी स्तर का कोई अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ किसी भी भवन या अन्य संपत्ति के मालिक या रहने वाले से ऐसे भवन या अन्य संपत्ति के स्वरूप, उपलब्ध जलापूर्ति तथा उस तक पहुंच के साधनों, किसी अन्य सामग्रियों विवरणों के संबंध में सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करेगा तथा ऐसा मालिक या रहने वाला अपने स्वामित्वाधीन समस्त सूचना प्रस्तुत करेगा।

35. प्रवेश की शक्ति

1. निदेशक या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत बल का कोई भी सदस्य यह निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कि अग्नि के विरुद्ध किए जाने वाले अपेक्षित सावधानी-उपाय ऐसे स्थानों पर किए गए हैं या नहीं, धारा 13 के तहत निर्गत किसी भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थल पर प्रवेश कर सकता है।
2. इस अधिनियम में सुस्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, उपधारा (1) के अंतर्गत किसी प्रविष्टि द्वारा अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कोई दावा किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

36. जल की खपत

बल द्वारा अग्नि शमन प्रचालनों में खपत किए गए जल के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

37. जलापूर्ति में व्यवधान हेतु कोई क्षतिपूर्ति नहीं

किसी क्षेत्र में जलापूर्ति का कोई भी प्राधिकारी केवल धारा 10 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुपालन में जलापूर्ति के किसी व्यवधान के कारण हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु किसी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

38. पुलिस कार्यालय/अधिकारी सहायता करेंगे

यह सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे बल के सदस्यों की अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करेंगे।

39. आग लगने संबंधी सूचना

आग लगने संबंधी कोई जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अविलंब उसकी सूचना नजदीकी अग्नि शमन केंद्र को देगा।

40. क्षतिपूर्ति

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किए गए या न किए जाने के लिए आशयित किसी भी कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

41. नियम बनाने की शक्ति

- (1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु नियम बनाएगी।
- (2) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना ऐसे नियमों में निम्न के लिए व्यवस्था की जाएगी :
 - (क) बल के अधिकारियों तथा सदस्यों की संख्या तथा ग्रेड
 - (ख) बल के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका
 - (ग) बल के सदस्यों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप
 - (घ) बल के सदस्यों की सेवा शर्तें जिनमें उनके रैंक, वेतन तथा भत्ते, कार्य घंटे तथा अवकाश, अनुशासन का अनुरक्षण तथा सेवा से हटाए जाने संबंधी शर्तें शामिल हैं।
 - (ड.) परिस्थितियां जिनमें, तथा शर्तें (शुल्क के उद्ग्रहण सहित) जिनके अध्यधीन बल के सदस्यों को पड़ोसी क्षेत्रों में अग्नि शमन प्रचालनों के संचालन हेतु भेजा जाएगा।
 - (च) शर्तें जिनके अध्यधीन बल के सदस्यों को बचाव, संकट से उबारने या अन्य कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा।
 - (छ) तरीका तथा अंतराल जिस पर इस अधिनियम के तहत उद्गृहीत अग्नि की प्राप्तियों का भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा।
 - (ज) इस अधिनियम के तहत नोटिस तामील करने का तरीका
 - (झ) धारा 20 के तहत निर्णय हेतु कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया
 - (झ) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने बल के सदस्य न होते हुए भी अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए सेवाएं प्रदान की हैं, पुरस्कारों का भुगतान करना

- (ट) दुर्घटना के मामले में बल के सदस्यों को कार्य पर नियोजन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रितों को संदेय क्षतिपूर्ति
- (ठ) क्षेत्र से बाहर अथवा विशेष सेवाओं पर बल के सदस्यों का नियोजन करने के लिए या किसी उपकरण का प्रयोग करने के लिए तथा उसके लिए संदेय शुल्क; तथा
 - (ड) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाएगा।

42. निरसन तथा अपवाद

यदि इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होने के दिन से तत्काल पूर्व उस क्षेत्र में कोई कानून या नियम प्रवृत्त है जिसकी इस अधिनियम के सदृश विधिसम्मत शक्ति हैं, तो ऐसा सदृश कानून, जहां तक वह किसी ऐसे मामले में संबद्ध हैं जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई प्रावधान किया गया है, उस दिन निरस्त हो जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा निरसन किसी स्थानीय प्राधिकरण के निम्न सामान्य उत्तरदायित्व को परिसीमित, आशोधित या पदच्युत करने वाला नहीं माना जाएगा :

- (क) अग्नि शमन प्रयोजनों के लिए ऐसी जलापूर्ति तथा अग्नि हाइड्रेंटस की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करना जिसका निदेश राज्य सरकार समय-समय पर दे
- (ख) खतरनाक रसायनों वाले उद्योगों (डेंजरस ट्रेड्स) के विनियमन हेतु उपविधियों का निरूपण करना
- (ग) अपने किसी भी कर्मचारी को अग्नि शमन में सहायतार्थ मदद देने का आदेश देना जब बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसा किया जाना उपयुक्त हो
- (घ) सामान्यतः ऐसे उपाय करना जो आग लगने की संभावनाओं को कम करें या आग को फैलने से रोकें।

अनुबंध—1क

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और भारत सरकार का निर्णय

1. परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में भारत में अग्नि शमन सेवाओं की स्थिति

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) तक भारत में अग्नि शमन सेवाओं का विकास काफी हद तक ब्रिटेन के साथ भारत के राजनैतिक तथा ऐतिहासिक संबंध द्वारा प्रभावित था।

2. 1939 में युद्ध छिड़ने के समय, ब्रिटेन में असंख्य अग्नि शमन प्राधिकरण थे जो विदेशी प्रभाव वाले (हेटरोजीनस) थे तथा युद्ध प्रयास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बल के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित नहीं थे। उन्हें एक एकीकृत राष्ट्रीय संगठन अर्थात् राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा में विलयित करने का आनन्-फानन् में एक त्वरित प्रयास किया गया जिसने अपनी सभी कमियों के बावजूद एक अनुशंसनीय कार्य किया तथा संपूर्ण युद्ध की अवधि के दौरान ब्रिटिश मनोबल को उच्च बनाए रखने में सहायता की। युद्ध समाप्त होने के पश्चात्, अग्नि शमन सेवाओं के प्रशासन का उत्तरादायित्व वापस स्थानीय निकायों के ऊपर आ गया जिसका कारण राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा का गठन करने के समय गृह सचिव द्वारा दिया गया बचन था। तथापि, युद्ध के दौरान सीखे गए पाठ व्यर्थ नहीं गए। अग्नि शमन प्राधिकरणों की संख्या में अत्यधिक कमी करके प्रत्येक को एक व्यवहार्य प्राधिकरण बनाया गया और ब्रिटिश गृह कार्यालय ने एक अग्नि शमन सेवा निरीक्षणालय की स्थापना की जिसका स्पष्ट उद्देश्य उपकरण, ब्रिगेड प्रक्रियाविधियों, वर्दी, रैंकों तथ प्रशिक्षण की एकसमानता सुनिश्चित करना था तथा उनमें बेहतर समन्वयन तथा सहयोग का सुनिश्चय करना था।

विशेषज्ञ समिति, 1950 की सिफारिशें तथा भारत सरकार का तत्संबंधी निर्णय

3. युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा का अस्तित्व नहीं था। उसके परिणामस्वरूप, अग्नि ब्रिगेड ने अपना हेटरोजीनस स्वरूप कायम रखा तथा उनमें से अधिकांश संगठन युद्ध के अंत तक उपकरणों की कमी वाले रहे। उनकी एक ओर कमी यह थी कि उन्हें पूर्णतया आयातित उपकरणों पर निर्भर करना पड़ता था। भारत सरकार को इसकी पूर्ण जानकारी थी तथा वह समस्त संभव सुधार लाने के लिए तत्पर थी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसी कारण वर्ष 1950 में एक “विशेषज्ञ समिति” का गठन किया। उस समिति की मुख्य अनुशंसाएं इस सारसंग्रह के परिशिष्ट-1क' में दी गई हैं।
4. यह वस्तुतः एक अच्छी शुरूआत थी। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33/50—सीडी दिनांक 5 जनवरी, 1952 के तहत सभी राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश संबंधी अपना निर्णय संसूचित किया। उन्होंने परिशिष्ट 1क' के क्रमांक 1, 2 तथा 6 से 10 पर दी गई सिफारिशों को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया तथा क्रमांक 11 और 12 पर सिफारिशों के संबंध में अपने निर्णय को आस्थगित रखा। विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशों पर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार थे :—

“3 भारत सरकार ने उल्लेख किया कि व्यवहार्यतया सभी राज्य सरकारें इस मद पर सहमत हैं कि अग्नि शमन सेवाओं का प्रांतीयकरण सिद्धांतः ठोस विचार है तथा यहीं परम लक्ष्य होना चाहिए। तथापि, भारत सरकार महसूस करती है कि अग्नि शमन सेवाओं का प्रबंधन स्थानीय निकायों के उत्तरादायित्व का भाग है तथा उत्तरादायित्वों एवं कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के सामान्य सिद्धांत से विपर्यन (अलग हटना) केवल इस स्वरूप के मामले में न्यायोचित होगा जहाँ प्रत्येक युक्तिसंगत प्रयास के बावजूद म्युनिसिपल प्राधिकरण उस पैमाने की अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ पाए जाते हैं जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझती है तथा वह स्वयं इसकी व्यवस्था करने की स्थिति में है। यदि राज्य सरकार के पास स्थानीय निकायों द्वारा केवल प्रशिक्षित कार्मिकों (उदाहरणार्थ प्रस्तावित केंद्रीय संस्था में प्रशिक्षित व्यक्ति) की भर्ती को लागू करने का अधिकार है तथा साथ ही निरीक्षण का अधिकार भी है तो अग्नि शमन सेवाओं के प्रांतीयकरण के बिना भी दक्षता को वर्धित किया जा सकता है।

भारत सरकार विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश को भी सिद्धांतः स्वीकार करती है कि सभी राज्यों में (स्थानीय परिस्थितियों द्वारा यथापेक्षित आशोधनों के अध्ययनी) एक समान अग्नि शमन विधान होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, उनका प्रस्ताव यथेष्ट क्रम में एक मॉडल विधेयक तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने से पूर्व उसके संबंध में राज्य सरकारों की राय प्राप्त करने का था। अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात विधेयक की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को इस अनुशंसा के साथ परिचालित की जाएंगी कि वे इस प्रस्ताव को अपनी संबंधित विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित करें।

“4 भारत सरकार एक अखिल भारतीय अग्नि शमन सेवा के गठन संबंधी प्रस्ताव को छोड़कर इस सिफारिशों को स्वीकार करती है क्योंकि उसका विचार है कि अन्य कठिनाइयों के अलावा यह संवर्ग कारगर ढंग से कार्य करने के लिए बहुत ही लघु होगा।

“5 हालांकि भारत सरकार विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करने के असमर्थ है, उसका मानना है कि राज्य सरकारें अग्नि शमन सेवाओं के नियमित निरीक्षण हेतु व्यवस्थाएं करें।

अनुबंध—१ख

अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने की बुनियादी आवश्यकता

अग्नि शमन केंद्रों की आवश्यकताओं में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मानक अनुशंसित किए गए थे :

| क्रम सं. | आवास की किस्म | एक यंत्र वाला केंद्र | द्वि यंत्र वाला केंद्र | तीन यंत्र वाला केंद्र | चार यंत्र वाला केंद्र | पांच यंत्र वाला केंद्र | पांच यंत्र तथा उससे अधिक यंत्रों वाला केंद्र |
|----------|---|--|---|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | यंत्र कक्ष स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार द्वारों सहित (ठंचाई प्रयुक्ति की जा रही सीढ़ियाँ/यंत्र की समग्र ठंचाई पर निर्भर करेगी किन्तु यह 12' से कम नहीं होगी) | 30' 10' X 14' ऊंचा | फर्श क्षेत्रफल एक यंत्र केंद्र के फर्श यंत्र केंद्र के फर्श क्षेत्रफल का दोगुना होगा | एक यंत्र केंद्र के तहत दिए गए क्षेत्रफल को 3 से गुणा करें | एक यंत्र केंद्र के तहत दिए गए क्षेत्रफल को 4 से गुणा करें | एक यंत्र केंद्र के तहत दिए गए क्षेत्रफल को 4 से गुणा करें | एंतर केंद्र के तहत दिए गए क्षेत्रफल को पर्याप्त की संख्या से गुणा करें |
| 2 | कार्यालय | 120 वर्गफुट | 120 वर्गफुट | 180 वर्गफुट | 180 वर्गफुट | 180 वर्गफुट | 240 वर्गफुट |
| 3 | *निराधारी कक्ष | 120 वर्गफुट | 120 वर्गफुट | 120 वर्गफुट | 120 वर्गफुट | 120 वर्गफुट | 180 वर्गफुट |
| 4 | स्टोर | 180 वर्गफुट | 180 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 300 वर्गफुट |
| 5 | कार्य कक्ष (छोटी मोटी मरम्मतों के लिए) | 150 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 250 वर्गफुट | 250 वर्गफुट | 300 वर्गफुट |
| 6 | विश्राम कक्ष/मनोरंजन कक्ष (यंत्र का अर्थ है ऐम्बुलेंस सहित समस्त अग्नि शमन वाहन) | 200 वर्गफुट | 200 वर्गफुट | 250 वर्गफुट | 300 वर्गफुट | 300 वर्गफुट | 300 वर्गफुट |
| 7 | ड्रिल टावर सह होज शुक्रन टावर | 15' X 15' X 40' ऊंचा | 15' X 15' X 40' ऊंचा | 15' X 15' X 40' ऊंचा | 15' X 15' X 40' ऊंचा | 15' X 15' X 40' ऊंचा | 15' X 15' X 40' ऊंचा |
| 8 | पेट्रोल भंडार (मोजूदा पेट्रोलियम विनियमों के अनुसार) | | | | | | |
| 9 | पेट्रोल भंडार | अधिकतम 3' की तथा कम से कम 3 की गहराई वाली 2' X 2' X 2' के सम्पूर्ण वाली पैरापेट दीवार के साथ 5000 गैलन की क्षमता | अधिकतम 3' की तथा कम से कम 3 की गहराई वाली 2' X 2' X 2' के सम्पूर्ण वाली पैरापेट दीवार के साथ 10000 गैलन की क्षमता | अधिकतम 3' की तथा कम से कम 3 की गहराई वाली 2' X 2' X 2' के सम्पूर्ण वाली पैरापेट दीवार के साथ 10000 गैलन की क्षमता | एक पम्प केंद्र के समान क्षमता वाली दो टंकियाँ | एक पम्प केंद्र के समान क्षमता वाली दो टंकियाँ | |

| क्रम सं. | आवास की किस्म | एक यंत्र वाला केंद्र | द्वि यंत्र वाला केंद्र | तीन यंत्र वाला केंद्र | चार यंत्र वाला केंद्र | पांच यंत्र तथा उससे अधिक यंत्रों वाला केंद्र |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 10 | हो वॉशिंग थू | 40' X 3' X 2' 40' X 3' X 2' | 40' X 3' X 2' | 40' X 3' X 2' | 40' X 3' X 2' | 40' X 3' X 2' गहरा |
| 11 | धूम कक्ष | 8' X 8' X 8' ऊंचा |
| 12 | हाइड्रेट | प्रत्येक किस्म का प्रत्येक किस्म का एक |
| 13 | आभिलेख कक्ष | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 14 | कक्षा कक्ष | 200' X 50' |
| 15 | ट्रिल ग्राउंड | | | | | |

16. **एक समय पर कार्य पर उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या के लिए प्रति व्यक्ति 10 फुट X 5 फुट का क्षेत्रफल
17. स्वच्छता सुविधाएँ : 1 सेट की न्यूनतम अपेक्षा के अधीन किसी भी समय कार्य पर उपस्थित प्रत्येक 5 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय तथा एक रसान गृह के पैमाने पर उपलब्ध कराई जानी है।

18. रिहायशी आवास

- (क) प्रशिक्षण केंद्र में – 100 व्यक्तियों के लिए एकल आवास, भेसिंग (खान-पान सुविधाएं) सुविधा तथा अन्य संबद्ध सेवाएं एयरोड्रोम के यथासंभव निकटतम उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ख) सभी केंद्रों पर : सभी अधिन शमन सेवा कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास एयरोड्रोम के यथासंभव निकटतम उपलब्ध कराया जाएगा।

*निगरानी कक्ष अधिन शमन केंद्र में सबसे ऊपर होगा।

**उपरी तरफों के मानते में प्रत्येक तल के बीच दूरी स्लाइंग (खिसकने वाले) खर्च किट किए जाएंगे।

अनुबंध-2

क्षमता निर्माण के लिए 13वें वित्त आयोग का अनुदान

(संदर्भ : 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 11.102)

| क्रम सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | कुल अनुदान 2010-15 |
|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 3 | অসম | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 4 | बिहार | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 6 | गोवा | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 7 | ગુજરાત | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| 8 | हरियाणा | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 11 | झारखण्ड | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 12 | कर्नाटक | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 13 | केरल | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 15 | महाराष्ट्र | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 16 | मणिपुर | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 17 | मेघालय | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 18 | मिजोरम | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 19 | नागालैंड | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 20 | उड़ीसा | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 21 | ਪंਜाब | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 22 | राजस्थान | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| 23 | सिक्किम | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 24 | तमिलनाडु | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| 28 | পশ্চিম বঙ্গাল | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| कुल योग | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 525.00 |

अनुबंध—३

भारत में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों की सूची

(संदर्भ : 2001 की भारत की जनगणना रिपोर्ट)

| क्रम सं. | राज्य | शहर | जनसंख्या |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद यू.ए (जिला 04, 05, तथा 06) | 57,42,036 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | विशाखापत्नम यू.ए (जिला 31, 32 और 33) | 13,45,938 |
| 3 | आन्ध्र प्रदेश | विजयवाड़ा यू.ए (जिला 16 तथा 17) | 10,39,518 |
| 4 | बिहार | पटना यू.ए | 16,97,976 |
| 5 | दिल्ली | दिल्ली यू.ए | 1,28,77,470 |
| 6 | गुजरात | अहमदाबाद यू.ए (जिला 06 तथा 07) | 45,25,013 |
| 7 | गुजरात | राजकोट यू.ए | 10,03,015 |
| 8 | गुजरात | सूरत यू.ए | 28,11,614 |
| 9 | गुजरात | वडोदरा यू.ए | 14,91,045 |
| 10 | हरियाणा | फरीदाबाद (एम. कार्पो.) | 10,55,938 |
| 11 | झारखण्ड | धनबाद यू.ए | 10,65,327 |
| 12 | झारखण्ड | जमशेदपुर यू.ए (जिला 17 तथा 18) | 11,04,713 |
| 13 | कर्नाटक | बंगलौर यू.ए | 57,01,746 |
| 14 | केरल | कोची यू.ए | 13,55,972 |
| 15 | मध्य प्रदेश | भोपाल यू.ए | 14,58,416 |
| 16 | मध्य प्रदेश | इंदौर यू.ए | 15,16,918 |
| 17 | मध्य प्रदेश | जबलपुर यू.ए | 10,98,000 |
| 18 | महाराष्ट्र | मुंबई (जिला 21, 22 तथा 23) | 1,64,34,386 |
| 19 | महाराष्ट्र | नागपुर यू.ए | 21,29,500 |
| 20 | महाराष्ट्र | नासिक यू.ए | 11,52,326 |
| 21 | महाराष्ट्र | पुणे यू.ए | 37,60,636 |
| 22 | पंजाब | अमृतसर यू.ए | 10,16,079 |
| 23 | पंजाब | लुधियाना (एम. कार्पो.) | 13,98,467 |
| 24 | राजस्थान | जयपुर (एम. कार्पो.) | 23,22,575 |
| 25 | तमिलनाडु | चेन्नई यू.ए (जिला 01, 02 तथा 03) | 65,60,242 |
| 26 | तमिलनाडु | कोयम्बटूर यू.ए | 14,61,139 |
| 27 | तमिलनाडु | मदुरई यू.ए | 12,03,095 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | आगरा यू.ए | 13,31,339 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद यू.ए | 10,42,229 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | कानपुर यू.ए | 27,15,555 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ यू.ए | 22,45,509 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | मेरठ यू.ए | 11,61,716 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी यू.ए | 12,03,961 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | आसनसोल यू.ए | 10,67,369 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता यू.ए (जिला 10, 11, 12, 16, 17 तथा 18) | 1,32,05,697 |

अनुबंध—4

अग्नि शमन केंद्र स्थापित करने के लिए लागत तथा विशेष विवरण दर्शाने वाली अनिवार्य उपकरणों की सूची

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | लगभग लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेष विवरण |
|----------|--|-------------------------|--|
| | जल फेंकने वाला वाहन (वाटर) टेंडर | 35 | आईएस 948, आईएस 950, आईएस 6067 एसएफएसी का विशेष विवरण अनुबंध –31 के रूप में संलग्न है। |
| | (बहु प्रयोजन कार्बनडाइआक्साइड (सीओ2), फोम एवं डीसीपी | 100 | आईएस 949, आईएस 956, आईएस 6067 |
| | अग्रिम बचाव / आपातकालीन टेंडर | 80 | एसएफएसी का विशेष विवरण अनुबंध –32 के रूप में संलग्न है। |
| | बचाव टेंडर | | |
| क) | एम्बुलेंस | 100 | |
| ख) | ट्रॉमा | 50 | |
| | सामान्य | 10 | |
| | मिनी ट्रक चेसिस पर अधिष्ठापित मिनी जल टेंडर (एक्सेसरी के बिना) | 9 | कोई बीआईएस विनिर्देशन (विशेष विवरण) नहीं |
| | मोटर साइकिल पर कुहासा प्रौद्योगिकी आधारित अग्नि शमन दल | 32 | कोई बीआईएस विनिर्देशन (विशेष विवरण) नहीं |
| | जल बाउजर फैब्रिकेशन (चेसिस की लागत जोड़ी जानी है) | 30 | कोई बीआईएस विनिर्देशन (विशेष विवरण) नहीं |
| | ब्रेकडाउन वैन (लगभग 16 टन) | | |

अग्नि शमन केंद्र के लिए विशिष्ट उपकरण (असुरक्षितता के अनुसार अपेक्षानुसार)

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | लगभग लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेष विवरण |
|----------|-----------------|-------------------------|--|
| 1 | टर्न टेबल सीढ़ी | | बीआईएस विनिर्देशन का व्यापक परिचालन किया गया है। |
| | 60 मीटर ऊंचाई | 800 | |
| | 55 मीटर ऊंचाई | 700 | |
| | 32 मीटर | 550 | |

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | लगभग लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेष विवरण |
|----------|---|---|---|
| 2 | हवाई सीड़ी मंच | | कोई बीआईएस विनिर्देशन (विशेष विवरण) नहीं |
| | क) 70 मीटर ऊंचाई | 950 | |
| | ख) 54 मीटर ऊंचाई | 850 | |
| | ग) 42 मीटर ऊंचाई | 550 | |
| 3 | हजमत वैन | 400 . 1500 | बीआईएस विनिर्देशन का व्यापक परिचालन किया गया है। एसएफएसी का विनिर्देशन (विशेष विवरण अनुबंध-33 के रूप में संलग्न है) |
| | (हजमत वैन की कीमत वैन में बचाव उपकरणों के आधार पर भिन्न होती है। उपकरण का चयन स्थानीय असुरक्षितताओं के अनुसार किया जाएगा) | | |
| 4 | अग्रिम बचाव / आपातकालीन टेंडर | 100 | आईएस 949, आईएस 956, आईएस 60671 एसएफएसी का विनिर्देशन (विशेष विवरण) अनुबंध-32 के रूप में संलग्न है। |
| 5 | होज बिछाने वाले टेंडर (63 मिली मीटर x 50 होज़) | 20–25 | आईएस 2930 |
| 6 | लाइटिंग वैन | (वाहन के चयनित चैसिस तथा लगाए गए उपकरण पर निर्भर) | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 7 | नियंत्रण चौकी की वैन | (वाहन के चयनित चैसिस तथा लगाए गए उपकरण पर निर्भर) | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 8 | कैंटीन वैन (स्टेनलेस स्टील उपकरण / जल विशुद्धीकर्ता (वाटर प्यूरीफायर) तथा डी जी सेट | 25–100 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 9 | दूरसंचार उपकरणों के लिए मोबाइल वर्कशॉप (तकनीकी कार्मिक) | 50 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 10 | अन्य आपदा उपकरण वैन | 500–800 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| | (अन्य आपदा उपकरण वैन की कीमत वाहन के चयन तथा स्थानीय असुरक्षितताओं के अनुसार चयनित बचाव उपकरणों पर आधारित होगी) | | |

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | लगभग लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेष विवरण |
|----------|---|-------------------------|---|
| 11 | वहनीय पम्प (कुहासा प्रौद्योगिकी के बिना) एक / दो परिदाय प्रणाली, सामान्य तथा उच्च दाब, आई एस एवं ई एन के अनुसार | | आईएस 12717, आईएस 942, |
| क) | 275 एल पी एम / 4.0 छड़ | 01.5 | |
| ख) | 550 एल पी एम / 5.0 छड़ | 0.25 | |
| ग) | 1400 / 1600 एल पी एम / 7.0 छड़ | 0.50 | |
| 12 | जल कुहासा प्रौद्योगिकी वाहन मार्जिड वहनीय पम्प | 15 | बीआईएस विनिर्देशन विषय चरण पर है। एसएफएसी के विनिर्देशन अनुबंध-34 के रूप में संलग्न है। |

टिप्पणी :— दिए गए विनिर्देशन न्यूनतम हैं। यदि खरीद के समय उच्चतर विनिर्देशन वाले उपकरण उपलब्ध हैं तब संबंधित अग्नि शमन सेवा उच्चतर विनिर्देशन का विकल्प चुन सकती है। असुरक्षितता आकलन के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सूची में असमिलित उपकरणों का क्रय भी किया जा सकता है।

अग्नि शमन सेवाओं के लिए उपकरणों की लगभग लागत दर्शाने वाली सूची

| क्रम सं. | यंत्र का नाम | लगभग लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेष विवरण |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | स्टेटिक बेतार सेट | 0.17 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 2 | मोबाइल बेतार सेट | 0.14 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 3 | अतिरिक्त बैटरी के साथ वॉकी टॉकी | 0.14 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |
| 4 | रिपीटर (संदेश दोहराने वाला यंत्र) | 0.65 | कोई बीआईएस विनिर्देशन नहीं |

टिप्पणी :— दिए गए विनिर्देशन न्यूनतम हैं। यदि खरीद के समय उच्चतर विनिर्देशन वाले उपकरण उपलब्ध हैं तब संबंधित अग्नि शमन सेवा उच्चतर विनिर्देशन का विकल्प चुन सकती है। असुरक्षितता आकलन के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सूची में असमिलित उपकरणों का क्रय भी किया जा सकता है।

अनुबंध—5

अग्नि शमन कर्मियों के बुनियादी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (करिक्यूलम)

मौखिक प्रशिक्षण

(i) रासायनिक अग्नि शामक

प्रयोग में आने वाली किस्में तथा अग्नि की किस्में जिन पर प्रत्येक का प्रयोग किया जा सकता है; देखभाल तथा अनुरक्षण।

(ii) सीढ़ियां

प्रयोग में आने वाली किस्में प्रत्येक की परिसीमाओं के साथ : देखभाल तथा अनुरक्षण; मानक कवायदों में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य।

(iii) प्राथमिक उपचार

आघात, जख्म, जलने, रक्तस्राव, अस्थिभंग तथा श्वसन विफलता के मामलों में उपचार।

(iv) होज़ तथा होज़ कवायद

परिदाय (डिलीवरी) तथा सक्षण होज़ की किस्में, निर्माण, देखभाल तथा अनुरक्षण; परीक्षण, सफाई, सुखाने, मरम्मत तथा स्लोइंग की विधियां; मानक कवायदों में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य।

(v) झाग तथा झाग उपकरण

झाग तथा झाग निर्माण यंत्रों की किस्में तथा उनके प्रयोग – देखभाल तथा अनुरक्षण।

(vi) हाइड्रेंट तथा होज़ फिटिंग्स

हाइड्रेटों की किस्में तथा आकार; होज़ फिटिंग्स, जैसे कप्लिंग , ब्रीचिंग, क्लेकिंग हैड, ब्रांच तथा टॉटी (नोजल), स्ट्रेनर, स्टेंड पाइप, होज़ आवरण (रैपर) तथा पटिटयां, होज़ रैम्प, ब्रांच होल्डर; देखभाल तथा अनुरक्षण।

(vii) गांठें तथा रस्सियां (लाइनें)

लाइनों की किस्में; परीक्षण की विधियां; देखभाल तथा अनुरक्षण। निम्न 12 गांठें तथा उनके प्रयोग :

- (क) जांच (ओवरहॉल) गांठ या छोटी (थम्म) गांठ
- (ख) रीफ गांठ
- (ग) गंठी फंदा (क्लोव हिच)
- (घ) रोलिंग हिच
- (ङ.) राउंड टर्न एवं टू हॉफ हिच

- (च) सिंगल शीट बैंड
- (छ) शीप शैंक
- (ज) बिल्ली पंजा (कैट्स पॉ) नुमा फंदा
- (झ) बो लाइन
- (झ) रनिंग बो लाइन
- (ट) बाइट पर बो लाइन
- (ठ) कुर्सी की गांठ (चेयर नॉट)

(viii) पम्प तथा पम्प संबंधी कवायद

पम्प तथा प्राइमिंग प्रणालियों की किस्में, पुर्जों की पहचान; देखभाल तथा अनुरक्षण; मानक कवायदों में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य।

(ix) व्यावहारिक अग्नि शमन कर्मी कौशल

भवन में “प्रवेश” करने तथा आग को खोजने या पता लगाने की विधि; धुंए भरे स्थानों में कार्य करते समय अनुपालन किए जाने वाले पूर्वोपाय।

(x) छोटे औजार

विशेष छोटे औजारों का प्रयोग यथा डोर ओपनर, परसुएडर, ब्रेकिंग-इन-टूल्स, कुल्हाड़ी (एक्सिस), प्रीवेंटर, रेक्स, स्कूप, कटिंग शियर्स, हैंड पम्प इत्यादि।

(xi) वाटर रूम प्रोसीजर

आग लगने तथा अन्य आपात स्थितियों की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करने की विधि; मानक संदेश।

(xii) जलापूर्ति तथा रिले

जलापूर्तियों की किस्में तथा अग्नि शमन के लिए उनका प्रयोग करने हेतु अनिवार्य अपेक्षाएं; वाटर मेन का दोहन; समाहर्ता द्वारा रिले प्रणालियां तथा सीरिज पम्पिंग; सामान्य रिले दूरियां।

व्यावहारिक

(i) श्वसन यंत्र

श्वसन सेट का प्रयोग करना।

(ii) रसायन अग्नि शामक

प्रचालन तथा प्रयोग के पश्चात रिचार्ज करने की विधि।

(iii) सीढ़ियां

चढ़ना तथा उतरना; पोम्पलर बेल्ट के साथ हुक सीढ़ी का प्रयोग करना तथा एक कर्मी या दो कर्मी वाली कवायद करना।

(iv) *प्राथमिक उपचार

शरीर के विभिन्न भागों पर मरहम पट्टी करना; कृत्रिम श्वसन

(v) हाइड्रेट, होज़ तथा होज़ कवायद

हाइड्रेट प्रचालन; उठाना; बिछाना; तैयार करना, होज़ लम्बाई बढ़ाना, प्रतिस्थापित करना या हटाना, होज़ लाइनों को ऊपर के तलों पर या सीढ़ियों पर ले जाना

(vi) गांठें तथा लाइन

निम्न गांठों को बांधने का प्रयोग (प्रैक्टिकल)

(कक) ओवरहॉल गांठ या थम्म गांठ

(खख) रीफ गांठ

(गग) क्लोव हिच

(घघ) रोलिंग हिच

(डड) राउंड टर्न एवं टू हॉफ हिच

(चच) सिंगल शीट बेंड

(छछ) शीप शैक

(जज) कैट्स पॉ

(झझ) बो लाईन

(अअ) रनिंग बो लाईन

(टट) बाईट पर बो लाईन

(ठठ) चेयर नॉट

(vii) पम्प

विभिन्न प्राइमिंग प्रणालियों वाले पम्पों का प्रचालन।

(viii) बचाव कवायद

अग्नि शमन कर्मी की लिफ्ट तथा रस्सी के सहारे बचाव द्वारा बेहोश व्यक्तियों को उठाना, नीचे उतारना तथा सुरक्षित स्थान तक ले जाना।

(ix) दस्ते (स्कैड) कवायद

स्कैड कवायद का निष्पादन करना, कदम मिलाकर चलना, एक साथ दांये, बांये तथा पीछे मुड़ना तथा स्कैड का निर्माण करना।

* चोटग्रस्त व्यक्तियों संबंधी कार्रवाई तथा उन्हें लाना—ले जाना शामिल किया जाएगा।

अनुबंध—6

अग्रणी अग्नि शमन कर्मियों की पदोन्नति के लिए पाठ्यक्रम (करिक्यूलम)

(i) श्वसन यंत्र तथा कृत्रिम सांस देना

लिखित तथा/अथवा मौखिक

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन (प्रैक्टिकल
डिमांस्ट्रेशन)

प्रयोग की जा रही किस्में उनकी परिसीमाओं सहित –
परिस्थितियों जिनमें इन सेटों का प्रयोग किया जाना है –
दशाएं जब कृत्रिम सांस देना आवश्यक हो – मानक परीक्षण
श्वसन सेट का प्रयोग करने या कृत्रिम श्वसन यंत्र का
प्रयोग करने का व्यावहारिक प्रदर्शन

(ii) रासायनिक अग्नि शमन

लिखित तथा/अथवा मौखिक–

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन–

प्रयोग में लाए जाने वाले अग्नि शामकों की किस्में तथा
आग की किस्में जिन पर प्रत्येक उपकरण का प्रयोग किया
जा सकता है; लाभ तथा अलाभ (हानियाँ) तथा अनुरक्षण
की सामान्य विधियाँ; मानक परीक्षण

प्रचालन की विधि; प्रयोग के पश्चात रिचार्ज करना

(iii) बचकर निकलने के लिए सीढ़ियाँ विस्तार सीढ़ियाँ तथा हुक सीढ़ियाँ कवायदों के साथ

लिखित तथा/अथवा मौखिक–

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन–

प्रयोग की जा रही किस्में उनकी परिसीमाओं के साथ,
देखभाल तथा अनुरक्षण, मानक कवायदों का निष्पादन करने
में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य; मानक परीक्षण
फिसलन तथा सम्भलना पोम्पियर बैल्ट के साथ हुक सीढ़ियों
का इस्तेमाल करना तथा सीढ़ी पर चढ़ना तथा उत्तरना

(iv) प्राथमिक उपचार

लिखित तथा/अथवा मौखिक–

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन–

लगी आग के अंदर पहुंचने की विधि तथा आघात, जख्म,
जलने, रक्तस्राव, अरिथ्रिंग एवं श्वसन विफलताओं के मामलों
में तदनंतर उपचार

शरीर के विभिन्न भागों पर मरहम पटिट्यां बांधने की विधियाँ
तथा कृत्रिम श्वसन

(v) ज्ञाग तथा ज्ञाग उपकरण

लिखित तथा / अथवा मौखिक—

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

प्रयुक्त किए जा रहे ज्ञाग निर्माण उपकरण की किस्में उनकी परिसीमाओं सहित; परिस्थितियां जिनमें इनका प्रयोग किया जा रहा है; देखभाल तथा अनुरक्षण; मानक परीक्षण

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन कि प्रत्येक उपकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है।

(vi) होज़ तथा होज़ कवायद

लिखित तथा / अथवा मौखिक—

परिदाय तथा सक्षण होज़ की प्रयुक्त की जा रही किस्में, निर्माण, देखभाल तथा अनुरक्षण; परीक्षण, सफाई, सुखाने, मरम्मत तथा स्लोइंग की विधियां; मानक तीन कर्मी तथा चार कर्मी कवायदों में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य; मानक परीक्षण।

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

होज़ उठाना; बिछाना; तैयार करना, होज़ लम्बाई बढ़ाना, प्रतिस्थापित करना या हटाना, रस्सियों को ऊपर के तलों पर या सीढ़ियां पर ले जाना

(vii) हाइड्रेंट तथा होज़ फिटिंग

लिखित तथा / अथवा मौखिक—

प्रयुक्त किए जा रहे हाइड्रेंटों की किस्में उनके आकार तथा आउटलेट के निर्माण सहित होज़ फिटिंग जैसे कप्लिंग, ब्रीचिंग, कलेकिटिंग हैड, विभिन्न प्रकार के नोजलों के साथ ब्रांच होज़ रैपर, होज़ पट्टियां, होज़ रैम्प; ब्रांच होल्डर तथा उनके प्रयोग; हाइड्रेंट का मानक परीक्षण

हाइड्रेंटों का प्रचालन तथा विभिन्न होज़ फिटिंग्स

(viii) गांठे तथा लाइनें

लिखित तथा / अथवा मौखिक—

प्रयोग की जा रही लाइनों की किस्में, परीक्षण की विधि तथा विभिन्न प्रयोग जिनमें विभिन्न गांठों को मानक परीक्षण के दौरान प्रयुक्त किया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार की गांठों को व्यावहारिक रूप से बांधना

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

(ix) पम्प तथा पम्प ड्रिल

लिखित तथा / अथवा मौखिक—

प्रयोगरत पम्प तथा प्राइमिंग प्रणालियों की किस्में, लाभ तथा अलाभ; मानक कवायदों में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य पम्पों का प्रचालन तथा मानक पम्प संबंधी कवायद

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

**(x) व्यावहारिक अग्नि शमन कर्मी
कौशल**

लिखित तथा/अथवा मौखिक—

भवन में “प्रवेश” करने तथा आग को खोजने या पता लगाने की विधि; धुंए वाले स्थानों में कार्य करते समय अनुपालन किए जाने वाले पूर्वोपाय

(xi) बचाव कवायद

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

अग्नि शमन कर्मी की लिपट तथा लाइन बचाव द्वारा बेहोश व्यक्तियों को उठाना, नीचे उतारना तथा सुरक्षित स्थान तक ले जाना।

(xii) छोटे औजार

लिखित तथा/अथवा मौखिक—

विशेष छोटे औजारों का प्रयोग यथा डोर ओपनर, परसुएडर, ब्रेकिंग-इन-टूल्स, कटिंग प्लांट; बचाव औजार, जैक तथा पुली, कुल्हाड़ी तथा प्रीवेंटर इत्यादि

(xiii) दस्ते (स्कैड) की कवायद

प्रयोग द्वारा प्रदर्शन—

स्कैड निर्माण के साथ व्यावहारिक स्कैड कवायद करना, कदम मिलाकर चलना, मार्च पास्ट की विधि दाएं-बाएं मुड़ना तथा परेड करना

(xiv) स्थलाकृति

लिखित तथा/अथवा मौखिक—

प्रमुख स्थानों, ऐसे स्थानों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के नामों सहित शहर/नगर के खाके का ज्ञान, विभिन्न बाजारों तथा महत्वपूर्ण लेनों के नाम; संबंधित अग्नि शमन केंद्रों द्वारा सेवित क्षेत्र में अग्नि के खतरों का सामान्य विस्तार

(xv) निगरानी कक्ष प्रक्रियाविधि

लिखित तथा/अथवा मौखिक—

निगरानी कक्ष के कार्य, आवक तथा जावक संदेशों के रिकार्ड रखने की विधियां; संग्रहण प्रक्रिया; आग लगने तथा आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करने की विधि, मानक संदेश

(xvi) जल की समस्याएं

लिखित तथा/अथवा मौखिक—

जलापूर्ति की किस्में, जल मेन में अग्नि शमन दबावों के लिए उनका प्रयोग, जल मेन का प्रयोग करने के लिए पम्पों की क्षमताएं

(xvii) जल रिले

लिखित तथा/अथवा मौखिक— कलेक्टर एवं सीरिज पम्पिंग का अर्थ; सामान्य रिले दूरी; रिले होज़ लाइनों में व्यवधान का पता लगाने की विधि

(g) पदोन्नति हेतु मसौदा नियम

- (i) अग्नि शमन सेवाओं में प्रमंडलीय अधिकारी के स्तर तक के विभिन्न रैंकों पर सभी पदोन्नतियां उन उम्मीदवारों में से की जाएंगी जो सभी प्रकार से पात्र होते हुए ऐसी पदोन्नति के लिए समुचित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तथा अन्यथा नहीं।
- (ii) किसी भी परीक्षा में ‘सफल’ होने के लिए उम्मीदवार को कुल अंकों में से 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।
- (iii) सफल उम्मीदवारों में सफलता में वरिष्ठता को सेवा में वरिष्ठता संहित ध्यान में रखा जाएगा तथा जो पूर्व वर्षों में परीक्षा पास करते हैं उन्हें तदनंतर वर्षों में परीक्षा पास करने वालों की तुलना में पदोन्नति हेतु वरिष्ठ माना जाएगा। प्रादेशिक/राज्य प्रशिक्षण केंद्रों अथवा राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची संबंधित कोर्सों के लिए पात्र उम्मीदवारों में से यथासंभव वरिष्ठता के अनुसार तैयार की जाएगी।
- (iv) केवल अपवादात्मक तथा अति विरले मामलों में ही नियुक्ति प्राधिकारी के पास किसी अन्यथा पात्र उम्मीदवार के मामले में पदोन्नति परीक्षा पास करने की शर्त से छूट देने का विवेकाधिकार होगा यदि तत्समय प्रवृत्त परिस्थितियां ऐसी विचारणा को अनुमत करें। ऐसे मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी अधिमानतः कम से कम तीन अधिकारियों वाले बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु चयन की व्यवस्था करेगा।
- (v) अग्रणी अग्नि शमन कर्मी के पद पर पदोन्नति के लिए, पात्र उम्मीदवारों को उपर्युक्त पाठ्यचर्या में यथा निर्धारित मानक की विभागीय लिखित तथा मौखिक एवं व्यावहारिक परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा एक अधिकारी बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में सहायक मंडलीय अधिकारों या वरिष्ठ अग्नि शमन केंद्र अधिकारी होगा जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा दो अग्नि शमन केंद्र अधिकारी या उप-अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

* चोट ग्रस्त व्यक्तियों संबंधी कार्य तथा उनको लाना—ले जाना शामिल होगा।

अनुबंध – 7

उप-अधिकारियों के कोर्स के लिए पाठ्य विवरण (सिलेबस)

क्षमता : 40 सीटें

अवधि : 25 सप्ताह (जिसमें भारत में स्थित किसी भी प्रमुख फायर ब्रिगेडों के साथ 4 सप्ताहों का प्रयोगात्मक कार्य से संबद्ध होना शामिल है। निजी और रक्षा बलों के अभ्यर्थियों द्वारा 8 सप्ताह की अवधि का अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य किया जाना अपेक्षित है।

- उद्देश्य :
1. यह कोर्स उन कार्मिकों हेतु उपयोगी है जिनकी उप-अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने की संभावना है और जो अग्नि शमन सेवा को अपना पेशा बनाना चाहते हैं।
 2. आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए जरूरी आरंभिक ज्ञान देना।
 3. प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न अग्नि शमन संगठनों से परिचित कराना।
 4. उपकरणों और उपस्करणों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रशिक्षित करना।
 5. प्रशिक्षु अधिकारियों को वास्तविक अग्नि की स्थितियों से अवगत कराना।

पात्रता : आयु : निजी अभ्यर्थियों के लिए 18 से 23 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट। प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष से कम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट।

शैक्षणिक योग्यता : निजी अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से एच एस एस सी / माध्यमिक (10+2) परीक्षा पास होना चाहिए और प्रायोजित अभ्यर्थी मैट्रिक अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए।

शारीरिक मानदंड :

लम्बाई : 165 सेंटीमीटर

वजन : 50 किलोग्राम

छाती : सामान्य रूप से 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर

निजी अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया

निजी अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, विज्ञापन और विस्तृत जानकारी देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाती है, जो सामान्यतः जून माह के दौरान किया जाता है और प्रवेश परीक्षा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में आयोजित की जाती है।

कोर्स की विषय-वस्तु

वायुयान संबंधी अग्नि और बचाव, श्वसन उपकरण, भवन निर्माण, बुनियादी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, अनुशासन, अग्नि शमन, बिजली और उसके आग के खतरे, प्रमथोपचार और एम्बुलेंस सहायता, बचाव के साधन, अग्नि शमन सेवा प्रशासन, आबद्ध अग्नि शमन संस्थापना, फोम और फोम बनाने के उपकरण, होज़ तथा होज़ फिटिंग, हाइड्रेंट तथा हाइड्रेंट फिटिंग, हाइड्रॉलिक्स, गांठ और लाइन, सीढ़ी, पम्प और पम्प प्रचालन, बचाव ड्रिल और बचाव संबंधी कार्य, व्यावहारिक अग्नि शमन कर्मी कौशल, पुनरुज्जीवन, ग्रामीण आग, बचाव, छोटे और विशेष औजार, जहाज संबंधी अग्नि, विशेष सेवाएं, स्क्वॉड ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण, वाच रूम प्रक्रिया तथा एकत्रीकरण, वाटर रिले, वाटर टेंडर, होज़ के साथ व्यावहारिक अभ्यास, हाइड्रेंट, पम्प, झाग, झाग बनाने वाले उपकरण, सीढ़ी, गांठ और रस्सी (लाइन), छोटे औजारों का प्रयोग, होज़ फिटिंग और बचाव उपकरण, बचाव की तकनीकें।

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है)

अनुबंध – 8

अग्नि शमन केंद्र अधिकारियों और अनुदेशक कोर्स के लिए पाठ्य विवरण (सिलेबस)

- क्षमता :** 30 सीटें
- अवधि :** 25 सप्ताह (2 सप्ताह के औद्योगिक दौरे सहित)
- उद्देश्य :**
1. अग्नि शमन सेवा के उन कार्मिकों को प्रशिक्षित करना जो अग्नि शमन केंद्र के प्रभारी हैं अथवा जिनके द्वारा अग्नि शमन केंद्र का स्वतंत्र प्रभार संभाले जाने की संभावना है।
 2. अग्नि शमन केंद्र के क्षेत्राधिकार में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम तथा सुरक्षा देखना।
 3. अग्नि की रोकथाम के सिद्धांत और व्यवहार तथा आधुनिक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों संबंधी प्रशिक्षण देना।
 4. आपदा की स्थिति के लिए तैयार होना।
- पात्रता :** आयु : 45 वर्ष से कम केवल प्रायोजित अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष की छूट)
- शैक्षिक और तकनीकी योग्यता :**
- क) मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य पास होना चाहिए।
 - ख) इस महाविद्यालय का उप-अधिकारी का कोर्स पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त अग्नि शमन सेवा संगठन में प्रमुख फायरमैन अथवा उप-अधिकारी अथवा समतुल्य पद पर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य किया हो।
 - ग) उसके पास भारी मोटर वाहन हेतु ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसा लाइसेंस न हो तो महाविद्यालय द्वारा उसे डिप्लोमा दिए जाने जाने से पहले वह लाइसेंस प्राप्त करें।
- शारीरिक मानदंड :**
- | | |
|---------|---|
| लम्बाई: | 165 सेंटीमीटर से कम न हो |
| वजन : | 50 किलोग्राम से कम न हो |
| छाती : | सामान्य रूप से 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर |

कोर्स की विषय-वस्तु :

वायुयान संबंधी अग्नि और बचाव, वातानुकूलन तथा प्रशीतन, श्वसन उपकरण, भवन निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा, ज्वलन की भौतिकी और रसायन शास्त्र, अनुशासन, बिजली, विस्फोटक, अग्नि शमक, अग्नि शमन सेवा प्रशासन, प्रमथोपचार और एम्बुलेंस सहायता, स्थिर अग्नि शमन संस्थापन, फोम और फोम के उपकरण, विशेष जोखिम क्षेत्र में आग संबंधी खतरे तथा अग्नि से सुरक्षा, अग्नि शमन सेवा संचार, आग की रोकथाम और निरीक्षण प्रक्रिया, गैस से लगाने वाली आग, होज तथा होज फिटिंग, हाइड्रेंट तथा वाटर रिले, आंतरिक ज्वलन इंजन, आग का पता लगाना, सीढ़ी, पम्प प्लान रीडिंग, व्यावहारिक अग्नि शमन कर्मी कौशल, बचाव अभ्यास, पुनःजीवन, ग्रामीण और वन संबंधी आग, बचाव, जहाज संबंधी आग, छोटे औजार, विशेष सेवाएं, खतरनाक सामान का भंडारण, स्क्वॉड ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण, वाटर टैंडर, उपस्करणों और उपकरणों का अनुरक्षण, आग की रोकथाम और आग से सुरक्षा, आग से सुरक्षा का सर्वेक्षण, व्याख्यान।

होज हाइड्रेंट, पम्प, झाग, झाग बनाने वाले उपकरण, सीढ़ी, छोटे औजार, होज फिटिंग, बचाव उपकरण और बचाव के तरीके के साथ प्रायोजिक अभ्यास।

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है)

(अग्नि शमन केंद्र अधिकारी कोर्स की विषय-वस्तु का व्यौरा)

(i) श्वसन यंत्र

लिखित—

कार्य सिद्धांतों के संक्षिप्त वर्णन के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकार; वे परिस्थितियां जिनमें प्रत्येक प्रकार का उपकरण प्रयुक्त किया जा सकता है; देखभाल और अनुरक्षण।

मौखिक और प्रयोग—

धुएं अथवा गैस भरे कमरे में उपकरण चढ़ाना और वास्तविक प्रयोग तथा मानक जांच

(ii) भवन निर्माण

लिखित—

भवनों के प्रकार; विभिन्न भवन निर्माण सामग्रियों का गुणधर्म और ऊष्मा तथा अग्नि में उनकी कार्यशीलता, दीवारों, छतों, फर्शों, सीढ़ियों, चूल्हों, चिमनियों, दरवाजों, खिड़कियों आदि के भिन्न-भिन्न निर्माण; आग के जोखिम के संबंध में उनके फायदे और नुकसान; दखल के संबंध में लिफ्ट, सीढ़ियां, आग से बचाव के उपकरण इत्यादि लगाना।

(iii) रासायनिक अग्नि शमक

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

रचनात्मक व्यौरे के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकार, प्रयोग की सीमा के साथ कार्य सिद्धांत, उनके फायदे और नुकसान; देखभाल और अनुरक्षण।

प्रचालनात्मक कार्य; डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज करने की प्रक्रिया तथा मानक जांच।

(iv) रसायन और ऊषा

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

रसायन शास्त्र के सिद्धांत; ऊषा और ज्वलन; बुनियादी रासायनिक प्रतिक्रिया और उससे जुड़े जोखिम; महत्वपूर्ण रासायनिक सम्मिश्रों से जुड़े जोखिम और अस्थिर द्रव्य।

ऊषा, ज्वलन निर्माण का प्रयोगशाला का अनुभव तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण निर्मित गैसों का मूल्यांकन।

(v) अनुशासन

लिखित—

अनुशासन के सामान्य नियम; अग्नि शमन सेवा में उनका महत्व और उन्हें किस प्रकार कायम रखा जा सकता है; अनुशासनिक मामले निपटाने की प्रक्रिया।

(vi) बिजली

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

बिजली के सिद्धांत और बिजली उत्पादन, वितरण के संबंध में आग लगने का जोखिम, घरेलू तथा औद्योगिक बिजली संबंधी खतरे।

स्टैटिक चार्ज, शार्ट सर्किट और रिसाव के कारण चिंगारी उत्पन्न होना।

(vii) बचाव सीढ़ी (वैकल्पिक, यदि इस्तेमाल में न हो)

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

निर्माण के संक्षिप्त वर्णन के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रकार और पुर्जों की उचित पहचान के साथ कार्य; देखभाल और अनुरक्षण।

फिसलने, क्षेपण, सेतुबंधन में मानक पूर्वाभ्यास, चढ़ने उतरने की सही विधि; मानक जांच

(viii) कवायद (स्थिति और कौशल)

मौखिक और प्रयोग—

अग्नि के विभिन्न उपकरणों और सीढ़ियों तथा संदेश कार्य का इस्तेमाल करके विभिन्न अग्नि शमन पूर्वाभ्यासों की स्थितियां पैदा करके अग्नि शमन के प्रयोग से संबंधी कवायदें; रात्रिकालीन कवायदें

(ix) अग्नि शमन सेवा प्रशासन

लिखित—

अग्नि शमन केंद्र का प्रशासन ; होज के अभिलेखों, घटनाओं, वाचरूम कार्य, फायर इंजिन और अन्य उपकरणों का रखरखाव; आग की घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करना; विशेष सेवाएं तथा आवधिक विवरणियां

(x) *प्रथमोपचार

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

सामान्य प्रक्रिया; आघात, धाव, जलन तथा दाह, रक्तस्राव, अस्थि-भंग आदि का उपचार। कृत्रिम श्वसन तथा मरहम-पट्टी बांधने की पद्धति।

उपचार पद्धतियों का प्रदर्शन; कृत्रिम श्वसन और मरहम-पट्टी बांधना

(xi) स्थिर अग्नि शमन संस्थापना

लिखित—

ड्राई राइजर्स, राइजिंग मैन्स, आंतरिक हाइड्रेंट, अग्नि रोधी दरवाजे और शटर की प्रणाली तथा उनका प्रयोग

(xii) फोम और फोम के उपकरण

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

फोम के प्रकार और उनकी संरचना तथा उनके गुणधर्म, विस्तार अनुपात, स्थिरता, फायदों और नुकसान के साथ यांत्रिक और रासायनिक फोम बनाने की पद्धतियां। फोम ब्रांच, मल्टिपल जेट और इनलाइन इंडक्टर, फोम पोरर तथा टावर इत्यादि जैसे फोम बनाने वाले उपकरण का निर्माण और कार्यकारी सिद्धांत; देखभाल और अनुरक्षण फोम के उपकरणों के साथ मानक ड्रिल और मानक जांच

(xiii) गैस संबंधी आग (वैकल्पिक)

लिखित—

विभिन्न गैसों के गुणधर्म, गैसों से संबंधित खतरे, घरेलू गैस की संस्थापनाओं के खतरे

(xiv) हुक सीढ़ी

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

रचनात्मक विशेषताएं; पुर्जों की पहचान; सीढ़ी तथा बेल्ट की देखभाल और अनुरक्षण

होज और बचाव लाइन के साथ चौथी मंजिल तक एक व्यक्ति और / दो व्यक्ति की मानक ड्रिल; मानक जांच

(xv) होज

लिखित—

डिलीवरी और सक्षण होज का निर्माण; प्रचालनात्मक दुरुपयोग; जांच की पद्धति; सफाई करना, सुखाना और मरम्मत करना, देखभाल और अनुरक्षण

| | | |
|---------------------------|------------------|--|
| | मौखिक और प्रयोग— | होज की मरम्मत और रफू करना, मानक जांच |
| (xvi) होज ड्रिल | मौखिक और प्रयोग— | तीन और चार व्यक्तियों की मानक ड्रिल, होज लाना ले जाना, दौड़ना, बिछाना और बनाना; जोड़ना, हटाना, बदलना और ऊपरी मंजिलों तक चढ़ना। |
| (xvii) होज फिटिंग | लिखित— | डिलीवरी तथा सक्षण कप्लिंगों का निर्माण, ब्राचेंस, नोजल, स्प्रे, डिफ्यूजर, स्ट्रीम फार्म और रिवाल्विंग ब्राचेंस, बेसमेंट, स्प्रे, कलेकिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग, सक्षण कलेक्शन हैड आदि; उनका प्रयोग, देखभाल और अनुरक्षण |
| | मौखिक और प्रयोग— | प्रत्येक प्रकार की होज फिटिंग का प्रदर्शन |
| (xviii) हाइड्रेंट | लिखित— | विभिन्न प्रकार के हाइड्रेंटों का निर्माण, आउटलेटों का आकार और आउटलेट फिटिंग; अग्नि शमन पम्पों को जोड़ने और अंकन की प्रणालियां और हाइड्रेंट पिट तथा कवर; देखभाल और अनुरक्षण |
| (xix) आंतरिक दहन इंजन | लिखित— | आंतरिक दहन इंजिन के सिद्धांत; इग्निशन प्रणाली के प्रकार; वैद्युत प्रणाली, ईंधन का प्रयोग, देखभाल और अनुरक्षण |
| | मौखिक और प्रयोग— | इंजिन के अलग किए गए पुर्जों में वास्तविक चल पुर्जों का प्रदर्शन |
| (xx) गांठ और रस्सी (लाइन) | लिखित— | लाइनों के प्रकार और संरचना; कार्यशील वजन, ब्रेकिंग वजन और टेस्टिंग वजन, विभिन्न गांठें और उनका प्रयोग, देखभाल और अनुरक्षण |
| | मौखिक और प्रयोग— | विभिन्न गांठें बांधना; रस्सियों को गूंथना और लचीला करना; मानक जांच। |
| (xxi) सीढ़ियां | लिखित— | निर्माण के संक्षिप्त वर्णन के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकार और पुर्जों की उचित पहचान के साथ कार्य; देखभाल और अनुरक्षण |

| | | |
|---|------------------|---|
| | मौखिक और प्रयोग— | फिसलन और क्षेपण में मानक ड्रिल; चढ़ने और उतरने की सही पद्धतियां; मानक जांच |
| (xxii) शारीरिक और स्वचाल ड्रिल | मौखिक और प्रयोग— | उचित अनुक्रम में तथा कमान के शब्द के साथ स्वचाल तथा परेडों का संचालन करना परेड और मार्च पास्ट के प्रस्तुतीकरण की पद्धतियां |
| (xxiii) पम्प | लिखित— | निर्माण का ब्यौरा और कार्य सिद्धांतों के साथ प्रयुक्त प्रकार; प्राइमर के प्रकार और प्राइमर लगाने की पद्धति; जांच और खराबी खोजना; देखभाल और अनुरक्षण विभिन्न प्रकार के प्रचालन पम्पों और प्राइमिंग प्रणालियों का हाइड्रेंटों तथा खुली जलापूर्ति से प्रदर्शन; मानक जांच |
| (xxiv) पम्प ड्रिल | मौखिक और प्रयोग— | होज; होज रील्स; फोम बनाने वाले उपकरणों और ऊपरी मंजिल सहित विभिन्न स्थानों पर मानक ड्रिल करना; दृष्टि के संकेत और सीटी के संकेत |
| (xxv) योजना वाचन (वैकल्पिक) | लिखित— | योजना वाचन का महत्व; प्रयोग में आने वाले सामान्य चिह्नों के स्पष्टीकरण के साथ वाचन (पढ़ने) की पद्धतियां |
| (xxvi) व्यावहारिक अग्नि शमन कर्मी कौशल | लिखित— | फायरमैन की विशेषता; अग्नि शमन केंद्र तथा अग्नि के स्थान पर उसके महत्वपूर्ण कर्तव्य प्रवेश, बचाव, कमरे में खोज करने, अंधेरे और गाढ़े धुएँ में कार्य करने की पद्धतियां, लाइन संकेत |
| (xxvii) बचाव ड्रिल | मौखिक और प्रयोग— | फायरमैन के जीवन संबंधी तथा रस्सियों (लाइन) बचावों के साथ बेहोश व्यक्ति को उठाना, नीचे लाना और ले जाना |
| (xxviii) प्रशीतन (वैकल्पिक) | लिखित— | प्रशीतन के सिद्धांत; विभिन्न प्रशीतन कारकों के गुणधर्म और खतरे तथा रिसाव होने पर की जाने वाली कार्रवाई |

(xxix) पुनरुज्जीवन

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

(xxx) ग्रामीण आग

लिखित—

पुनरुज्जीवन सेटों का वर्णन; कार्य करने की पद्धति और प्रयुक्ति किए जाने के समय की परिस्थितियां; देखभाल और अनुरक्षण

पुनरुज्जीवन सेट के प्रयोग का प्रदर्शन

(xxxi) संकट से उबारना (साल्वेज)

लिखित—

मौखिक और प्रायोगिक—

(xxxii) छोटे औजार

लिखित—

मौखिक और प्रायोगिक—

(xxxiii) विशेष उपकरण

लिखित—

मौखिक और प्रायोगिक—

(xxxiv) विशेष सेवाएं

लिखित—

संकट से उबारने का अर्थ; उबार से किस प्रकार आग से हुई हानि को कम किया जा सकता है; उबार के उपकरण और उनका प्रयोग

उबार पत्रकों का प्रदर्शन, आंतरिक और बाह्य शूट, निकालना और साफ करना

ब्रेकिंग हथियारों के प्रकार और प्रयोग, डोअर ओपनर, परस्यूएडर, बोल्ट क्रापर, रेस्क्यू गियर, जैक तथा पुली ब्लॉक्स, कुल्हाड़ी (एक्सेज), प्रिवेटर, रैक्स, सॉ आदि।

छोटे औजारों के प्रचालन का प्रदर्शन

ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन और कार्य सिद्धांत, ब्लॉअर तथा एक्जॉस्टर मशीन, पोर्टबल लाइटिंग सेट आदि; उनके प्रयोग और बरती जाने वाली सावधानियां विशेष औजारों का प्रचालन

सीवर, लिफ्ट, ध्वस्त भवन में फंसे और डूबने वाले व्यक्ति का बचाव; जानवरों का बचाव; प्रयुक्ति की जाने वाली पद्धतियां और बरती जाने वाली सावधानियां

(xxxv) स्प्रिंकलर, ड्रेंचर तथा कार्बनडाइआक्साइड

संस्थापनाएं

लिखित—

स्प्रिंकलर्स ड्रेंचर्स, कार्बनडाइआक्साइड, मिथेल ब्रोमाइड आदि की गीली, सूखी तथा ‘वैकल्पिक’ प्रणाली का संक्षिप्त विवरण और कार्य सिद्धांत; संस्थापना, स्थान निर्धारण की पद्धति और प्रयोग, देखभाल और अनुरक्षण

(xxxvi) टर्न टेबल सीढ़िया (वैकल्पिक, यदि प्रयुक्त न हो)

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

टर्न टेबल सीढ़ियों का वर्णन और कार्य सिद्धांत, उनके लाभ, इन्हें किस परिस्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है और प्रयोग में हो तो बरती जाने वाली सावधानियां; देखभाल और अनुरक्षण

विभिन्न वजनों, असमतल सतहों और मौसमी स्थितियों के साथ सीढ़ी के प्रचालन का प्रदर्शन, मानक जांच

(xxxvii) वाचरूम प्रक्रिया

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

वाचरूम के कार्य; अग्नि अलार्म और टेलीफोन प्रणाली के साथ कार्य करने की पद्धति; आसपास की अग्नि और नियंत्रण कक्ष संदेश; एकत्रीकरण प्रक्रिया; अभिलेखों का रखरखाव आदि।

संदेश प्राप्त करने और भेजने का प्रदर्शन, लॉग कीपिंग और प्रमुख घटनाओं में अग्नि शमन बल का एकत्रीकरण

(xxxviii) जल संबंधी समस्या

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

दबाव भरे जल के संबंध में दबाव, हैड, बहने की गति, क्षमता और धर्षण हानि का अध्ययन; पम्पों और विभिन्न नोजलों से जल बहाव का दबाव

परिवर्तित दबावों पर विभिन्न नोजलों से जल बहाव का प्रदर्शन, जेट और स्प्रे का प्रभाव तथा फेंकने की लम्बाई

(xxxix) जलापूर्ति

लिखित—

मौखिक और प्रयोग—

'सीरिज' और 'कलेक्टर पम्पिंग' के सिद्धांत; रिले को व्यवस्था करने की पद्धति

'सीरिज' और 'कलेक्टर' पम्पिंग का प्रदर्शन

(xi) व्याख्यान (वैकल्पिक – अनुदेशकों हेतु)

लिखित—

अग्नि शमन, अग्नि की रोकथाम आदि जैसे विभिन्न विषयों पर अनुदेश देने और प्रशिक्षण आयोजित करने की पद्धतियां

(xii) विशेष जोखिम

समूह ।

भांडागारण (वेयरहाउस) में खतरनाक

भंडारण

लिखित—

खतरनाक वस्तुओं के लिए भांडागारण और भंडारण शेड तथा अग्नि की जोखिम की दृष्टि से उनके निर्माण, भंडारण की पद्धतियां और बरती जाने वाली सावधानियां

समूह ॥

नौका और नौकाघाट के जोखिम

लिखित—

बहते वस्तु की नॉटिकल स्थिरता के सिद्धांत और सुरक्षा सीमाएं; नौका में आग लगने के कारण तथा अग्नि शमन की पद्धतियां

समूह ॥॥

वायुयान में लगने वाली आग और

बचाव

लिखित—

वायुयानों का निर्माण, स्थान, आपातकालीन निकास, ईंधन, बैटरी, आदि वायुयान में आग लगने के आम कारण; बचाव और अग्नि शमन की पद्धतियां

* “मानव शरीर की संरचना और कार्य”, “एस्फिक्सिया” और “ट्राइएज”
‘जख्मी व्यक्तियों की देखभाल और संवहन’ जोड़ा जाएगा।

अनुबंध – 9

प्रभागीय अधिकारी कोर्स के लिए पाद्य–विवरण (सिलेबस)

क्षमता : 20 सीटें

अवधि : 22 सप्ताह (जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों का 2 सप्ताहों का दौरा शामिल है क्योंकि भारत में कहीं भी स्थित अधिकृत अग्नि शमन सेवा से संबद्ध प्रशिक्षु अधिकारी को औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा करने की सुविधा मिल सकती है)।

यह कोर्स उच्च स्तरीय प्रबंधन हेतु तैयार किया गया है।

उद्देश्य : देश की अग्नि शमन सेवाओं के पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारियों के लिए अग्नि शमन इंजीनियरी तथा अग्नि शमन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में उन्नत स्तर का प्रशिक्षण देना, जिससे वे मध्यम प्रबंधन संवर्ग अथवा अपर प्रभागीय अथवा प्रभागीय अग्नि शमन अधिकारी के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें और कारगरता के साथ अग्नि शमन सेवा चलाने में इस तरीके से भी सक्षम हो सकें कि आग और विभिन्न आपदाओं से जीवन और राष्ट्र की संपत्ति बचाई जा सके।

पात्रता : आयु : 50 वर्ष से कम, केवल प्रायोजित अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आयु–सीमा में छूट नहीं)।

शैक्षिक और तकनीकी योग्यता :

- (क) मैट्रिक अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए।
- (ख) राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए और किसी प्रतिष्ठित अग्नि शमन सेवा में अग्नि शमन केंद्र अधिकारी अथवा समतुल्य के तौर पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा प्रदान की गई हो।

अथवा

बुनियादी शैक्षिक योग्यता के रूप में मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थी को किसी प्रतिष्ठित तथा अनुमोदित अग्नि शमन सेवा का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष के अनुभव में से कम से कम 5 वर्ष अग्नि शमन केंद्र अधिकारी अथवा समतुल्य पद के रूप में कार्य किया हो तथा शेष अवधि प्रमुख फायरमैन / उप–अधिकारी अथवा समतुल्य पद में कार्य किया गया हो।

अथवा

बुनियादी शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थी को किसी प्रतिष्ठित तथा अनुमोदित अग्नि शमन सेवा का 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 8 वर्ष के अनुभव में से कम से कम 4 वर्ष अग्नि शमन केंद्र अधिकारी अथवा समतुल्य पद का कार्य किया हो तथा शेष अवधि प्रमुख फायरमैन/उप अधिकारी अथवा समतुल्य पद में कार्य किया गया हो।

(ग) उसके पास भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

शारीरिक मानक :

कड़े प्रशिक्षण हेतु शारीरिक रूप से उपयुक्त (फिट) हो।

लम्बाई : 165 सेंटीमीटर से कम न हो।

वजन : 50 किलोग्राम से कम न हो।

छाती : सामान्य रूप से 81 सेंटीमीटर। फुलाने पर 86 सेंटीमीटर।

कोर्स की विषय-वस्तु :

वातानुकूलन, तापन संवातन और प्रणाली, वायुयान बचाव तथा हवाई पत्तन संरक्षा, उपकरण डिजाइन, स्वचालित अग्नि खोजी प्रणाली, भवन निर्माण और संरचनात्मक अग्नि संरक्षा, अदालत का कानून, अग्नि की रासायनिक प्रक्रिया, संचार तथा संघटन और कम्प्यूटर उपकरण, विस्फोटक तथा विकिरण सामग्री, बिजली तथा उसकी आग संबंधी जोखिमें, अग्नि संरक्षा प्रतिष्ठापन, विभिन्न जोखिमों का अग्नि संरक्षा संबंधी सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों एवं सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थानों का पर्यवेक्षण, धूल तथा गैस विस्फोट और गैस खोजी प्रणाली, जल इंजीनियरी (हाइड्रॉलिक्स), आग तथा आगजनी की जांच, अग्नि शमन सेवा का प्रबंधन, कमान और नियंत्रण, यांत्रिकी, योजना बनाना, खतरनाक सामग्रियों का भंडारण और परिवहन, अनुदेश की पद्धति, अग्नि शमन, उपकरणों एवं उपस्करों तथा विशेष अग्नि संबंधी मूल्यांकन विधि।

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय अग्नि शमन महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 10

चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के कोर्स के लिए पाठ्य–विवरण

उद्देश्य : आपदा के पश्चात के प्रथमोपचार और चिकित्सा के चरणों के दौरान की जाने वाली प्रतिक्रिया संबंधी कार्रवाई में विभिन्न संगठनों के प्रथम प्रतिक्रियादाताओं को प्रशिक्षित करना

अवधि : 20 कार्य दिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1. | चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाता (एम. एफ. आर.) एम. एफ. आर. की व्याख्या, संगठनात्मक संरचना, एम. एफ. आर. के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, चिकित्सा स्वास्थ्य की परिभाषा, भारत में सेवा योजना, रोगी, निर्धारण और अस्पताल—पूर्व उपचार के दौरान प्रयुक्त किए गए वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण। | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | घटना सहायता मांगे जाने पर प्राप्त की जाने वाली सूचना, मदद की प्रतिक्रिया के लिए विचार किए जाने वाले कारक, स्थिति के निर्धारण के लिए उठाए जाने वाले कदम, आरंभिक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना। घटनास्थल को सुरक्षित करने के उपाय, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पीड़ित तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार। | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | मानव शरीर और बुनियादी प्रणाली शरीर रचना का निरूपण करना, जर्ख्म के स्थान की पहचान और वर्णन, शरीर के पांच क्षेत्रों की पहचान करना, शरीर गुहिका और उसमें स्थित अंग, उदरीय क्वार्डेंट (वृत्तपाद), प्रत्येक वृत्तपाद में स्थित अंगों की पहचान करना। | 2 | 1 | . | 3 |
| 4. | रोगी का निर्धारण घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रियादाता द्वारा जाने वाली प्रक्रियाएं, रोगी निर्धारण के छह चरण, आरंभिक निर्धारण के छह चरण, रोगी की शारीरिक जांच पूरी करना। | 1 | 1 | 2 | 4 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 5. | घाव से रक्तस्राव और आघात बाह्य रक्तस्राव नियंत्रित करने की पद्धतियां, आघात के चिह्न और लक्षण, आघात का अस्पताल-पूर्व उपचार, आंतरिक रक्तस्राव का अस्पताल-पूर्व उपचार, घाव (खुले अथवा बंद घाव) के उपचार के उपाय, आंख, कान, नाक और मुँह को लगी चोटें, उदर तथा जननांग को लगी चोटें का अस्पताल-पूर्व उपचार, रक्तस्राव नियंत्रित करने के लिए मरहम-पट्टी का प्रयोग। निम्नलिखित हेतु अस्पताल-पूर्व उपचार : (क) कान अथवा गाल में चली गई वस्तु (ख) गर्दन की चोटें से रक्तस्राव (ग) विदारण (घ) अंगच्छेदन | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 6. | अस्थिभंग, हड्डी के जोड़ उखड़ना (संधि-च्युति) और मोच आना : खुले और बंद अस्थिभंग के चिह्नों की परिभाषा तथा अस्थिभंग के लक्षण, संधि-च्युति, मोच तथा खिंचाव की परिभाषा, अस्थिभंग, मोच और संधि-च्युति से आयी गतिहीनता के कारण, अस्थिभंग, कूलहों और श्रोणि के सिरों पर मोच का अस्पताल-पूर्व उपचार, खोपड़ी का अस्थिभंग, मेरुदंडीय चोट और छाती की चोट के चिह्न और लक्षण, और उनका अस्पताल-पूर्व उपचार। | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | जलन और दाह आग से तीन प्रकार के जलने के उनकी गहनता के अनुसार चिह्न और लक्षण, कुल शरीर जलन क्षेत्र के निर्धारण के नौ नियम, रासायनिक तथा बिजली से जलने का अस्पताल-पूर्व उपचार। | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8. | विषबाधा खिलाया गया विष, सूई द्वारा दिया गया विष, सांस द्वारा शरीर में पहुंचे विष के चिह्न और लक्षण, अवशोषित विष और उनका अस्पताल-पूर्व उपचार, शराब से हुई विषबाधा के चिह्न और लक्षण तथा अस्पताल-पूर्व चिकित्सा। | 2 | . | . | 2 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 9. | कृत्रिम श्वसन, सी. पी. आर. और एफ. बी. ए. ओ. कृत्रिम श्वसन की पद्धतियां, श्वासनली में बाहरी वस्तु से अवरोध की पहचान करना, एफ. बी. ए. ओ. का प्रबंधन, उदर दबाव, छाती में दबाव, सी. पी. आर विधि। | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 10. | घटना स्थल से पीड़ितों को हटाने की आपातकालीन पद्धतियां मरीज को हटाने की भिन्न-भिन्न आपातकालीन पद्धतियां, बैक बोर्ड, उन स्थितियों जिनमें पीड़ितों को आपातकाल में हटाना जरूरी हो, का प्रयोग करके मरीज को गतिहीन करने की विधियां। | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 11. | ट्राइज ट्राइज की उनके रंगों के साथ श्रेणियां, ट्राइज की स्टार्ट प्रणाली का बेंचमार्क | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12. | हताहतों का परिवहन और स्ट्रेचर कवायद | ½ | 1 | 2½ | 4 |
| 13. | त्रिकोणीय और लपेटने वाली मरहम पटिटयों का प्रयोग और अभ्यास | ½ | 1½ | 3 | 4 |
| 14. | कोर्स परिचय | 2 | . | . | 2 |
| 15. | औजारों, उपकरणों और सहायक उपकरणों का परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 16. | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 17. | अंतिम अभ्यास से पूर्व और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 18. | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 19. | कोर्स की शुरुआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 20. | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 21. | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ : | 39 | 25½ | 55 | 120 |

अनुबंध – 11

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए बुनियादी आपदा कार्रवाई कोर्स के लिए पाठ्य-विवरण

उद्देश्य : सहभागियों को बुनियादी आपदा कार्रवाई तंत्र में प्रशिक्षित करना ताकि वे आपातिक स्थिति में प्रथम कार्रवाई संबंधी गतिविधियां कर सकें।

अवधि : 40 कार्यदिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1. | परिभाषा, आपदाओं के प्रकार, आपदाओं का सामान्य प्रभाव, संबंधित विशेषताएं, आपदाओं की संबंधित समस्याएं, प्रति उपाय और कार्रवाई उपायों का समेकन। | 4 | . | . | 4 |
| 2. | केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की मौजूदा एजेंसियों के साथ आपदा कार्रवाई कार्यों का समन्वय। आपदा प्रबंधन में नवीनतम रुझान। | 4 | . | . | 4 |
| 3. | आपदा कार्रवाई प्रचालनों में अग्नि शमन सेवा, पुलिस, अर्द्ध सैनिक, रक्षा सेवाओं, होम गार्ड్, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और एन. जी. ओ. आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के रूप में भूमिका। | 4 | . | . | 4 |
| 4. | संगठन संरचना, आपदा प्रबंधन कार्रवाई की भूमिका और कार्य, खोज और बचाव, बाढ़ से बचाव, प्रथमोपचार और चिकित्सा देखभाल, जन संहार के शस्त्र, रासायनिक आपातकाल, अग्नि शमन, संचार, संभार और दस्तावेजीकरण आदि जैसे विभिन्न कार्यों की शर्तें। | 6 | . | . | 6 |
| 5. | *घटना कमान प्रणाली (आई. सी. एस.), परिभाषा, आई. सी. एस. का संगठन, घटना आदेश चौकी, प्रचालन का कार्यक्षेत्र | 4 | . | . | 4 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 6. | आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण, समन्वय, कार्रवाई और राहत प्रचालन। आपदा प्रभावित क्षेत्र में नियंत्रण कक्ष और संचार प्रणाली का कार्य प्रबंधन | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7. | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं की किट/उपकरण : कार्मिक सुरक्षा उपकरण और टीम किट आदि। | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | प्रथम प्रतिक्रियादाताओं हेतु संचार : तार संचार, रेडियो संचार, उपग्रह संचार, हैम रेडियो आदि जैसे संचार उपकरणों का इस्तेमाल और प्रचालन | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9. | **प्रथमोपचार और चिकित्सा देखभाल : शरीर विज्ञान, रक्तसंचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, अस्थिभंग, घाव, आघात, मरहम-पट्टी और हताहतों का परिवहन | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 10. | बचाव तकनीक : गांठ और बंधन, बचाव की आपातिक पद्धतियां, बचाव के उपकरण, सीढ़ियां, चरखी, ब्लॉक टैकल, ऊंचाई से बचाव | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 11. | रासायनिक आपातस्थिति से निपटने की विधियां : रसायनों का वर्गीकरण और पहचान, रासायनिक खतरों से परिचय, रसायनों से संबंधित खतरे और उनसे निपटाना | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 12. | अग्नि शमन की तकनीकें : ज्वलनता का सिद्धांत, आग के विभिन्न प्रकार, अग्नि शामक और अनुप्रयोग क्षेत्र, बी. ए. सेट, पम्प और पम्प प्रचालन, अग्नि शमन उपकरणों और उपस्करणों, झाग तथा झाग निर्माण करने वाले उपकरणों से परिचय, आग का पता लगाने और बुझाने की प्रणाली से परिचय | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13. | जन संहारण शस्त्रों (डब्ल्यू. एम. डी.) के आपातकाल से निपटना : डब्ल्यू. एम. डी. से परिचय, डब्ल्यू. एम. डी. घटनाओं से सुरक्षा उपाय, डब्ल्यू. एम. डी. कारकों के प्रकार और विशेषताएं | 6 | 6 | 18 | 30 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 14. | बाढ़ से बचाव : बाढ़ और उसके कारण, नाव के नाम का अंग, नदी संबंधी नियम और कमान संबंधी शब्द, बाढ़ से बचाव के उपकरण | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 15. | कानून तथा विधि-निर्माण : भारत और विदेश में कानून तथा विधि-निर्माण | 2 | . | . | 2 |
| 16. | कोर्स परिचय | 2 | . | . | 2 |
| 17. | औजारों, उपकरणों, सहायक उपकरणों से परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 18. | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 19. | पूर्व अंतिम अभ्यास और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 20. | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 21. | कोर्स की शुरूआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 22. | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 23. | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ | 80 | 47 | 113 | 240 |

* घटना कमान प्रणाली को घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई.आर.एस.) पढ़ा जाएगा।

** “जलन और दाह” तथा कृत्रिम श्वसन को शामिल किया जाएगा।

अनुबंध – 12

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खोज और बचाव का पाठ्य–विवरण

उद्देश्य : सहभागियों को खोज और बचाव तकनीक में प्रशिक्षित करना ताकि वे आपातकालीन स्थिति में प्रथम कार्रवाई क्रियाकलाप करने में सक्षम हो सकें।

अवधि : 20 कार्यदिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1. | आपदा और संबंधित समस्याएं | 1 | . | . | 1 |
| 2. | खोज और बचाव टीम की संरचना और कार्य | 1 | . | . | 1 |
| 3. | प्रचालनात्मक सुरक्षा | . | 2 | . | 2 |
| 4. | गांठों और बंधनों की उपयोगिता | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5. | निर्माण सामग्री, संरचना और क्षति के प्रकार | . | 2 | . | 2 |
| 6. | बचाव कार्य में सीढ़ी का प्रयोग | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | खोज और स्थान निर्धारण तकनीक | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8. | संरचनात्मक ट्राइज और अंकन प्रणाली | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 9. | हताहतों को संभालना और उनका परिवहन | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 10. | डेरिक, शिअर्स और जिन | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11. | तट प्रकार, निर्माण और सुरक्षा एहतियात | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12. | विभिन्न प्रकार के रस्सी के पुल, मोनो लाइन और कमांडो पुल तैयार करना | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13. | रस्सी के कुंडे (होल्ड फास्ट) और लंगरगाह, उनके प्रकार और प्रयोग | 1 | 1 | 3 | 5 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 14. | बचाव कार्य में सीढ़ी का प्रयोग और ऊंचे भवनों से बचाव कार्य, सीढ़ी और कब्जा पद्धति सीखना, रस्सियों पर स्ट्रेचर लाना, एक सीढ़ी या दो सीढ़ियों पर स्ट्रेचर को नीचे लाना, रिक्त स्थानों से बचाव की दो/चार बिन्दु पद्धति, बचाव की उड़न पद्धति (फ्लाइंग फेक्स मैथड), बचाव की प्रपात पद्धति | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 15. | बी. ए. सेट का प्रयोग | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16. | ऑक्सी-एसीटीलीन सेट का प्रयोग | ½ | ½ | 1 | 2 |
| 17. | चरखी खंडों और टैकल का प्रयोग | ½ | ½ | 1 | 2 |
| 18. | बचाव कार्यनीति और तकनीक | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19. | वजन उठाना और उसको स्थिर रखना | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20. | लिफ्ट, सीवर, कुंआ तथा क्षतिग्रस्त भवन में फंसे व्यक्ति के बचाव की पद्धति | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21. | कोर्स परिचय | 2 | .. | .. | 2 |
| 22. | औजारों, उपकरणों, उपस्करों का परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 23. | यूनिट परीक्षा | 3 | .. | .. | 3 |
| 24. | पूर्व अंतिम अभ्यास और वार्तालाप | .. | .. | 3 | 3 |
| 25. | अंतिम अभ्यास | .. | .. | 3 | 3 |
| 26. | कोर्स की शुरूआत और समाप्ति | 2 | .. | .. | 2 |
| 27. | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | .. | .. | 10 |
| 28. | फिल्में | .. | 5 | .. | 5 |
| | जोड़ : | 39 | 24 | 57 | 120 |

अनुबंध – 13

उन्नत खोज और बचाव कोर्स का पाठ्य–विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

आपदा के दौरान अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके प्रशिक्षुओं और स्वयंसेवकों को खोज और बचाव (एस. ए. आर.) की उन्नत तकनीकियों में प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

प्रशिक्षण पूरा होने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- खोज और बचाव की संकल्पना समझना।
- आधुनिक एस. ए. आर. उपकरणों का प्रयोग।
- एस. ए. आर. में प्रशिक्षण का आयोजन।

कोर्स की विषय वस्तु

- खोज और बचाव के सिद्धांत।
- खोज और स्थान निर्धारण तकनीक।
- बचाव कार्यनीति और तकनीक।
- रस्सी द्वारा बचाव।
- औजार उपकरण और सहायक उपकरण।
- संरचनात्मक ट्राइज और अंकन।
- प्रचालनात्मक सुरक्षा।
- समुद्र तट के सिद्धांत।
- मलबा हटाना।
- अवरुद्ध स्थान से बचाव।
- कार्यसाधक (इम्प्रोवाइज्ड) बचाव उपकरण।

सहभागियों का स्तर

यह कोर्स नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षुओं, होम गार्ड प्लाटून कमांडरों, अर्धसैनिक बलों (हवलदार और ऊपर), सशस्त्र बलों के जे. सी. ओ. और उद्योगों के सुरक्षा कर्मियों हेतु तैयार किया गया है।

आयु सीमा : 45 वर्ष से कम

अवधि : 3 सप्ताह

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक रक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है)

अनुबंध – 14

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए अग्नि शमन कोर्स का पाठ्य-विवरण

उद्देश्य : किसी आपातकालीन स्थिति में प्रथम कार्रवाई संबंधी गतिविधियों में अग्नि शमन प्रचालनों में सहभागियों को प्रशिक्षित करना।

अवधि : 20 कार्यदिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1. | दहन का सिद्धांत : दहन दर नियंत्रित करने वाले कारक, अनायास ज्वलन, ऊषा, ऊर्जा, उसकी विशेषताएं, रेखीय गुणांक / विस्तार, ऊषा का पारेषण, प्रच्छन्न ऊषा, ज्वलनशील द्रव्य, विशिष्ट घनत्व, बाष्प घनत्व, ज्वलन की सीमाएं, ज्वलनांक और ज्वलन की परिभाषाएं | 2 | . | 1 | 2 |
| 2. | भवन निर्माण : शब्दावली की परिभाषा, भवन सामग्रियां, आग में उनकी स्वाभाविक क्रिया, दीवार, सीढ़ी, ढहने के मामले में छतों की स्थिरता का प्रभाव डालने वाले कारक, भवन ढहने के कारण और लक्षण, विभिन्न वस्तुओं अर्थात् दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, छत, सीढ़ी, बीम आदि का अध्ययन। प्रतिकूल मौसम के खतरे (एक्सपोजर हैजार्डस) और उन्हें कम करने की पद्धतियां | 3 | . | 3 | |
| 3 | अग्नि शामक और उनका अनुप्रयोग : | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | बिजली – सामान्य शब्दावली, गुणधर्मों की परिभाषा (प्रोपर्टीज), बिजली का प्रयोग और निर्माण, ट्रांसफार्मर, मोटर, स्टैटिक बिजली, शार्ट सर्किट का प्रयोग और साधारण खतरे और उनकी रोकथाम | 1 | 1 | – | 2 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 5 | होज : डिलीवरी और सक्षान होज के प्रकार, निर्माण, अग्नि शमन होज की विशेषताएं, सड़न के कारण और निवारक भंडारण, प्रचालनात्मक दुरुपयोग, डिलीवरी और सक्षान होज और होज बाइंडिंग की धुलाई, सफाई, जांच और मरम्मत होज ड्रिल : होज को कैसे बिछाएं और बनाएं, जोड़ना बदलना, ऊपरी फर्श से हटाना और बढ़ाना | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | जल उत्सर्जक (हाइड्रेंट) : भूमिगत अग्नि जल उत्सर्जकों की आवश्यक जरूरत, स्लूस वैल्व, स्कू डाऊन और पिलर हाइड्रेंट, गीयरों का विस्तृत अध्ययन, प्रचालन तथा पर्यवेक्षण और हाइड्रेंट ड्रिल की जांच : तीन और चार व्यक्ति की ड्रिल | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | होज फिटिंग : होज फिटिंग आदि का विस्तृत वर्णन और अध्ययन, कपलिंग, ब्रांच, नोजल; ब्रांचों, नोजलों, स्टैंड पम्प, संग्रहण शीर्ष के विशेष प्रकार और विच्छेदन तथा अनुकूल एवं विविध होज फिटिंग | 1 | 1 | . | 2 |
| 8. | गांठे एवं रस्सी : रस्सियों के प्रकार, उनका प्रयोग, देखभाल और अनुरक्षण। अग्नि शमन और बचाव प्रचालन में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली महत्वपूर्ण गांठों, बंधनों, जोड़ों तथा सुतली लपेटकर बांधने का प्रदर्शन और प्रयोग | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | झाग और झाग निर्माण करने वाले उपकरण : उपकरणों के प्रकार और विवरण, विभिन्न झाग ब्रांचों और इंडक्टरों का प्रदर्शन | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | सीढ़ी (विस्तार) : विस्तार सीढ़ी, कूदना (पिचिंग), चढ़ाई, पैरों से जकड़ना (लेग-लॉक) और भुजा के द्वारा जकड़ना (आर्म होल्ड) संबंधी संकेतों का विवरण और निर्माण, देखभाल और अनुरक्षण, मानक जांच, हताहतों को सीढ़ी से नीचे लाने वाले चार व्यक्तियों की कवायद। बचाव अभ्यास, उठाना, नीचे लाना, मूर्छ्छित व्यक्ति को लाना, फायरमैन लिफ्ट द्वारा ऊँचाई से बचाव कार्य | 1 | 1 | 3 | 5 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 11 | पम्प : पम्पों के प्रकार, लाभ और हानि, अनुरक्षण, मानक जांच तथा प्रायोगिक पम्प प्रचालन। छह व्यक्ति वाला ट्रेलर वाहन और मोटर पम्प संबंधी अभ्यास। जल छिड़काव (वाटर रिले) : प्रकार, लाभ और हानियां। आग बुझाने हेतु जल के प्रचालन के महत्वपूर्ण बिन्दु, होज बिछाने का प्रदर्शन और प्रयोग | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | श्वसन उपकरण : प्रकार, उपकरणों के लाभ और हानियां, प्रचालनात्मक प्रयोग, देखभाल, अनुरक्षण और उनकी जांच | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 13 | स्थिर अग्नि शमन संस्थापन : संस्थापन के नियम, आंतरिक और बाह्य जल उत्सर्जक (हाइड्रेंट), मुख्य लाइन, स्प्रिंकलर और ड्रेंचर, डिटेक्टर आदि | 2 | 2 | . | 4 |
| 14 | हवाई जहाज में लगी अग्नि, खान में लगी अग्नि, जंगल में लगी अग्नि, तेलों में लगी अग्नि, जहाज में लगी अग्नि, ऊंचे भवन, रेलवे की अग्नि, गैस की अग्नि आदि से परिचय | 18 | . | . | 18 |
| 15 | कोर्स की प्रस्तावना | 2 | . | . | 2 |
| 16 | औजारों, उपकरणों ओर सहायक उपकरणों का परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 17 | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 18 | अंतिम अभ्यास से पूर्व और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 19 | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 20 | कोर्स की शुरूआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 21 | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 22 | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ | 55 | 23 | 42 | 120 |

अनुबंध – 15

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खतरनाक सामान संबंधित आपातस्थिति का पाठ्य–विवरण

उद्देश्य : सहभागियों को खतरनाक सामान संबंधित आपातस्थिति से निपटने की तकनीकों का प्रशिक्षण देना ताकि वे आपातस्थिति में प्रथम कार्रवाई संबंधी गतिविधि करने में सक्षम हों।

अवधि : 20 कार्य दिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

पाठ्य–विवरण

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1. | रसायन और उसके भौतिक गुण— वस्तु का स्वरूप, तत्त्व और यौगिक : परिभाषा – गलना, उबलना, हिमांक : वाष्प दबाव, परिष्कार, घनत्व, वाष्प घनत्व, विशिष्ट घनत्व, संक्षारक रासायनिक क्रिया (बाह्य ऊष्मीय और आंतरिक ऊष्मीय), ज्वलनांक, स्वजलन तापमान, ज्वलनीय परिधि, शमन के विषाक्त उत्पाद/खतरनाक सामान की परिभाषा : आक्सीकारकों, ऑर्गेनिक परआक्साइड, कम्प्रेस गैस, ज्वलनशील ठोस वस्तुएं और क्रायोजीनों की घुलनशीलता। | 2 | 2 | | 4 |
| 2. | खतरनाक रसायनों का वर्गीकरण – विस्फोटक और ज्वलनशील, कृषि जन्य, रसायन, आक्सीडाइजर, क्रायोजीन आदि | 2 | . | . | 2 |
| 3. | खतरनाक सामान की विशेषताएं : रासायनिक, जैविक, विकिरण, अग्नि विस्फोटक, विषाक्त, संक्षारक खतरे, रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न खतरे। | 3 | 3 | . | 6 |
| 4. | विष शास्त्र के सिद्धांत : जोखिम—अंतः श्वसन का मार्ग अवशोषण, अंतर्ग्रहण तथा इजेक्शन, मात्रा— प्रतिक्रिया संबंध (मात्रा पद्धति, मात्रा वक्ररेखा (कर्व)): विषाक्तता को प्रभावित करने वाले कारक – अवधि और अंतराल, विषबाधा | 3 | . | . | 3 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| | का मार्ग, अंतर जीव विचलन, अंतर जीव विचलन—आयु और वयस्कता, लिंग और हार्मोन की प्रारिथति, आनुवंशिक बनावट और स्वास्थ्य की स्थिति। पर्यावरणीय कारक तथा कार्रवाई पर प्रभाव डालने वाले रासायनिक मिश्रण। | | | | |
| 5. | जोखिम दिशानिर्देश : प्रकार टी. एल. वी., टी. डब्ल्यू. ए., एस. टी. ई. एल. (स्टेल), सीलिंग, चरम चर्म अंकनपद्धति, आई. डी. एल. एच., मिश्रण : पर्यावरण में रसायनों का फैलाव – बुनियादी फैलाव पैटर्न (वायु जनित संदूषक, सतह जल, मृदा और गढ़े हुए पत्थर, भूमिगत जल), पर्यावरण में रसायन का प्रभाव – अवमिश्रण और अपकर्ष : पर्यावरणीय वियोजन, रासायनिक परिवहन, रासायनिक फैलाव पर मौसम–कारकीय प्रभाव। | 3 | . | . | 3 |
| 6. | खतरनाक रासायनिक पहचान करने वाले उपकरणों के खतरनाक सामान का अभिज्ञान और पहचान तथा कंटेनरों की पहचान। | 2 | 2 | . | 4 |
| 7. | खतरनाक रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रभाव : श्वसन मार्ग, त्वचा, आंख, स्नायु तंत्र (नर्वस सिस्टम), लिवर, किडनी, खून, जनन प्रणाली, विष प्रभाव के प्रकार (टैराटोजेनिक, म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक)। | 3 | . | . | 3 |
| 8. | खतरनाक रसायनों का चिकित्सीय हस्तक्षेप, ऊष्मा संबंधी जोखिम, प्रचंड ऐठन, थकान और ऊष्माधात, चिह्न, लक्षण और आपातकालीन उपचार। | 2 | . | . | 2 |
| 9. | वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परिचय – श्वसन तंत्र सुरक्षा उपकरण और उसके प्रकार : वायु शुद्धिकरण श्वसन यंत्र, हवाई श्वसन यंत्र और स्व-नियंत्रित श्वसन उपकरण (एस. सी. बी. ए.), सुरक्षा वस्त्रों के स्तर। | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 10. | वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण : प्रवेश और निकास चिकित्सा प्रक्रिया। | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11. | कार्रवाई योजना – घटना पूर्व योजना के तत्व, अन्य एजेंसियों से सहायता और नियोजन मापदंड। | 1 | 2 | . | 3 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 12. | खतरनाक सामानों का परिरोध और संबंधित नियंत्रण : अपसरण, अवरोधन, सुरक्षित रखना और पानी में छोड़ना, झूमों, पाइपों, टैंक ट्रकों से रिसाव को नियंत्रित करने के प्राथमिक औजार और रिसाव रोकने वाले उपकरण। | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 13. | *घटना कमान और नियंत्रण : एकीकृत आदेश संरचना, घटना आदेश टीम के कर्तव्य, भूमिका और दायित्व | 2 | . | . | 2 |
| 14. | निष्पादन योजना : निष्क्रमण हेतु संचालन, समन्वय और योजना उपाय | 1 | . | . | 1 |
| 15. | संदूषण रहित करना : प्रकार, समग्र, तकनीकी और आपातस्थिति विसंदूषण, मरीजों का विसंदूषण | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 16. | खतरनाक सामानों का परिवहन – रेल, सड़क और वायु द्वारा : सामान सुरक्षा डेटा पत्रक (एम. एस. डी. एस.) तथा पोत परिवहन कागजात | 1 | 1 | . | 2 |
| 17. | रसायन खोजी उपकरण : मल्टी गैस मीटर, पी. आई. डी., एफ. आई. डी., कैलोरीमीट्रिक प्रतिदर्श नलिकाएं और रासायनिक कारक मॉनीटर | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18. | खतरनाक रसायनों के विरुद्ध पर्यावरण सुरक्षा कानून | 1 | . | . | 1 |
| 19. | कोर्स परिचय | 2 | . | . | 2 |
| 20. | औजारों, उपकरणों, सहायक उपकरणों से परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 21. | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 22. | अंतिम अभ्यास से पूर्व और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 23. | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 24. | कोर्स की शुरुआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 25. | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 26. | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ | 52 | 30 | 38 | 120 |

* घटना प्रतिक्रिया टीम को घटना कमान टीम (आई. आर. टी.) के रूप में पढ़ा जाएगा।

अनुबंध – 16

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए जन संहार के हथियारों संबंधित पाठ्य-विवरण

उद्देश्य : सहभागियों को जन संहार के हथियारों की तकनीकों में प्रशिक्षित करना ताकि वे आपातस्थिति में प्रथम कार्रवाई संबंधी गतिविधियां करने में सक्षम हों।

अवधि : 20 कार्य दिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

पाठ्य-विवरण

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|---|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1 | जन संहारण के हथियारों का परिचय, डब्ल्यू. एम. डी. के उदाहरण | 1 | . | . | 1 |
| 2 | वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों (पी. पी. ई) का परिचय | ½ | ½ | 2 | 3 |
| 3 | पी. पी. ई. : शुरुआती और अंतिम चिकित्सा | ½ | ½ | 2 | 3 |
| 4 | पी. पी. ई. : स्तर और स्व-नियंत्रित श्वसन उपकरण (एस. सी. बी. ए.) | ½ | 1-½ | 3 | 5 |
| 5 | डब्ल्यू. एम. डी. की घटना की पहचान करना और कार्रवाई करना | 2 | . | . | 2 |
| 6 | घटना और कार्रवाई जोखिम विश्लेषण, योजना और कार्रवाई, जोखिम का विश्लेषण | 3 | . | . | 3 |
| 7 | *घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई. सी. एस.) | 2 | . | . | 2 |
| 8 | कार्रवाई की पहचान करना और निर्धारण करना | 1 | 1 | . | 2 |
| 9 | निष्क्रमण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | विघटन | ½ | 1-½ | 1 | 3 |
| 11 | पी. पी. ई. : स्तर क और सकल विसंदूषण | ½ | 1-½ | 2 | 4 |
| 12 | तकनीकी विसंदूषण | ½ | 1-½ | 2 | 4 |
| 13 | बम – डब्ल्यू. एम. डी. घटनाओं के प्रवर्तकों का परिचय | ½ | ½ | . | 1 |
| 14 | पहचान और पश्चगमन (रिट्रीट), वैयक्तिक और समूह सुरक्षा | 1 | . | . | 1 |
| 15 | अपराध के घटनास्थल का परिरक्षण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | विस्फोट में लगी चोटें | 1 | . | . | 1 |
| 17 | रासायनिक खतरे का परिचय | 1 | . | . | 1 |
| 18 | खतरनाक रसायनों का हटाना | 1 | . | . | 1 |

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 19 | खतरनाक रसायन पहचान में सहायक उपकरण | . | 1 | . | 1 |
| 20 | रसायन खोजी उपकरण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | कंटेनरों की पहचान और उपशमन | . | 1 | . | 1 |
| 22 | खतरनाक रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रभाव | 1 | . | . | 1 |
| 23 | खतरनाक रसायनों हेतु चिकित्सा कार्रवाई | 1 | . | . | 1 |
| 24 | मरीज का विसंदूषण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | जैविक खतरों का परिचय, जैविक खतरों की पहचान, स्वास्थ्य पर प्रभाव | 1 | . | 1 | 2 |
| 26 | जैविक खोज और प्रतिदर्शन (सैम्प्लिंग) | 1 | 1 | . | 2 |
| 27 | जैविक घटना उपशमन प्रोटोकॉल टेबल टॉप | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | जैविक घटना पी. पी. ई. और विसंदूषण | ½ | ½ | 2 | 3 |
| 29 | विकिरण और रेडियोधर्मी सामग्री | 1 | . | . | 1 |
| 30 | आयोनीकृत विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव | 1 | . | . | 1 |
| 31 | विकिरण संरक्षा और सुरक्षा व्यवहार, विसंदूषण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | रेडियोधर्मी सामानों का आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल | 1 | . | . | 1 |
| 33 | विकिरण खोज | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | विकिरण संरक्षा और सुरक्षा व्यवहार टेबलटॉप, विकिरणकीय फैलाने वाले उपकरण | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | स्टार्ट ट्राइज | 1½ | ½ | 1 | 2 |
| 36 | गंभीर घटना तनाव प्रबंधन | 1 | . | . | 1 |
| 37 | सार्वजनिक सूचना और मीडिया | 1 | . | . | 1 |
| 38 | कोर्स परिचय | 2 | . | . | 2 |
| 39 | औजारों, उपकरणों, उपस्करों का परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 40 | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 41 | अंतिम अभ्यास से पूर्व और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 42 | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 43 | कोर्स की शुरुआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 44 | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 45 | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ | 52½ | 28½ | 39 | 120 |

* घटना कमान प्रणाली को घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई.आर.एस.) पढ़ा जाएगा।

अनुबंध – 17

प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए बाढ़ से बचाव पर कोर्स का पाठ्य–विवरण

उद्देश्य : बाढ़ से बचाव के प्रचालनों में आपदा के बाद के चरण के दौरान कार्रवाई किए जाने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रथम प्रतिक्रियादाताओं को प्रशिक्षित करना।

अवधि : 20 कार्यदिवस (प्रतिदिन 6 घंटे की दर से प्रति सप्ताह 5 दिन)

| क्रम सं. | विषय | घंटों की संख्या | | | कुल घंटे |
|----------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | व्याख्यान | प्रदर्शन | प्रयोग | |
| 1 | बाढ़, उनके कारण और निवारण आदि | 2 | . | . | 2 |
| 2 | नदी संबंधी नियम और नाम तथा नाव के अंग और कमान हेतु शब्द | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | लंगर और लंगरगाहों के सिद्धांत | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | रक्षा-बोया (लाइफब्यॉय), जीवन रेखा, रक्षा जैकेट और वक्षस्थल कवच | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | उत्प्लावन परिकलन | 2 | . | . | 2 |
| 6 | रस्सी : गांठ और बंधन | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | तटबंध, कारण, तटबंध आपातस्थिति मरम्मत की विफलता आदि | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 8 | ओ. बी. एम. के प्रकार, देखभाल तथा अनुरक्षण, स्पीड बोट | 1 | 1 | . | 2 |
| 9 | कार्यसाधक तैराकी उपकरणों का निर्माण | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 10 | बाढ़ राहत प्रयोग : नौका विहार एवं अभ्यास सहित | 1 | 2 | 30 | 33 |
| 11 | कोर्स परिचय | 2 | . | . | 2 |
| 12 | औजारों, उपकरणों, उपस्करों का परिचय | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 13 | यूनिट परीक्षा | 3 | . | . | 3 |
| 14 | अंतिम अभ्यास से पूर्व और वार्तालाप | . | . | 3 | 3 |
| 15 | अंतिम अभ्यास | . | . | 3 | 3 |
| 16 | कोर्स की शुरूआत और समाप्ति | 2 | . | . | 2 |
| 17 | दैनिक कोर्स मूल्यांकन | 10 | . | . | 10 |
| 18 | फिल्में | . | 5 | . | 5 |
| | जोड़ | 30 | 18 | 72 | 120 |

अनुबंध – 18

क्षतिग्रस्त इमारत की खोज और संबंधित स्थल पर कोर्स का पाठ्य—विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

प्रशिक्षुओं तथा आपदा प्रतिक्रियादाता कर्मियों, को श्रव्य तथा दृश्य के प्रचालन और उपकरणों की खोज में प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- खोज और स्थल निर्धारण हेतु उपाय बताना
- श्रव्य तथा दृश्य खोज उपकरणों का इस्तेमाल
- पीड़ित की खोज और घटना के स्थान संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना

कोर्स की विषय—वस्तु

- बुनियादी पीड़ित की खोज और घटना—स्थल की संकल्पना
- खोज टीम की संरचना
- खोज करने के तरीके, प्रकार और पैटर्न
- संभावित खतरे के स्थानों की पहचान करने हेतु कदम उठाना
- खोज और स्थान निर्धारण हेतु ध्वनि उपकरण
- खोज और स्थान निर्धारण हेतु दृश्य उपकरण
- इनसारग अंकन प्रणाली
- खोज उपकरणों की देखभाल और अनुरक्षण

सहभागियों का स्तर

नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन सेवाओं, होम गार्ड్, पुलिस, केंद्रीय अर्ध—सैनिक बलों के कर्मी और खोज तथा बचाव मिशनों के लिए तैयार किए गए गैर सरकारी संगठन।

आयु सीमा : कोई आयु—सीमा नहीं।

अवधि : 1 सप्ताह

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 19

रासायनिक आपदा प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स का पाठ्य-विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

खतरनाक सामानों संबंधी घटना के लिए तैयार रहने और कार्रवाई करने में स्थानीय आपातस्थिति प्रतिक्रियादाताओं को प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- खतरनाक सामान की पहचान करना
- उचित पी. पी. ई. का चयन और तैनाती करना
- खतरनाक रासायनिक घटना के विरुद्ध कार्रवाई प्रचालनों का संचालन

कोर्स की विषय-वस्तु

- खतरनाक रसायनों से खतरा।
- विष विज्ञान के सिद्धांत।
- खतरनाक रसायनों की पहचान।
- खतरनाक रसायनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- कार्रवाई योजना।
- रसायनों के प्रयोग और उनके परिवहन में सुरक्षा।
- खतरनाक रसायनों का परिरोध और संबंधित नियंत्रण।
- चिकित्सा कार्रवाई।
- पी. पी. ई. का इस्तेमाल।
- रसायन खोजी उपकरण।
- विसंदूषण प्रक्रिया।
- घटना कमान और नियंत्रण।
- निष्क्रमण योजना।

सहभागियों का स्तर

यह कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड अधिकारियों, औद्योगिक सुरक्षा कर्मियों, अग्नि शमन अधिकारियों, आपदा प्रबंधकों तथा गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी अधिकारियों के लिए उपयुक्त है। बुनियादी विज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है।

आयु सीमा : 40 वर्ष से कम।

अवधि : 2 सप्ताह

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 20

जैविक घटना संबंधित प्रथम प्रतिक्रियादाता कोर्स का पाठ्य–विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

जैविक खतरनाक घटना के विरुद्ध तैयार होने और कार्रवाई करने हेतु स्थानीय आपातस्थिति प्रतिक्रियादाताओं को प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नालिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- जैविक खतरे के स्वरूप को समझना
- उचित पी. पी. ई. का चयन और तैनाती
- जैविक खतरनाक घटना के विरुद्ध कार्रवाई प्रचालन का संचालन

कोर्स की विषय–वस्तु

- जैविक खतरों का परिचय
- जैविक कारकों का आंतकवादी प्रयोग
- जैविक खतरों की पहचान
- जैव खतरनाक सामान का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- जैविक कारक की खोज और प्रतिदर्शन (सैम्पलिंग)
- जैविक घटना पी. पी. ई.
- विसंदूषण की प्रक्रिया
- स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों की भूमिका
- गंभीर घटना संबंधी तनाव का प्रबंधन
- सार्वजनिक सूचना और मीडिया

सहभागियों का स्तर

यह कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड अधिकारियों, औद्योगिक सुरक्षा कर्मियों, अग्नि शमन अधिकारियों, आपदा प्रबंधकों तथा गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवी अधिकारियों के लिए उपयुक्त है। बुनियादी विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है।

आयु सीमा : कोई आयु–सीमा नहीं।

अवधि : 1 सप्ताह

(टिप्पणी : यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 21

बाढ़/चक्रवात आपदा कार्रवाई संबंधी कोर्स का पाठ्य-विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

संगठनों के अधिकारियों/कर्मियों को आपातस्थितियों के दौरान आपदा कार्रवाई टीमों के प्रशिक्षणदाताओं तथा मुखियाओं (लीडर) के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- बाढ़/चक्रवात आपदा संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन
- आपदा कार्रवाई टीमों के मुखिया के रूप में कार्य करना
- बचाव के उपकरण संचालित करना
- तत्काल राहत उपाय करना

कोर्स की विषय-वस्तु

- आपदाओं की परिभाषा और प्रकार।
- भारत में बाढ़ के कारण।
- चक्रवात/तूफान के कारण।
- भूस्खलन की समस्या।
- राहत अभियानों का नियंत्रण कार्य।
- बाढ़/चक्रवात में बचाव अभियान।
- बचाव हेतु फील्ड मशीनों का इस्तेमाल।
- नावों और ओ. बी. एम. का प्रचालन।
- टेकबंदी (शोरिंग) की पद्धतियां।
- कार्यसाधक तैराकी उपकरण।
- रस्सी के पुलों का निर्माण।
- शवों और कंकालों का निपटान कार्य।
- आपदा पश्चात सेवाओं का प्रबंधन।
- आपातस्थिति प्रचालन केंद्र (ई. ओ. सी.)।

सहभागियों का स्तर

यह कोर्स नागरिक सुरक्षा/होम गार्ड प्रशिक्षकों, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों, अग्नि शमन सेवा के कर्मियों, राज्य आपातस्थिति राहत सेवा और गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षुओं के लिए तैयार किया जाता है।

आयु सीमा : 45 वर्ष से कम।

अवधि : 5 सप्ताह

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 22

भूकम्प आपदा कार्रवाई संबंधी कोर्स का पाठ्य–विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

प्रतिक्रियादाताओं को भूकम्प आपदा कार्रवाई संबंधी प्रबंधन में प्रशिक्षित करना ताकि वे भूकम्प के पश्चात संगठित की गई विभिन्न टीमों के मुखिया के रूप में सेवा करने में सक्षम हों।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- भूकम्प संबंधी विज्ञान समझना।
- खोज और बचाव का कार्य करना।
- राहत और पुनर्बहाली उपाय करना।

कोर्स की विषय–वस्तु

- भूकम्प का विज्ञान।
- भूकम्प में एस. ए. आर. की समस्या।
- खोज और बचाव (एस. ए. आर.) के सिद्धांत।
- भवन ध्वंस संबंधी अध्ययन।
- बचाव के लिए रस्सी का प्रयोग।
- आपातस्थिति टेकबंदी की उपयोगिता।
- क्षतिग्रस्त भवनों में प्रवेश करने संबंधी सावधानियां।
- श्वसन उपकरणों का प्रयोग।
- मलबा हटाना।
- छोटे औजारों और उपकरणों का प्रयोग।
- वजन उठाना और स्थिर रखना।
- हताहत संबंधी ट्राइज़।
- राहत और पुनर्बहाली उपाय करना।

सहभागियों का स्तर

यह कोर्स नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षकों, होमगार्ड के प्लाटून कमांडरों, सेना/अर्धसैनिक बलों के हवलदार और ऊपर के पदाधिकारी, राज्य/जिला स्तर पर आपदा राहत प्रबंधन में लगा राजस्व स्टॉफ और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों हेतु तैयार किया गया है।

आयु सीमा : 45 वर्ष से कम।

अवधि : 3 सप्ताह

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 23

रेल परिवहन संबंधित दुर्घटना के लिए आपातकालीन कार्रवाई का पाठ्य-विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

अधिकारियों, प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों को रेल परिवहन से संबंधित दुर्घटना के दौरान मुक्त कराने (एक्सट्रिकेशन), बचाव और घटना संबंधी प्रबंधन के तरीकों में प्रशिक्षित करना।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- रेल दुर्घटना में मुक्त कराने (एक्सट्रिकेशन) और बचाव के तरीके।
- बचाव उपकरणों का प्रयोग।
- रेल दुर्घटना के प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन।

कोर्स की विषय-वस्तु

- रेल की संपत्ति का निर्धारण।
- रेल परिवहन से संबंधित दुर्घटनाओं में बचाव के सिद्धांत।
- पहुंच बनाने के तरीके।
- मुक्त कराने की पद्धतियां।
- बचाव की कार्यनीतियां और तरीके।
- बचाव के औजार, उपकरण और सहायक उपकरण।
- स्टार्ट ट्राइज।
- घटना प्रबंधन और कमान प्रणाली।
- स्वयंसेवक द्वारा प्रथमोपचार और पीड़ित को स्थायित्व देना।
- घटना स्थल की सुरक्षा और संकट से उबारने संबंधी कार्य।
- रस्सी द्वारा बचाव करने के तरीके।

सहभागियों का स्तर

यह कोर्स रेलवे कर्मियों, नागरिक सुरक्षा (सीडी) प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों, अर्धसैनिक बलों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए तैयार किया गया है।

आयु सीमा : कोई आयु सीमा नहीं।

अवधि : 2 सप्ताह

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 24

विकिरणकीय और नाभिकीय आपातस्थिति कोर्स में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्य–विवरण

कोर्स का उद्देश्य :

नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना ताकि वे विकिरणकीय आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रियादाताओं के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम हो सके।

समर्थकारी उद्देश्य :

यह प्रशिक्षण पूरा करने पर सहभागी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

- विकिरणकीय आपातस्थितियों और उनके परिणामों को समझना।
- प्रतिक्रियादाता कार्रवाइयां और विसंदूषण करना।
- आश्रय स्थलों की आवश्यकता का आकलन।
- विकिरण खोजी उपकरणों का प्रचालन और वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण को पहनना तथा उतारना।

कोर्स की विषय–वस्तु

- विकिरण और रेडियोधर्मी सामान।
- आयनीकरण और विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- विकिरणकीय हथियार और उनका प्रभाव।
- विकिरण से संरक्षा और सुरक्षा व्यवहार।
- विकिरणकीय आपातस्थितियों में सीड़ी सेवाओं का आयोजन।
- आश्रय स्थल की सुरक्षा का निर्धारण।
- कामचलाऊ व्यष्टि/परिवार आश्रय स्थल।
- स्वयंसेवी जनता द्वारा आश्रय स्थलों का प्रबंधन।
- विकिरण खोजी प्रक्रियाएं और उपकरण।
- वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर (पीपीई)।
- विकिरणकीय आपातस्थिति में नागरिक सुरक्षा अभियान।
- विसंदूषण : सकल और तकनीकी।

सहभागियों का स्तर

इस कार्यक्रम से नाभिकीय आपदा के विरुद्ध प्रशिक्षणरत विभिन्न राज्यों के नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड प्रशिक्षकों को लाभ होगा। उन्होंने विज्ञान के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान हो।

आयु सीमा : 40 वर्ष से कम।

अवधि : 1 सप्ताह

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 25

श्वसन उपकरण कोर्स का पाठ्य-विवरण

क्षमता : 12 सीटें

अवधि : 12 कार्य दिवस

उद्देश्य : अग्नि शमन सेवा के कर्मी जिन्हें अक्सर बचाव कार्य करना पड़ता है, के लिए श्वसन उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण देना।

ऐसे माहौल में अग्नि शमन प्रचालन करना जो जीवन के प्रतिकूल हो।

श्वसन उपकरण अत्यधिक नाजुक एवं जीवन रक्षा उपकरण होने के कारण इसके प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न आपदाओं के दौरान जान और संपत्ति की रक्षा करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

पात्रता : आयु : 20 से 40 वर्ष का होना चाहिए।

शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता :

- (i) विज्ञान के विषयों के साथ मैट्रिक अथवा समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए।
- (ii) एन. एफ. एस. सी. से कम से कम उप-अधिकारी कोर्स पास होना चाहिए।

शारीरिक मानक :

कड़े प्रशिक्षण हेतु शारीरिक रूप से उपयुक्त हो

लम्बाई : 165 सेंटीमीटर

वजन : 50 किलोग्राम

छाती : सामान्य रूप से 81 सें.मी., फुलाने पर 86 सेंटीमीटर

कोर्स की विषय-वस्तु :

श्वसन और रक्त संचार का शरीर क्रिया विज्ञान, श्वसन उपकरणों की सामान्य जरूरत और उनके कार्य, श्वसन उपकरणों का व्यावहारिक प्रयोग, अनुरक्षण, रिचार्जिंग, जांच और श्वसन उपकरणों की खराबी की जांच।

श्वसन उपकरणों के प्रचालनात्मक प्रयोग के दौरान संकेतीकरण, पर्यवेक्षण प्रक्रिया / गाई लाइनों और टैली बोर्डों का प्रयोग, अश्वसनीय वायुमंडल का अध्ययन, गरम तथा उमस भरे वायुमंडल के प्रभाव, सेट तैयार करना और पहनने की प्रक्रिया।

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 26

अग्नि निवारण कोर्स का पाठ्य—विवरण

- क्षमता :** 20 सीटें
- अवधि :** 6 सप्ताह (एक सप्ताह के औद्योगिक दौरे सहित, प्रशिक्षुओं को भारत के किसी भी प्रमुख अग्नि शमन सेवा से संबद्ध किया जाता है)।
- उद्देश्य :** इस कोर्स का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के (उन प्रबंधकीय/कार्यकारी संवर्ग के कर्मियों को प्रशिक्षण देना है जो अग्नि निवारण, संरक्षा और अग्नि शमन के तकनीकी और प्रचालनात्मक पहलुओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।
- पात्रता :** आयु :
- (क) 30 वर्ष से कम न हो।
 - (ख) प्रतिष्ठित उद्योगों/संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए।
 - (ग) प्रतिष्ठित उद्योग में कारखाना निरीक्षण/इंजीनियर/संयंत्र अभिकल्पकर्ता/वास्तुकार/सुरक्षा अधिकारी/बीमा सर्वेक्षक/सुरक्षा प्रबंधक के पद पर कार्यरत होना चाहिए।
 - (घ) अभ्यासों और प्रयोगों में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए।

कोर्स की विषय—वस्तु :

आग के खतरे का निर्धारण, स्वचालित अग्नि खोजी और खतरा संकेत प्रणाली, आग के कारण और आगजनी की खोज, दहन का रसायन शास्त्र, धूल विस्फोट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अग्नि संबंधी पूर्वाभ्यास, आग संबंधी बीमा, अग्नि निवारण डिजाइन कवायद, अग्नि निवारण कानून, अग्नि संरक्षा, उद्योगों में अग्नि संरक्षा डिजाइन, पेट्रोरसायन उद्योग में अग्नि संरक्षा, फायर पम्प, बिजली की आग की जोखिम, स्थायी अग्नि शमन संस्थापन, खतरनाक वस्तुएं, होज और होज फिटिंग, औद्योगिक भवन, ज्वलनशील द्रव्य, वाष्प और गैस, प्रकाशकीय और तापीय प्रणाली, प्रबंधन जोखिम, बचाव के साधन, पोर्टेबल अग्निशमन उपकरण, विकिरणीय सामान, रिपोर्ट लिखना, बचाव, संवातन प्रणाली (वेंटिलेशन सिस्टम), जलापूर्ति।

प्रयोग :

पूर्वाभ्यास तथा होज, सीढ़ी, पम्प प्रचालन, पोर्टेबल अग्नि शामक, अग्नि शमन प्रचालन और बचाव के तरीकों का प्रदर्शन।

(टिप्पणी: यह कोर्स इस समय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, भारत सरकार, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा चलाया जाता है।)

अनुबंध – 27

एक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए खतरनाक सामान संबंधित आपातस्थिति के लिए उपकरण

क. वैयक्तिक उपकरण (स्तर घ) (प्रत्येक सदस्य) :

1. समग्र
2. दस्ताने
3. रसायन रोधी जूते, इस्पाती एडी और शैंक
4. बूट, आउटर, रसायन रोधी (निपटान योग्य)
5. सुरक्षा शीशे (सेपटी ग्लासेज) अथवा रासायनिक छपाका, चश्मे, पॉली कार्बोनेट लैंस
6. हेल्मेट
7. लटकाने वाली पानी की बोतल

ख. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण :

I. स्तर क (20 सेट)

1. स्व-नियंत्रित श्वसन उपकरण
2. संपूर्ण-इनकैप्स्युलेटिंग रासायनिक सुरक्षा सूट
3. दस्ताने, आउटर, रसायनरोधी
4. दस्ताने, इनर, रसायन-रोधी

II. स्तर ख (20 सेट)

1. स्व-नियंत्रित श्वसन उपकरण (एस. सी. बी. ए.)
2. प्रत्यास्थ कलाई पट्टी और बूटों के साथ टोपी सहित रसायन रोधी वस्त्र
3. दस्ताने इनर रसायन रोधी
4. दस्ताने, आउटर, रसायन रोधी
5. बूट कवर आउटर, रसायन रोधी (निपटान योग्य)

III. स्तर ग (20 सेट)

1. पुर्जे सहित वायु शुद्धिकारक श्वसन यंत्र
2. रबड़ कलाई और टखने के साथ टोपी सहित रसायन रोधी वस्त्र
3. दस्ताने, आउटर रसायन रोधी
4. दस्ताने इनर रसायन रोधी

IV. एन. बी. सी. सूट (20 सेट)

ग. एन. बी. सी. विशिष्ट उपकरण

| क्रम सं. | उपकरण | संख्या |
|----------|---|---------|
| 1 | टेलीटेक्टर (यू. आर./एच. से 1000 आर./एच. रेंज) | 1 |
| 2 | जी. एम. सर्वेक्षण मीटर | 6 |
| 3 | संदूषण मानीटर | 6 |
| 4 | लघु रैड मीटर | 6 |
| 5 | पोर्टेबल अल्फा मानीटर | 6 |
| 6 | डाइरेक्ट रीडिंग डिसमीटर (प्रति सदस्य एक) | 30 |
| 7 | टी. एल. डी. (प्रति सदस्य एक) | 30 |
| 8 | प्लास्टिक बैग/लपेटने वाली टेप, न्यूनतम | 6-सेट |
| 9 | विसंदूषण करने वाली किट | 5-सेट |
| 10 | आयोडेट टैबलेट (केएल 03) | 1000 |
| 11 | फिल्टर पेपर के साथ बैटरी चालित वायु प्रतिदर्शक (सैम्प्लर) | 6 |
| 12 | सी. डी. किट डेंजर मेक | 6 |
| 13 | जल में विष की खोज करने वाली किट | 2 |
| 14 | एल. ई. एल. मीटर (विस्फोटक मीटर) | 6 |
| 15 | पी. एच. टेस्टर | 6 |
| 16 | पी. एच. पेपर | 6 बक्से |
| 17 | आपदा संकेत (डिस्ट्रेस सिग्नल) यूनिट (डी. एस. यू.) | 40 |
| 18 | *प्रथमोपचार किट एन. बी. सी. प्रकार 'क' | 10 |
| 19 | प्रथमोपचार किट एन. बी. सी. प्रकार 'ख' | 10 |
| 20 | बी. ए. सेट हेतु रिसाव टेस्टर | 2 |
| 21 | पोर्टेबल विसंदूषण घोल | 10 |
| 22 | विसंदूषण घोल | 10 लिटर |
| 23 | विसंदूषण सामान (प्लास्टिक शीट, ब्रश, बाल्टियां, फायर होज, कंटेनर, पोर्टेबल पम्प | 10 सेट |
| 24 | शरीर पर टांगे जाने वाला थैला (बॉडी बैग) | 30 |
| 25 | आपातस्थिति कार्रवाई गाइड पुस्तिका | 10 |
| 26 | सुरक्षा टॉर्च | 30 |
| 27 | रसायन रोधी 30 मीटर लम्बी सुरक्षा रस्सी (लाइन) | 30 |
| 28 | उच्च दृश्यता जांच | 30 |
| 29 | यातायात परिवहन | 20 |
| 30 | सोडा राख और सोडा हाइड्रोक्साईड का 20 किलो का कंटेनर | 10 |

| | | |
|----|--|----------|
| 31 | ए. एफ. एफ. का 20 लिटर का कंटेनर | 10 |
| 32 | प्लास्टिक का ड्रम-20 लिटर क्षमता वाला | 4 |
| 33 | पाइप स्किवजर | 10 |
| 34 | रिसाव भंडारण उपकरण | 4 सेट |
| 35 | क्लोरीन रिसाव कैपिंग किट | 2 सेट |
| 36 | स्पार्क न होने वाले औजार (पाइप रिनेक्स, हथौड़ा, क्यूरेट, पेंचकस सेट) | 5 सेट |
| 37 | स्पार्क न करने वाला ब्रश, झाड़ू बेलचा (शोवल) तथा क्रोबार | 5 सेट |
| 38 | चिकित्सा टैग | 50 |
| 39 | कट गम बोतल के साथ मल्टी गैस डिटेक्टर | 6 |
| 40 | प्रथमोपचार किट (एम. एफ. आर. के अनुसार) | 5 |
| 41 | रासायनिक कारक मानीटर | 10 पैकेट |
| 42 | प्रतिदर्श संग्रहण (सैम्पल कलेक्शन) हेतु कॉटन सोप (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 43 | प्रतिदर्श संग्रहण प्लास्टिक बैग बड़ा आकार (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 44 | प्रतिदर्श संग्रहण प्लास्टिक बैग छोटा आकार (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 45 | लैटेक्स दस्ताने निपटानयोग्य (प्रत्येक पैकेट में 100) | 2 |
| 47 | अल्ट्रा वॉयलेट फोटो – आयोनाइजेशन डिटेक्टर | 10 |
| घ. | प्रथमोपचार किट | |
| | प्रथमोपचार किट के लिए संस्कृत वस्तुएं | |

| क्रम सं. | उपकरण | संख्या |
|----------|---|------------|
| 1 | सक्रिय कोयला (एक्टिवेटेड चारकोल) (विष से प्रभावित होने की आपातस्थिति में) | 20 |
| 2 | आसंजक अनावृत मरहमपट्टी (स्ट्रॉप बैंडेज) – वर्गीकृत आकार में (20 का पैक) | 2 |
| 3 | अडेसिव टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2'') | 2 |
| 4 | अडेसिव टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4'') | 2 |
| 5 | एयरवे – मौखिक (ओरल) (80 मिलीमीटर) | 2 |
| 6 | एयरवे – मौखिक (ओरल) (60 मिलीमीटर) | 2 |
| 7 | एयरवे – मौखिक (ओरल) (40 मिलीमीटर) | 2 |
| 8 | अल्कोहल-मसलने वाला 70 प्रतिशत | 100 मि.ली. |
| 9 | अल्कोहल-पॉछने वाला | 10 |
| 10 | एम्बु. बैग (वयस्क) | 1 |
| 11 | एम्बु. बैग (बच्चे) | 1 |
| 12 | एंटासिड टैबलेट | 20 |
| 13 | एन्टीबायोटिक मरहम (सोफ्रामाइसिन) | 1 |

| | | |
|----|--|------------|
| 14 | एन्टीसेप्टिक स्प्रे | 1 |
| 15 | आर्टरी फोरसेस | 1 |
| 16 | एस्प्रिन टैबलेट | 20 |
| 17 | बैंडेज इलेस्टिक 3" | 2 |
| 18 | बैंडेज इलेस्टिक (क्रिप, 6") | 2 |
| 19 | बैंडेज रोल 3" | 10 |
| 20 | बैंडेज रोल 6" | 10 |
| 21 | बैंडेज तिकोना | 10 |
| 22 | ऊनी कंबल | 1 |
| 23 | रक्तचाप नापने का उपकरण | 1 |
| 24 | बर्न स्प्रे (जले हिस्से पर छिड़कने वाला मलहम) | 1 |
| 25 | कैलामाइन लोशन | 100 मि.लि. |
| 26 | कॉटन रोल (रूई का बंडल) 500 ग्राम | 2 |
| 27 | कॉटन स्वैब | 20 |
| 28 | डिस्पोजेबल लैटेक्स अथवा विनाइल दस्ताने (6" और 7") | 10 |
| 29 | आई-पैड (आंख पर लगाने वाला पैड) | 10 |
| 30 | सी. पी. आर हेतु फेस मास्क (वयस्क) | 2 |
| 31 | सी. पी. आर हेतु फेस मास्क (बच्चे) | 2 |
| 32 | प्रथमोपचार दिशानिर्देश | 1 |
| 33 | फ्लैश लाइट | 1 |
| 34 | चिमटी (फोरसेप्स) (स्टैनलेस स्टील नान टूथेड) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 35 | गेज पैड – (स्टेराइल कॉटन) 2"x4" | 20 |
| 36 | गेज पैड – (स्टेराइल वैसलिन) | 10 |
| 37 | गरम पानी की बोतल | 1 |
| 38 | ऑक्सीजन सिलेंडर, हल्का एल्यूमिनियम 110 लिटर (वैकल्पिक) | 1 |
| 39 | ऑक्सीजन कैन्यूला नेसल | 5 |
| 40 | ओ. आर. एस. पैकेट (सैचेट) | 5 |
| 41 | दर्द नाशक, छिड़कने वाला मलहम (पैन स्प्रे) | 1 |
| 42 | पेपर राइटिंग पैड और पेन्सिल | 1 |
| 43 | पीने के लिए कागज के बने कप | 5 |
| 44 | निमैटिक स्प्लिंट सेट | 1 |
| 45 | सेपटी पिन | 10 |

| | | |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 46 | कैंची (स्टैनलेस स्टील) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 47 | साबुन | 1 |
| 48 | स्लिंग्स (गोफन) (कोहनी, कंधा) | 5 |
| 49 | स्टेथोस्कोप | 1 |
| 50 | चीनी अथवा ग्लुकोज का घोल | 100 ग्राम |
| 51 | थर्मोमीटर – मौखिक (ओरल) | 1 |
| 52 | टंग डिप्रेसर (डिस्पोजेबल) | 5 |
| 53 | टॉर्च | 1 |
| 54 | टार्निकेट (इलास्टिक) | 1 |
| 55 | ट्राइज रिबन (हरी / लाल / काली / पीली) | 20 |
| 56 | बाइट स्टिक्स | 5 |
| 57 | आंख के बचाव हेतु चश्मे (गॉगल्स) | 1 |
| 58 | चिकित्सा उपकरण वाला बक्सा | 2 |

i) वाहन :

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | उपकरण टोइंग टेंडर उपकरण ले जाने वाला | 4 |
| 2 | एम्बुलेंस | 2 |
| 3 | अग्नि शमन संबंधी सामान एवं कर्मा को ले जाने हेतु ट्रक | 2 |

एक प्रशिक्षण संस्था हेतु प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए जन संहार के हथियारों हेतु उपकरण

घ. वैयक्तिक उपकरण (स्तर घ) (प्रत्येक सदस्य)

1. समग्र
2. दस्ताने
3. रसायन रोधी जूते, इस्पाती एडी और शैंक
4. बूट, आउटर, रसायन रोधी (निपटान योग्य)
5. सुरक्षा शीशे अथवा रासायनिक छपाका (कोमिकल स्पेलैश), धूप के चश्मे, पॉली कार्बोनेट लेंस
6. हेल्मेट
7. लटकाने वाली पानी की बोतल

ड. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण

V. स्तर क (10 सेट)

1. स्व-नियंत्रित श्वसन यंत्र
2. कुल – इनकैप्स्यूलेटिंग रासायनिक सुरक्षा सूट
3. दस्ताने, आउटर, रसायन रोधी
4. दस्ताने, इनर, रसायन रोधी

VI. स्तर ख (10 सेट)

1. स्व-नियंत्रित श्वसन यंत्र (एस. सी. बी. ए.)
2. प्रत्यास्थ कलाई पट्टी और टखने के साथ टोपी सहित रसायन रोधी वस्त्र
3. दस्ताने इनर रसायन रोधी
4. दस्ताने, आउटर, रसायन रोधी
5. बूट कवर आउटर, रसायन रोधी (निपटान योग्य)

VII. स्तर ग (10 सेट)

1. पुर्ज सहित वायु शुद्धिकारक श्वसन यंत्र
2. प्रत्यास्थ कलाई पट्टी और टखने के साथ टोपी सहित रसायन रोधी वस्त्र
3. दस्ताने आउटर रसायन रोधी
4. दस्ताने इनर रसायन रोधी

VIII. एन. बी. सी. सूट (120 सेट)

च. एन. बी. सी. विशिष्ट उपकरण

| क्रम सं. | उपकरण | संख्या |
|----------|--|---------|
| 1 | टेलीटेक्टर (यू. आर./एच. से 1000 आर./एच. रेंज | 1 |
| 2 | जी. एम. सर्वेक्षण मीटर | 6 |
| 3 | संदूषण मानीटर | 6 |
| 4 | लघु रैड मीटर | 6 |
| 5 | पोर्टेल अल्फा मानीटर | 6 |
| 6 | डाइरेक्ट रीडिंग डिसमीटर (प्रति सदस्य एक) | 30 |
| 7 | टी. एल. डी. (प्रति सदस्य एक) | 30 |
| 8 | प्लास्टिक बैग / लपेटने वाली टेप, न्यूनतम | 6-सेट |
| 9 | विसंदूषण करने वाली किट | 5-सेट |
| 10 | आयोडेट टैबलेट (KIO_3) | 1000 |
| 11 | फिल्टर पेपर के साथ बैटरी चालित वायु प्रतिदर्शक (एयर सैम्पलर) | 6 |
| 12 | सी. डी. किट डेंजर मेक | 6 |
| 13 | जल में विष की खोज करने वाली किट | 2 |
| 14 | एल. ई. एल मीटर (विस्फोटक क्षमता नापने वाला मीटर) | 6 |
| 15 | पी. एच. टेस्टर | 6 |
| 16 | पी. एच. पेपर | 6 बक्से |
| 17 | आपदा संकेत (डिस्ट्रेस सिग्नल) यूनिट (डी. एस. यू.) | 40 |

| | | |
|----|---|----------|
| 18 | प्रथमोपचार किट एन. बी. सी. प्रकार 'क' | 10 |
| 19 | *प्रथमोपचार किट एन. बी. सी. प्रकार 'ख' | 10 |
| 20 | बी. ए. सेट हेतु रिसाव टेस्टर | 2 |
| 21 | पोर्टेबल विसंदूषण घोल | 10 |
| 22 | विसंदूषण घोल | 10 लिटर |
| 23 | विसंदूषण सामान (प्लास्टिक शीट, ब्रश, बाल्टियां, फायर होज, कंटेनर, पोर्टेबल पम्प | 10 सेट |
| 24 | शरीर पर टांगे जाने वाला (बॉडी बैग) | 30 |
| 25 | आपातस्थिति कार्रवाई दिशानिर्देश पुस्तिका | 10 |
| 26 | सुरक्षा टॉर्च | 30 |
| 27 | रसायन रोधी 30 मीटर लम्बी सुरक्षा रस्सी (लाइन) | 30 |
| 28 | उच्च दृश्यता जांच | 30 |
| 29 | यातायात परिवहन | 20 |
| 30 | सोडा राख और सोडा हाइड्रोक्साईड का 20 किलो का कंटेनर | 10 |
| 31 | ए. एफ. एफ. का 20 लीटर का कंटेनर | 10 |
| 32 | प्लास्टिक का ड्रम – 20 लिटर क्षमता वाला | 4 |
| 33 | पाइप स्किवजर | 10 |
| 34 | रिसाव भंडारण उपकरण | 4 सेट |
| 35 | वलोरीन रिसाव कैपिंग किट | 2 सेट |
| 36 | स्पार्क न होने वाले औजार (पाइप रिनेक्स, हथौड़ा, क्यूरेट, पेंचकस सेट) | 5 सेट |
| 37 | स्पार्क न करने वाला ब्रश, झाड़ू बेलचा (शोवल) तथा क्रोबार | 5 सेट |
| 38 | चिकित्सा टैग | 50 |
| 39 | कट गम बोतल के साथ मल्टी गैस डिटेक्टर | 6 |
| 40 | प्रथमोपचार किट (एम. एफ. आर. के अनुसार) | 5 |
| 41 | रासायनिक कारक मानीटर | 10 पैकेट |
| 42 | प्रतिदर्श संग्रहण हेतु कॉटन सोप (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 43 | प्रतिदर्श संग्रहण प्लास्टिक बैग बड़ा आकार (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 44 | प्रतिदर्श संग्रहण प्लास्टिक बैग छोटा आकार (प्रत्येक पैकेट में 20) | 10 पैकेट |
| 45 | लैटेक्स दस्ताने निपटानयोग्य (प्रत्येक पैकेट में 100) | 2 |
| 47 | अल्ट्रा वॉयलेट फोटो – आयोनाइजेशन डिटेक्टर | 10 |

घ. प्रथमोपचार किट

प्रथमोपचार किट के लिए संस्तुत वस्तुएं

| क्रम सं. | उपकरण | संख्या |
|----------|--|------------|
| 1 | सक्रिय कोयला (विष से प्रभावित होने की आपातस्थिति में) | 20 |
| 2 | एडेसिव अनावृत मरहमपट्टी (स्ट्रिप बैंडेज) – वर्गीकृत आकार में (20 का पैक) | 2 |
| 3 | एडेसिव टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2") | 2 |
| 4 | एडेसिव टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4") | 2 |
| 5 | एयरवे – मौखिक (80 मिलीमीटर) | 2 |
| 6 | एयरवे – मौखिक (60 मिलीमीटर) | 2 |
| 7 | एयरवे – मौखिक (40 मिलीमीटर) | 2 |
| 8 | अल्कोहल—मसलने वाला 70 प्रतिशत | 100 मि.लि. |
| 9 | अल्कोहल—पोंछने वाला | 10 |
| 10 | एम्बु. बैग (वयस्क) | 1 |
| 11 | एम्बु. बैग (बच्चे) | 1 |
| 12 | एंटासिड टैबलेट | 20 |
| 13 | एन्टीबायोटिक मरहम (सोफ्रामाइसिन) | 1 |
| 14 | एन्टीसेप्टिक स्प्रे | 1 |
| 15 | आर्टरी फोरसेप | 1 |
| 16 | **एस्पिरिन टैबलेट | 20 |
| 17 | बैंडेज इलास्टिक 3" | 2 |
| 18 | बैंडेज इलेस्टिक (क्रिप, 6") | 2 |
| 19 | बैंडेज रोल 3" | 10 |
| 20 | बैंडेज रोल 6" | 10 |
| 21 | बैंडेज तिकोना | 10 |
| 22 | ऊनी कंबल | 1 |
| 23 | रक्तचाप उपकरण | 1 |
| 24 | बर्न स्प्रे | 1 |
| 25 | कैलामाइन लोशन | 100 मि.लि. |
| 26 | कॉटन रोल 500 ग्राम | 2 |
| 27 | कॉटन स्वैब | 20 |
| 28 | डिस्पोजेबल लैटेक्स अथवा विनाइल दस्ताने (6" और 7") | 10 |
| 29 | आई पैड | 10 |
| 30 | सी. पी. आर हेतु फेस मास्क (वयस्क) | 2 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 31 | सी. पी. आर हेतु फेस मास्क (बच्चे) | 2 |
| 32 | प्रथमोपचार दिशानिर्देश | 1 |
| 33 | फलैश लाइट | 1 |
| 34 | फोरसेप (स्टैनलेस स्टील, नॉना टूथेड) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 35 | गेज पैड – (स्टेराइल कॉटन) 2" x 4" | 20 |
| 36 | गेज पैड – (स्टेराइल वैसलिन) | 10 |
| 37 | गरम पानी की बोतल | 1 |
| 38 | ऑक्सीजन सिलेंडर, हल्का एल्यूमिनियम 110 लिटर (वैकल्पिक) | 1 |
| 39 | ऑक्सीजन कैन्यूला नेसल | 5 |
| 40 | ओ. आर. एस. सैचेट | 5 |
| 41 | – * – पेन स्प्रे | 1 |
| 42 | पेपर राइटिंग पैड और पेन्सिल | 1 |
| 43 | पीने के लिए कागज के बने कप | 5 |
| 44 | निमैटिक स्प्लंट सेट | 1 |
| 45 | सेपटी पिन | 10 |
| 46 | कैंची (स्टैनलेस स्टील) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 47 | साबुन | 1 |
| 48 | स्लिंग्स (गोफन) (कोहनी, कंधा) | 5 |
| 49 | स्टेथोस्कोप | 1 |
| 50 | चीनी अथवा ग्लुकोज का घोल | 100 ग्राम |
| 51 | थर्मोमीटर – मौखिक | 1 |
| 52 | टंग डिप्रेसर (डिस्पोजेबल) | 5 |
| 53 | टॉर्च | 1 |
| 54 | टार्निकेट (इलास्टिक) | 1 |
| 55 | ट्राइज रिबन (हरी/लाल/काली/पीली) | 20 |
| 56 | बाइट स्टिक्स | 5 |
| 57 | आंख के बचाव हेतु धूप के चश्मे | 1 |
| 58 | चिकित्सा उपकरण वाला बक्सा | 2 |

ii) वाहन :

1. उपकरण टोइंग टेंडर (उपकरण ले जाने वाला वाहन) 1
2. एम्बुलेंस 1
3. अग्नि शमन संबंधी सामान एवं कर्मा को ले जाने हेतु ट्रक 1

एक प्रशिक्षण संस्थान के लिए बाढ़ से बचाव हेतु उपकरण

क. वैयक्तिक उपकरण (प्रत्येक सदस्य)

| | | |
|----|---|----|
| क. | हेल्मेट | 30 |
| ख. | लटकाने वाली पानी की बोतल | 30 |
| ग. | आंख की सुरक्षा | 30 |
| घ. | कान की सुरक्षा | 30 |
| ड. | इस्पात के बने अंगूठे वाले सुरक्षा बूट | 30 |
| च | सुरक्षा सीटी | 30 |
| छ | घुटने के पैड | 30 |
| ज | कार्य के दस्ताने | 30 |
| झ. | समग्र | 30 |
| ज. | वैयक्तिक सुरक्षा रस्सी (लाइन) (सैश कॉर्ड-पट्टी वाली मजबूत रस्सी) 15'' लम्बी | 30 |
| ख. | विशिष्ट बाढ़ बचाव उपकरण | |
| 1 | बचाव बैक बोर्ड | 6 |
| 2 | हल्के उच्च दबाव वाले पम्प | 2 |
| 3 | गोताखोरी का सूट | 6 |
| 4 | जलगत बी. ए. सेट | 6 |
| 5 | फ्लोटिंग पम्प | 2 |
| 6 | इंफ्लेटेबल नाव (12 व्यक्ति) | 6 |
| 7 | फाइबर नाव (12 व्यक्ति) | 6 |
| 8 | रक्षा बोया | 10 |
| 9 | लाइफ जैकेट | 20 |
| 10 | मल्टीकेबल विंच | 6 |
| 11 | कैराबाइनर्स | 10 |
| 12 | बास्केट स्ट्रेचर | 6 |
| 13 | फ्लड लाइट सहित पोर्टेबल जेनरेटर | 1 |
| 14 | पोर्टेबल शेल्टर ($10' \times 14'$, $10' \times 23'$) | 6 |
| 15 | न्यूमेटिक रोप लांचर | 2 |
| 16 | आउट बोट मोटर | 2 |
| 17 | लाउडहेलर / मेगाफोन | 2 |
| 18 | वाकी-टॉकी | 6 |

ग. विविध बाढ़ बचाव उपकरण

| | | |
|-------|---|--------|
| i) | गैंती | 6 |
| ii) | फावड़ा | 6 |
| iii) | स्लेज हथौड़ा | 6 |
| iv) | हल्की कुल्हाड़ी | 6 |
| v) | 100 फीट 12 मिमी लम्बी बी. ओ बी. रस्सी | |
| vi) | इलेक्ट्रिक टॉर्च जलरोधी | 10 |
| vii) | हरीकेन लालटेन | 10 |
| viii) | तिरपाल | 6 |
| ix) | रोप टैकल का सेट (3 शीव – 2 शीव) | |
| x) | 20 किट लम्बी बी. ओ. बी. रस्सी $\frac{1}{2}$ इंज | 10 |
| xi) | रबड़ के दस्ताने (जोड़ी) (25,000 वोल्ट तक जांचे गए) | 6 |
| xii) | टांगों को मोड़ने के लिए पाड़ के खम्मे (स्कैफोल्ड पोल्स) | 6 |
| xiii) | मलबा टोकरी | 10 |
| xiv) | बाल्टियां | 10 |
| xv) | चमड़े के दस्ताने (जोड़ी) | 10 |
| xvi) | प्रथमोपचार पाउच | 10 सेट |

वस्तुएं

- 1 तिकोनी बैंडेज
- 2 कामचलाऊ रक्तबंध के मजबूती हेतु बेंत
- 3 ड्रेसिंग शीट
- 4 ड्रेसिंग प्रथमोपचार
- 5 लेबल्स, हताहत पहचान (20 का पैकेट)
- 6 बड़े सेफटी पिन (6 पत्ते)
- 7 कैंची
- 8 रक्तबंध (टुअर्नीकेट)

घ. प्रथमोपचार किट के लिए संस्तुत वस्तुएं

| क्रम सं. | उपकरण | संख्या |
|----------|--|--------|
| 1 | सक्रिय कोयला (विष से प्रभावित होने की आपातस्थिति में) | 20 |
| 2 | आसंजक अनावृत्त मरहमपट्टी – वर्गीकृत आकार में (20 का पैक) | 2 |
| 3 | आसंजक टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 2") | 2 |
| 4 | आसंजक टेप (ल्यूकोप्लास्ट, 4") | 2 |

| | | |
|----|---|------------|
| 5 | एयरवे – मौखिक (80 मिलीमीटर) | 2 |
| 6 | एयरवे – मौखिक (60 मिलीमीटर) | 2 |
| 7 | एयरवे – मौखिक (40 मिलीमीटर) | 2 |
| 8 | अल्कोहल–मसलने वाला 70 प्रतिशत | 100 मि.लि. |
| 9 | अल्कोहल–पोंछने वाला | 10 |
| 10 | एम्बु. बैग (वयस्क) | 1 |
| 11 | एम्बु. बैग (बच्चे) | 1 |
| 12 | एंटासिड टैबलेट | 20 |
| 13 | एन्टीबायोटिक मरहम (सोफ्रामाइसिन) | 1 |
| 14 | एन्टीसेप्टिक स्प्रे | 1 |
| 15 | आर्टरी फोरसेप | 1 |
| 16 | **एस्पिरिन टैबलेट | 20 |
| 17 | बैंडेज इलास्टिक 3" | 2 |
| 18 | बैंडेज इलास्टिक (क्रेप, 6") | 2 |
| 19 | बैंडेज रोल 3" | 10 |
| 20 | बैंडेज रोल 6" | 10 |
| 21 | तिकोना बैंडेज | 10 |
| 22 | ऊनी कंबल | 1 |
| 23 | रक्तचाप नापने का उपकरण | 1 |
| 24 | बर्न स्प्रे | 1 |
| 25 | कैलामाइन लोशन | 100 मि.लि. |
| 26 | कॉटन रोल 500 ग्राम | 2 |
| 27 | कॉटन स्वैब | 20 |
| 28 | डिस्पोजेबल लैटेक्स अथवा विनाइल दस्ताने (6" और 7") | 10 |
| 29 | आई-पैड | 10 |
| 30 | सी. पी. आर. हेतु फेस मास्क (वयस्क) | 2 |
| 31 | सी. पी. आर. हेतु फेस मास्क (बच्चे) | 2 |
| 32 | प्रथमोपचार दिशानिर्देश | 1 |
| 33 | फ्लैश लाईट | 1 |
| 34 | फोरसेप (स्टैनलेस स्टील, नॉन टूथेड) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 35 | गेज पैड – (स्टेराइल कॉटन) 2"x 4" | 20 |
| 36 | गेज पैड – (स्टेराइल वैसलिन) | 10 |
| 37 | गरम पानी की बोतल | 1 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 38 | ऑक्सीजन सिलेंडर, हल्का एल्यूमिनियम 110 लिटर (वैकल्पिक) | 1 |
| 39 | ऑक्सीजन कैच्यूला नेसल | 5 |
| 40 | ओ. आर. एस. सैचेट | 5 |
| 41 | – * – पेन स्प्रे | 1 |
| 42 | पेपर राइटिंग पैड और पेन्सिल | 1 |
| 43 | पीने के लिए कागज के बने कप | 5 |
| 44 | निमैटिक स्लिंट सेट | 1 |
| 45 | सेफ्टी पिन | 10 |
| 46 | कैची (स्टैनलेस स्टील) 12.5 सेंटीमीटर | 1 |
| 47 | साबुन | 1 |
| 48 | स्लिंग्स (गोफन) (कोहनी, कंधा) | 5 |
| 49 | स्टेथोस्कोप | 1 |
| 50 | चीनी अथवा ग्लुकोज का घोल | 100 ग्राम |
| 51 | थर्मोमीटर – मौखिक | 1 |
| 52 | टंग डिप्रेसर (डिस्पोजेबल) | 5 |
| 53 | टॉच | 1 |
| 54 | टुअर्नीकेंट (इलास्टिक) | 1 |
| 55 | ट्राइज रिबन (हरी/लाल/काली/पीली) | 20 |
| 56 | बाइट स्टिक्स | 5 |
| 57 | आंख के बचाव हेतु चश्मे (गॉगल्स) | 1 |
| 58 | चिकित्सा उपकरण वाला बक्सा | 2 |
| ख. | वाहन : | |
| 1. | उपकरण टोइंग टेंडर (उपकरण ले जाने वाला वाहन) | 2 |
| 2 | एम्बुलेंस | 1 |
| 3 | अग्नि शमन सामान एवं कर्मी ले जाने हेतु ट्रक | 1 |

* विकित्सक (मेडिकल डॉक्टर) की सलाह पर ही दिया जाएगा।

** घुलनशील एस्प्रिन टैबलेट के रूप में पढ़ा जाएगा।

-*- एनलजेसिक स्प्रे के रूप में पढ़ा जाएगा।

अनुबंध – 28

अग्नि तथा अन्य आपदाओं के लिए बचाव कार्य हेतु अन्य विशिष्ट उपकरणों की सूची

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनुमानित लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेषताएं |
|----------|--|--------------------------|--|
| 1 | फोम टेंडर (बिना चेसिस) | — | आई. एस. 10460 |
| 2 | झाई पाउडर टेंडर (2000 किलोग्राम) (बिना चेसिस) | 15–16 | आई. एस. 10993 |
| 3 | अग्नि शमक उपकरणों के मरम्मत हेतु चल कार्यशाला (तकनीकी कार्मिक) | 50 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 4 | पोर्टबल हाई प्रेस बैक पैक (जल कुहासा प्रौद्योगिकी) | 3 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 5 | पूरे विद्युत यूनिट के साथ हाइड्रोलिक कटर | 4.5 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध–35 के रूप में संलग्न है |
| 6 | पूरे विद्युत यूनिट के साथ स्प्रेडर्स (हेवी ड्यूटी) | 4.7 | |
| 7 | पावर कटर (एच. डी) | 4.50 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 8 | पीडित ढूँढ़ने हेतु कैमरा | 12 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 9 | फायर एंट्री सूट | 1 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध–36 के रूप में संलग्न है |
| 10 | एल्यूमिनियम फिल्म चढ़ा फायर प्रोक्सीमिटी सूट | 0.40 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध–37 के रूप में संलग्न है |
| 11 | हल्का स्ट्रेचर | 0.03 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 12 | स्व–नियंत्रित बी. ए. सेट | 0.80 | आई. एस. 10245 (बिन्दु 1 से 4) |
| 13 | विशेष ब्रांच | 0.30 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 14 | बचाव रैम (एच. डी.) | 3 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 15 | अंख सुरक्षा के उपकरण | .05 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनुमानित लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेषताएं |
|----------|--|--------------------------|--|
| 16 | ऊष्ण और शीत से बचाव हेतु सुरक्षा दस्ताने | .01 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 17 | वाटर जेल फायर बर्न ब्लैंकेट | 0.08 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 18 | सुरक्षा टॉर्च (आंतरिक रूप से सुरक्षित) | 0.08 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 19 | अग्नि शमन कर्मचारी हेतु सुरक्षा जीवन रेखा (सेफ्टी लाइफ लाइन) | 0.02 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 20 | डबल विजन पावर | 0.10 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 21 | गोताखोरी सूट (सूखे प्रकार का) | 3 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 22 | लाइफ सेविंग जैकेट | 0.05 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 23 | सुरक्षा बूट (स्टील के अंगूठे वाला और रसायन रोधी) | 0.08 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 24 | विभिन्न प्रकार के गैसों हेतु गैस मास्क | .05 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 25 | सुरक्षा पोशाक | 1 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 26 | फायर बोट | 8 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-38 के रूप में संलग्न है |
| 27 | बाढ़ बचाव नाव | 10-15 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-39 के रूप में संलग्न है |
| 28 | लकड़ी हेतु स्वचालित आरी | 0.25 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 29 | कांक्रिट, धातुओं आदि हेतु बहुउपयोगी हीरायुक्त आरी | 3.75 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-40 के रूप में संलग्न है |
| 30 | इलेक्ट्रिक चेन वाली आरी | 1.75 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 31 | वृत्ताकार इलेक्ट्रिक आरी | 1.75 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 32 | स्वचालित चेन आरी | 1 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-41 के रूप में संलग्न है |
| 33 | एल्यूमिनियम विस्तार सीढ़ी (20') | 0.20 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-42 के रूप में संलग्न है |
| 34 | न्यूमेटिक लिफिटंग बैग (10-15 टन) | 0.38 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-43 के रूप में संलग्न है |

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनुमानित लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेषताएं |
|----------|---|--------------------------|--|
| 35 | दुर्घटना के स्थान पर आपातकालीन प्रकाश हेतु लाइट इंफ्लैटेबल टॉवर | 2 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-44 के रूप में संलग्न है |
| 36 | इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमेरा | 7-14 | एस. एफ. ए. सी. की विशेषता अनुबंध-45 के रूप में संलग्न है |
| 37 | इलेक्ट्रिक विंच (क्षमता 1.5 टन) | 0.20 | बी. आई. एस. विशेषता नहीं |
| 38 | लाइफ डिटेक्टर टाइप-I एवं II | 16 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 39 | पीड़ित का पता लगाने के उपकरण और ब्रैचिंग सिस्टम | 20 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 40 | पुर्जों सहित वीडियो कैमरा | 0.20 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 41 | हाथ से पकड़ने वाला गैस डिटेक्टर | 5.80 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 42 | मल्टीगैस डिटेक्टर | 1.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 43 | ऐंगल कटर (इलेक्ट्रिक) 14" व्यास | 0.44 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 44 | ऐंगल कटर के लिए रिप्लेसमेंट डायमंड टिप्प ब्लेड्स | 0.118 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 45 | ऐंगल कटर के लिए रिप्लेस कंपोजिट ब्लेड्स | 0.01 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 46 | वृत्ताकार आरी (इलेक्ट्रिक) 164" व्यास | 0.27 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 47 | वृत्ताकार आरी हेतु रिप्लेसमेंट कार्बाइड टिप्प आरी | 0.15 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 48 | हवा के सिलेंडर के साथ एयर लिफ्टिंग बैग सेट | 7 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 49 | मल्टी केबल विंच | 2.5 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 50 | बुलेट चेन आरी 16" | 1.90 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 51 | हैमर ड्रिल कंक्रीट | 0.25 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 52 | गैस कटर 450 मिमी | 0.032 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 53 | गैस कटर हेतु रेग्युलेटर | .004 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 54 | रबड़ पाइप डयूप्लोन 100 मिमी रोल | 0.03 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 55 | ऑक्सीजन सिलेंडर | 0.045 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 56 | एसिटिलिन सिलेंडर | 0.015 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 57 | रिप्लेसमेंट 12" व्यास डायमंड टिप्प ब्लेड | 0.21 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 58 | समतुल्य फुट पम्प (पैर से चलने वाला) सहित रैमसेट | 1.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनुमानित लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेषताएं |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 59 | हायड्रोलिक जैक 20 टन | 0.55 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 60 | इलेक्ट्रिक ड्रिल | 0.047 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 61 | इलेक्ट्रिक ड्रिल बिट सेट | 0.02 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 62 | चिपिंग हथौड़ा | 0.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 63 | चिपिंग हथौड़ा बिट फ्लैट | 0.012 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 64 | चिपिंग हथौड़ा बिट नोकदार | 0.019 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 65 | रोटरी हैमर ड्रिल | 0.22 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 66 | रोटरी हैमर ड्रिल बिट | 0.017 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 67 | चार आरियों के सेट के साथ कीहोल आरी | 0.037 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 68 | रेसिप्रोकेटिंग सॉ | .21 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 69 | रेसिप्रोकेटिंग सॉ ब्लेड बुड | 0.05 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 70 | रेसिप्रोकेटिंग सॉ ब्लेड मेटल | 0.05 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 71 | कॉर्डलैस हैमर ड्रिल | .235 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 72 | कॉर्डलैस हैमर ड्रिल बिट सेट | 0.018 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 73 | कॉर्डलैस हैमर ड्रिल हेतु अतिरिक्त बैटरी | 0.05 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 74 | अग्निशामक पोर्टेबल | 0.028 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 75 | श्वसन यंत्र को जांचने वाला लीक टेस्टर | 5 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 76 | आपदा संकेत यूनिट | 0.10 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 77 | पोर्टेबल जेनरेटर 10.5 केवीए | 1.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 78 | पोर्टेबल जेनरेटर 210.5 केवीए | 0.73 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 79 | ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर | 0.65 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 80 | पल्स ऑक्सीमीटर | 0.40 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 81 | नेबुलाइजर | 0.025 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 82 | पोर्टेबल एनिस्थिशिया कीट | 0.18 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 83 | पोर्टेबल अल्ट्रा साउंड मशीन | 4 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 84 | ऑटोमैटिक ब्लड एनेलाइजर | 2 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 85 | मल्टी पैरामीटर मॉनीटर | 1.40 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 86 | रिकार्डर के साथ पोर्टेबल डिफाईब्रिलेटर | 1.30 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 87 | पोर्टेबल सक्षण उपकरण | 0.06 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 88 | एनेलाइजर के साथ ईसीजी मशीन | 0.72 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 89 | मैन्युअल सक्षण यूनिट | 0.045 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |

| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनुमानित लागत (लाख रुपए) | प्रस्तावित विशेषताएं |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 90 | सैटेलाइट फोन | 3 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 91 | बेस स्टेशन 25 वॉट | 0.25 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 92 | पोर्टेबल रेडियो सेट | 0.30 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 93 | पोर्टेबल शेल्टर्स 10' x 14' | 0.36 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 94 | पोर्टेबल शेल्टर्स 10' x 23' | 0.60 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 95 | वैयक्तिक गोताखोरी किट (गोताखोरी सूट श्वास उपकरण, वेट बेल्ट ग्लब्स डाइव फिन्स) | 2.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 96 | हाई प्रेशर ब्रीदिंग एयर कम्प्रेसर | 7.25 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 97 | पानी के भीतर काम कर सकने वाली (अंडर वाटर) टॉर्च | 0.35 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 98 | अंडर वाटर संचार सुविधा का सेट | 4.80 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 99 | अंडर वाटर वीडियो कैमरा | 0.78 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 100 | फ्लोटिंग पम्प | 1.75 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 101 | ओ. बी. एम. के साथ इंफ्लैटेबल बोट (एफ. आर. पी.) | 4 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 102 | बचाव बोट | 2 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 103 | इंफ्लैटेबल मोटर रेस्क्यू बोट छोटी (10 सीटों वाली) | 3.50 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 104 | रक्षा बोया | 0.03 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 105 | इंफ्लैटेबल मोटर रेस्क्यू बोट बड़ी (210 सीटों वाली) बोट साल्ट यूनिसर्वल टाइप विद ओ. बी. एम. 50 एच. पी. | 2 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 106 | सिंथेटिक लाइफ जैकेट | 0.03 | एन. डी. आर. एफ. के अनुसार विशेषता |
| 107 | न्यूमेटिक इमर्जेंसी आउटलेट / स्लाइड / शूट | — | — |
| 108 | फाइबर स्ट्रेचर / फाइबर फार्क स्ट्रेचर | — | — |

टिप्पणी : दी गई विशेषताएं न्यूनतम हैं। यदि उपकरणों की खरीद के समय उच्चतम विशेषताएं उपलब्ध हों तो संबंधित अग्नि शमन सेवा केंद्र उच्चतम विशेषताएं चुन सकते हैं। सूची में न दिए गए उपकरण भी असुरक्षितता के निर्धारण के आधार पर स्थानीय जरूरत के अनुसार अग्नि शमन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए खरीदे जा सकते हैं।

अनुबंध – 29

संस्थागत सुविधाओं के लिए सिफारिशें

सुविधाएं :

- 30–40 सहभागियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ कक्षाएं।
- बाह्य व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं।
- अग्नि निवारण प्रशिक्षण हेतु पूर्ण कम्प्यूटरीकृत प्रयोगशाला।
- बैठने की टीयर युक्त (सीढ़ीदार) सुविधा वाला 70–100 सीटों का पूरी तरह सुसज्जित प्रेक्षागृह और दो छोटे प्रेक्षागृह बनाने के लिए विभाजित दीवार का विकल्प।
- मुख्य सुविधा आदि से लगा प्रमुख जमाव क्षेत्र (ब्रेकआउट स्पेस) और खाली स्थान।

बाह्य प्रशिक्षण संरचनाएं

संस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण क्षेत्र होना चाहिए जिसमें अत्याधुनिक प्रशिक्षण पूर्वभ्यास होगा। इसमें परिसीमित भवन, बचाव टॉवर, जला हुआ भवन, स्वविमोचन क्षेत्र, खतरनाक सामान प्रशिक्षण स्थान आदि।

परिसीमित भवन

परिसीमित भवन जमीन के ऊपर बनाया जाता है किन्तु मार्ग स्तर (स्ट्रीट लेवल) से नीचे मेनहोल में बचाव का आभास कराता है। प्रशिक्षु ऊपर से प्रवेश करते हैं जबकि तीनों स्तरों के प्रत्येक स्तर पर सीढ़ियां और दरवाजे तत्काल निष्क्रमण अथवा चिकित्सा उपचार, यदि आवश्यक हो, तो एक सुरक्षा-जाल तैयार करते हैं।

बचाव मीनार

इस पांच स्तरीय संरचना में यह होता है :

- बहु आपातस्थिति कार्रवाई परिदृश्य जैसे आंतरिक खोज और ऊंचाई पर अग्नि शमन।
- हवाई प्लेट फार्म प्रशिक्षण।
- रस्सी द्वारा बचाव और सीढ़ी का तकनीकी प्रशिक्षण।
- एक धुएं से भरा कमरा जो मीनार के किसी भाग में अथवा पूरे भवन में धुएं का आभास कराता है ताकि प्रशिक्षण परिदृश्यों को बढ़ाया जा सके। घना धुंआ एक जल आधारित उत्पाद से पैदा किया जाता है, और इसको प्रशिक्षण तथा शिक्षा के प्रयोजनार्थ सुरक्षित बनाया जाता है।

जलता भवन

प्रशिक्षुओं को इस गहन रूप से पर्यवेक्षित और सुदूर रूप से मानीटर किए गए विन्यास (सेटिंग) में 900 डिग्री फॉरेनहाइट तक की वास्तविक अग्नि संबंधी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। इस जलते भवन की डिजाइन में “बलिदानी (सैक्रिफिशल)” चिनाई पैनल और अन्य नवोन्मेष (इनोवेशन) शामिल होते हैं जिससे संरचनात्मक हानि के बिना यह संरचना प्रशिक्षण के दौरान आघात से बची रहती है।

स्वविमोचन (दुर्घटना स्थल से वाहन/वाहन से पीड़ितों की सुरक्षित निकालने का काम) क्षेत्र

स्वविमोचन क्षेत्र में प्रशिक्षकों को एक सुरक्षित माहौल में चुनौती भरे मोटर वाहन प्रशिक्षण परिदृश्य का इस्तेमाल करके शिक्षा देने की सुविधा होनी चाहिए। यह क्षेत्र विशाल होता है और यह भारी वाहनों संबंधी विमोचन परिदृश्यों जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर अथवा स्कूल बस के विमोचन के अनुकूल हो सकता है।

खतरनाक सामान संबंधित प्रशिक्षण स्थल

खतरनाक सामान संबंधित प्रशिक्षण स्थल मुख्य परिसर के पास स्थित होना चाहिए और 15–20 एकड़ में फैला होना चाहिए। विशेष प्रचालन प्रशिक्षण स्थल में वास्तविक परिदृश्यों के आभास के लिए निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होती हैं :

- परिवहन ट्रक
- बसें
- ढलान वाला मैदान
- खतरनाक सामान (हजमत) भंडारण सुविधाओं के सिमुलेशन के लिए बाह्य भवन (आउट-बिल्डिंग)

सुविधाओं में यह भी शामिल किया जा सकता है

ऊंची औद्योगिक इमारतें, घरेलू परिसर, वाणिज्यिक तथा उद्योग इकाइयां आदि जहां प्रचालन कर्मी अपने अग्नि शमन और बचाव कौशल का अभ्यास कर सकते हैं : डिवाइडर और फुटपाथ के साथ तैयार एक लम्बा मोटर मार्ग, साथ ही साथ एक रेलवे मार्ग का भाग और एक लेवल क्रांसिंग जहां विशिष्ट बचाव तरीकों का अभ्यास किया जा सकता है; एक हेलीकाप्टर लैंडिंग पैड, एक एयरक्राफ्ट फ्यूजलैज और एक तेल रिफाइनरी काम्प्लैक्स तथा इस स्थल में एक जहाज की सुविधा होती है जहां किसी इंजिन रूम, कार्गो होल्ड में और यात्रियों के बैठने की जगह में लगी आग बुझाने के विशिष्ट तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उनको विकसित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- प्रशिक्षण संस्थान में विश्वस्तरीय क्षतिग्रस्त भवन संबंधी प्रशिक्षण सुविधा होनी चाहिए जो अब अग्नि शमन कर्मियों को वास्तविक परिदृश्य में प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाती है।

- अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण हेतु संस्थान अग्नि शमन प्रशिक्षण अवसंरचना का एक मुख्य हिस्सा होगा और इसे सभी हितधारकों जिनमें केंद्र सरकार शामिल है, से सहायता प्राप्त करता रहेगा ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपातस्थितियों में एक सुरक्षित और कारगर कार्रवाई करने में समर्थ हो सके।
- इस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थानीय अग्नि सेवा के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा उनका कौशल बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।
- अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान सरकार की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के कार्य के साथ–साथ अन्य आपातिक सेवाओं तथा एजेंसियों की सुपुर्दगी के कार्य में एक प्रमुख भागीदार होना चाहिए।

प्रमुख समूह (कोर ग्रुप)

प्रमुख समूह के सदस्यगण

| | | |
|-----|---|---------|
| 1. | ज्योति कुमार सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| 2. | डी. जे. आदित्य, सहायक अग्नि निवारण अधिकारी, राज्य अग्नि शमन सेवा, असम सरकार, पानबाजार, गुवाहाटी, असम। | सदस्य |
| 3. | जी. ए. भाट, महानिदेशक, अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाएं, जमू और कश्मीर, राज्य अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाएं, जमू और कश्मीर। | सदस्य |
| 4. | एस. भट्टाचार्य, प्रबंधक (अग्नि शमन सेवा), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, (ओ एन जी सी), निगम अग्नि शमन सेवा कक्ष, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-5, 5वां तल, लोदी रोड, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 5. | डी. पी. विश्वास, अपर महानिदेशक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाएं, 13-डी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। | सदस्य |
| 6. | टी. सी. बोराली, अग्नि निवारण अधिकारी, राज्य अग्नि शमन सेवा, असम, अपर पुलिस महानिदेशक और निदेशक एस एफ एस ओ का कार्यालय, पानबाजार, गुवाहाटी, असम। | सदस्य |
| 7. | रमेश चंद्र, राज्य अग्नि निवारण अधिकारी, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, हटमेट संख्या – 16, पटना, बिहार। | सदस्य |
| 8. | बी. जी. चंगप्पा, निदेशक, कर्नाटक राज्य अग्नि शमन और आपातकालीन सेवा संख्या-1, ए.एम. रोड, बंगलुरु, कर्नाटक। | सदस्य |
| 9. | आर. एस. चौधरी, सहायक निदेशक, एन सी डी सी, नागपुर, महाराष्ट्र। | सदस्य |
| 10. | मेजर जनरल वी. के. दत्ता, ए वी एस एम, एसएम ए वी एस ए पी पी एम जी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सी बी एंड एम ई), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, एन डी एम ए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 11. | एम. वी. देशमुख, निदेशक, महाराष्ट्र अग्नि शमन सेवा, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र। | सदस्य |
| 12. | एस. के. ढेरी, प्रबंध निदेशक, डी एल एफ सर्विसेज़ लिमिटेड, डी एल एफ इनफिनिटी, साइबर सिटी, फेज-II, गुडगांव, हरियाणा। | सदस्य |

| | | |
|-----|---|-------|
| 13. | गडनायक बिनय भूषण, विशेषज्ञ (आई आर एस), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, एन डी एम ए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 14. | एस.पी. गर्ग, उपमहाप्रबंधक (अग्नि शमन और सुरक्षा), गेल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 15. | सुश्री सुचित्रा गोस्वामी, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 16. | ए. आर. इन्फैट, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक और निदेशक, एफ. एंड ई.एस., कर्नाटक, संख्या-1, ए. एम. रोड, बंगलुरु, कर्नाटक। | सदस्य |
| 17. | ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. के. खन्ना, वरिष्ठ विशेषज्ञ (टीसीडी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, एन डी एम ए भवन, कमरा नम्बर 308, द्वितीय तल, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 18. | अशोक खरे, मुख्य अभियंता, शहरी प्रशासन और विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल, यू ए डी ओ विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। | सदस्य |
| 19. | सुभाष कुमार, हवाई अड्डा अग्नि शमन सेवा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 20. | सच्चिदानन्द कुंड, अग्नि शमन और आपदा प्रबंधन सलाहकार और परामर्शदाता, पी / 4, बेलगांठिया विला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। | सदस्य |
| 21. | जोराम माविया, भारतीय पुलिस सेवा, निदेशक, मिजोरम अग्नि शमन सेवा, आइजोल, मिजोरम। | सदस्य |
| 22. | अशोक मेनन, निदेशक, अग्नि शमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय, गोवा सरकार, पणजी, गोवा। | सदस्य |
| 23. | प्रकाश मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा और कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा। | सदस्य |
| 24. | गोपाल चंद्र मिश्रा, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 25. | सुश्री मोनालिना मल्लिक, उप निदेशक, परियोजना-आईईओ, मानविकी विभाग, आई आई टी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। | सदस्य |
| 26. | संपूर्ण महापात्र, वरिष्ठ विशेषज्ञ (भूकम्प), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, एन डी एम ए भवन, कमरा नम्बर 308, द्वितीय तल, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 27. | जयराम नायक, अपर निदेशक, महानिदेशक अग्नि शमन सेवा, आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रत्युत्तर और अग्नि शमन सेवा बी आर के आर, सरकारी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, “बी” ब्लॉक, प्रथम तल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। | सदस्य |
| 28. | एन. एम. एस. नायर, महाप्रबंधक (सुरक्षा और प्रमुख अग्नि शमन सेवा), ओ एन जी सी, नई दिल्ली। | सदस्य |

| | | |
|-----|---|-------|
| 29. | ओम प्रकाश, अग्नि शमन सलाहकार, डीजीसीडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 30. | टी. पी. एस. फूलका, अपर आयुक्त—सह—मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम, डीलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़। | सदस्य |
| 31. | डॉ. रवींद्र कुमार प्रधान, सहायक प्रोफेसर, मानविकी विभाग, आई आई टी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। | सदस्य |
| 32. | डी. रवींद्र प्रसाद, सलाहकार, शहरी अधिशासन, ई ई यू जी और आई डी केंद्र, प्रशासनिक स्टाफ कालेज, बेला विस्टा, राज भवन रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। | सदस्य |
| 33. | डी. के. शामी, महानिदेशक, अग्नि शमन सलाहकार, डीजीसीडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 34. | शमीम, निदेशक, अग्नि शमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र। | सदस्य |
| 35. | बी. सी. शर्मा, उप निदेशक, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, सी एफ ई ई एस, ब्रिगेडियर एस. के. मजूमदार रोड, तिमारपुर, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 36. | आर. सी. शर्मा, निदेशक, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली। | सदस्य |
| 37. | वी. के. शर्मा, डी आई जी, अग्नि शमन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अग्नि शमन स्कंध), 13 सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 38. | जसबीर सिंह, अग्नि शमन अधिकारी—सह—नामित प्राधिकारी, एनडीएमसी पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 39. | नोरेन एन. सिंह, निदेशक मणिपुर, अग्नि शमन सेवा, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। | सदस्य |
| 40. | एन. सोफी, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक, अग्नि शमन सेवा, नागालैंड सरकार, कोहिमा, नागालैंड। | सदस्य |
| 41. | देवेश चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा, निदेशक, अग्नि शमन सेवा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश। | सदस्य |
| 42. | एस. के. तिवारी, सहायक अभियंता, शहरी प्रशासन और विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। | सदस्य |
| 43. | बी. एस. टोंगर, ओएसडी / सी एफ ओ, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय अग्नि शमन केंद्र, जेल रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। | सदस्य |
| 44. | एच. विश्वनाथन, निदेशक (एस), डी जी एफ ए एस एल आई, मुंबई डी जी एफ ए एस एल आई, एन एस मानकिका मे सुओईस, मुंबई, महाराष्ट्र। | सदस्य |
| 45. | डॉ. के. सी. वाधवा, अपर निदेशक, अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, रक्षा मंत्रालय, सी एफ ई ई एस, ब्रिगेडियर एस. के. मजूमदार रोड, तिमारपुर, दिल्ली। | सदस्य |

संपर्क करें :

अग्नि शमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उनसे संबंधित उपकरणों की किस्म और प्रशिक्षण पर दिशानिर्देश के संबंध में और जानकारी के लिए;

कृपया संपर्क करें :

श्री ज्योति कुमार सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त)

सदस्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

भारत सरकार,

एनडीएमए भवन,

ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली-110 029

दूरभाष : 91-11-26701740

फैक्स : 91-11-26701754

ई-मेल : jk_sinha2001@yahoo.com

वेबसाइट : www.ndma.gov.in

